क़ुरआन मजीद
की बुनियादी शिक्षाएँ

डॉ० मुहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी

अनुवाद

नसीम अहमद ग़ाज़ी फ़लाही

मुहम्मद आबिद हामिदी

विषय-सूची

षय	पृ०
दो शब्द	9
अपनी बात	11
रआन का परिचय	**13**
क़ुरआन किस क़िस्म की किताब है?	13
क़ुरआन पूरे तौर से महफ़ूज़ आसमानी किताब है	15
क़ुरआन सबके लिए और हमेशा के लिए है	17
क़ुरआन आख़िरी नबी पर आख़िरी किताब है	19
क़ुरआन हर तरह के मतभेदों से मुक्त है	20
क़ुरआन हर ज़माने हर दौर के लिए है	21
क़ुरआन की करामतों (चमत्कारों) के तीन पहलू	22
ग्राले-जात (सन्दर्भ)	27
रआन के बारे में आम मालूमात	**28**
रआन के कुछ विषय	**30**
पूरी कायनात ख़ुदा की सच्ची फ़रमाँबरदार है	30
इनसान सबसे बेहतर प्राणी है	31
इनसान की ज़िन्दगी का मक़सद क्या है?	34
आख़िरत की कामयाबी के लिए दो शर्तें	36
मज़हब का इतिहास (एक दीन या कई मज़हब)	38
इनसानी हुक़ूक़ (मानवाधिकार)	40
गुमराही के तीन बड़े सबब	41
क़ुरआन का हुक्म अमल के क़ाबिल हैं	44
जगत् और इनसान के अन्दर अल्लाह की निशानियाँ	46
). मिसालें और उपमाएँ	48

11. क़ुरआनी क़िस्से
12. क़ुरआन में अक़्ल से काम लेने पर ज़ोर
13. पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) पूरी इनसानियत के रहनुमा
14. मुस्लिम उम्मत (समुदाय) का काम
15. पैग़ाम और प्रचार-प्रसार के लिए हिकमत
क़ुरआनी हवाले
क़ुरआन की जीवन-व्यवस्था
तौहीद (एकेश्वरवाद) और शिर्क (अनेकेश्वरवाद) की हक़ीक़त
- तौहीद (एकेश्वरवाद) के तक़ाज़े
- शिर्क (अनेकेश्वरवाद) की हक़ीक़त
- शिर्क की मज़म्मत (निन्दा)
- हवाले-जात (सन्दर्भ)

हिदायत (मार्गदर्शन) के लिए पैग़म्बरों को भेजना
- पैग़म्बर का चुनाव
- रसूलों की हैसियत और मक़ाम
- पैग़म्बरों की दावत और उनका पैग़ाम
- पैग़म्बरों को भेजने का मक़सद
- पैग़म्बरों को किन हालात में भेजा गया
- पैग़म्बरों और उनकी क़ौमों के बीच ऐतिहासिक कश्मकश
- पैग़म्बरों के साथ उनकी क़ौमों का सुलूक
- पैग़म्बरी का समाप्त होना
- आख़िरी नबी (सल्ल०) की ख़ासियत (विशिष्टता)
- हवाले-जात (सन्दर्भ)

आख़िरत की क़ुरआनी तसव्वुर
- जहन्नम की हौलनाकियाँ
- जन्नत की न ख़त्म होनेवाली नेमतें
- आख़िरत के क़ायम होने की दलीलें
- आख़िरत के अक़ीदे का इनसानी किरदार पर असर

हवाले-जात (सन्दर्भ) 91
़आन का तसव्वुरे इबादत **93**
इबादत 93
(1) नमाज़ 94
(2) रोज़ा 95
(3) ज़कात 96
(4) हज 97
अल्लाह का ज़िक्र 97
दुआएँ 98
हवाले-जात (सन्दर्भ) 98
़आन की अख़लाक़ी (नैतिक) शिक्षाएँ **100**
अख़लाक़ी नीचता 100
अच्छे अख़लाक़ की अहमियत और बड़ाई 102
हवाले-जात (सन्दर्भ) 106
आन की सामाजिक शिक्षाएँ **108**
इनसानी समाज की शुरूआत 108
वैराग्य और संन्यास 108
शादी का मक़सद 108
शादी की शर्तें 109
मह्‌र औरत का हक़ है और शौहर पर लाज़िम है 109
जिन औरतों से निकाह नहीं हो सकता 109
ख़ानदान में मर्द की हैसियत व मक़ाम 110
औरत की हैसियत और मक़ाम 110
तलाक़ और अलाहदगी 110
तलाक़ के नतीजे 111
रज़ाअत (दूध पिलाना) 112
इस्लामी समाज में औरत का मक़ाम 112
हक़ और अधिकार 113

- माँ-बाप के हक़ 11
- औलाद के हक़ 11
- रिश्तेदारों के हक़ 11
- यतीमों के हक़ 11
- पड़ोसियों के हक़ 1
- ख़िदमत करनेवालों के हक़ 1
- ज़रूरतमन्दों के हक़ 1
- मेहमानों और मुसाफिरों के हक़ 1
- हवाले-जात (सन्दर्भ) 1

क़ुरआन की आर्थिक शिक्षाएँ 1

- आर्थिक असमानता 1
- मिलकियत का हक़ 1
- रोज़ी कमाने के हराम तरीक़े 1
- रोज़ी कमाने के लिए उभारना 1
- कंजूसी और माल जमा करने की मनाही 1
- बेजा ख़र्च की मनाही 1
- भले कामों में ख़र्च पर उभारना 1
- ज़कात सामाजिक इंशोरेंस 1
- विरासत का क़ानून 1
- हवाले-जात (सन्दर्भ) 1

क़ुरआन की सियासी शिक्षाएँ 1

- ख़ुदा की हाकिमीयत 1
- सबसे बड़ा क़ानून 1
- ख़िलाफ़त (शासन) 1
- ख़लीफ़ा की ख़ूबियाँ 1
- शूराइयत (सलाह-मशवरा) 1
- इस्लामी रियासत के मक़सद (उद्देश्य) 1
- रियासत के विभिन्न अंग 1

बुनियादी हक़ 128
नागरिकों पर हुकूमत का हक़ 128
अन्तर्राष्ट्रीय सियासत 128
युद्ध और जिहाद के मक़सद 129
जंग के उसूल 129
इस्लामी रियासत में रहनेवाले ग़ैर-मुस्लिमों (ज़िम्मियों) के हक़ 130
हवाले-जात (सन्दर्भ) 131
रआन की पैग़ाम **133**
इनसानी समानता 133
एक ख़ुदा की बन्दगी 135
आख़िरत की जवाबदेही का ख़याल 136
रआन हमसे क्या चाहता है? **139**
क़ुरआन समझकर पढ़ना 139
क़ुरआन के हुक्मों पर चलना 141
सबको क़ुरआन का पैग़ाम पहुँचाना 142

'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'

"ईश्वर के नाम से जो बड़ा कृपाशील, अत्यन्त दयावान है।"

दो शब्द

इनसानों और दुनिया की हर चीज़ को ईश्वर ने पैदा किया है। उसकी ार दुनिया की दूसरी चीज़ों की ज़रूरतों के अनुसार उसने चीज़ें पैदा कीं। ्रज, चाँद, हवा और पानी वग़ैरा बेशुमार चीज़ें पैदा कीं। दुनिया में आने ार कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले जाने का एक सिलसिला बनाया। दुनिया ौर उसकी सारी चीज़ों को देखने के बाद अक़्ल यह गवाही देती है कि एक ोजना के अनुसार इस दुनिया को बनाया गया है। समझ-बूझ, ताक़त और ाधिकार रखनेवाली एक हस्ती दुनिया की व्यवस्था चला रही है।

यहाँ खास तौर से दो तरह के जानदार पैदा किए गए हैं, एक इनसान ौर दूसरे जानवर। जानवर एक लगे-बंधे तरीक़े पर ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। न्हें अपनी मरज़ी से कुछ करने का अधिकार नहीं है। जबकि इनसान को क़्ल, इल्म और काम की आज़ादी के साथ एक बड़ी हद तक उसे अधिकार ो दिए गए हैं। वह अपनी मरज़ी से अच्छा-बुरा और सही-ग़लत कुछ भी र सकता है।

दुनिया को बनानेवाली हस्ती ने इनसान की परीक्षा के लिए उसे आज़ादी ौर अधिकार दिए हैं। साथ ही उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है ह बताने के लिए उस दयावान खुदा ने अपने पैग़म्बरों और अपनी किताबों े द्वारा इनसान का मार्गदर्शन भी किया है।

अन्त में खुदा ने अपना आख़िरी मार्गदर्शन पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के ारा भेजा, जो क़ुरआन की शक्ल में मौजूद है। यह किताब जो आपके ामने है वास्तव में उसी ईश-मार्गदर्शन क़ुरआन की शिक्षाओं का परिचय राने के लिए लिखी गई है। क़ुरआन के बारे में तीन बातें बताना ज़रूरी ;, जिन्हें सामने रखकर क़ुरआन की शिक्षाओं को देखा जा सकता है। एक ह कि क़ुरआन की शिक्षाएँ ईश्वर ने प्रदान की गई हैं, दूसरी ये शिक्षाएँ सारे ो इनसानों के लिए हैं। दुनिया का कोई इनसान चाहे वह कहीं का

रहनेवाला हो उसकी भलाई, कामयाबी और उसका कल्याण व नजात इ शिक्षाओं में नीहित है और तीसरी यह कि क़ुरआन की शिक्षाएँ हमेशा ं लिए हैं, हर दौर और काल के लिए हैं। इन तीनों बातों की सच्चाई आपव क़ुरआन के अध्ययन से मालूम होगी। यह किताब उन सच्चाइयों की ए झलक है।

क़ुरआन को माननेवालों यानी मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि क़ुरआन की शिक्षाओं को अपनी ज़िन्दगी और समाज में लागू करके दुनिय को बताएँ कि ये शिक्षाएँ कैसा इनसान, कैसा नागरिक और कैसा समा बनाती हैं। उनका यह व्यवहार वास्तव में भटकती मानवता पर एक उपका होगा और वे इन शिक्षाओं को अपनी ज़िन्दगी में उतारने के लिए विचा अवश्य करेंगी ऐसी हमें उम्मीद है।

इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि॰) दिल्ली इस्लामी शिक्षाओं को हिन्दी भाष में प्रस्तुत करने की सेवा में लगा हुआ है। उर्दू पुस्तक "क़ुरआन मजीद क बुनियादी तालीमात" का यह हिन्दी अनुवाद आप की सेवा में पेश किया ज रहा है इस उम्मीद के साथ कि इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। ईश्व हमारी कोशिशों को सफल करे!

नसीम अहमद ग़ाज़ी फ़लाह

सेक्रेट्र

इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि॰

दिल्ल

अपनी बात

"तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, जिसने हमें यह रास्ता दिखाया, हम ख़ुद राह न पा सकते थे, अगर अल्लाह हमारी रहनुमाई न करता।" (क़ुरआन, सूरा-7 आराफ़, आयत-43)

आज का इनसान माद्दी (भौतिक) तरक़्क़ी और हैरत-अंगेज़ आविष्कारों की वजह से बुलन्दी पर पहुँचा हुआ नज़र आता है, लेकिन दूसरी तरफ़ वह अख़लाक़ी और रूहानी हैसियत से इन्तिहाई गिरावट और पस्ती की तरफ़ भी जा रहा है। वह इनसानी क़द्रों (मूल्यों) से ख़ाली होता जा रहा है। वह ख़ुदग़रज़, दौलत का लालची, ऐशपरस्ती, खेल-तमाशों और लज़्ज़तों का शिकार हो चुका है। उसके पास हक़ (सत्य) का मेयार ताक़त है। उसके सामने ज़िन्दगी के ऊँचे मक़सद नहीं हैं। उसने ख़ुदा की वह्य (प्रकाशना) को बिलकुल भुलाकर सिर्फ़ अपनी अक़्ल और तजरिबे से ज़िन्दगी के निज़ाम बनाए। आज की तहज़ीब अख़लाक़ी और रूहानी हैसियत से बिलकुल दिवालिया हो चुकी है। अम्न-शान्ति की बातें होती हैं, लेकिन ज़मीन में फ़साद और बिगाड़ फ़ैलाने के काम भी होते हैं। सच्ची बात यह है कि विश्व-शान्ति (Universal Peace) उस वक़्त तक क़ायम नहीं हो सकती जब तक इनसान अपनी ज़िन्दगी को उस नक़्शे पर तामीर न करे जो उसके बनानेवाले ने दिया है।

दयावान अल्लाह ने इनसान पर बेशुमार एहसान और उपकार किए हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। उसका सबसे बड़ा एहसान इनसान को हिदायत की नेमत से नवाज़ना है। अगर इनसान इसकी क़द्रदानी और एहतिराम करे तो उसके सारे मसले हल हो सकते हैं।

क़ुरआन के नाज़िल होने का मक़सद सभी पिछली आसमानी किताबों की तालीमात (शिक्षाओं) की हिफ़ाज़त करना और क़ियामत तक सारी दुनिया के इनसानों के लिए रहनुमाई फ़राहम कराना है। क्योंकि क़ुरआन मजीद हिदायत का सरचश्मा (स्रोत) है। सीधे-सच्चे रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करता है। मुबारकबाद के क़ाबिल हैं वे लोग जो इस अज़ीम और पाक (महान-पवित्र)

किताब की रहनुमाई क़बूल करके अपनी निजी और सामाजिक ज़िन्दगी क इसके मुताबिक़ बनाए-सवाँरे। उनके लिए दुनिया में भी बेहतरीन ज़िन्दर्ग होगी और आख़िरत में भी उनके लिए कामयाबी यक़ीनी होगी।

क़ुरआन की तरतीब आम किताबों की तरह नहीं है। यह मक्का औ मदीना में अल्लाह के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतरनेवाली वह्‌ (प्रकाशना) है जिसे एक बिलकुल ख़ास अन्दाज़ से तरतीब दे दिया गया है

इस किताब को आसान ज़बान में लिखा गया है। इसका मक़सद यह है कि आम लोगों के सामने क़ुरआन मजीद का परिचय, उसके कुछ अहम विषयों और उसके निज़ामे-हयात (जीवन-व्यवस्था) और उसका पैग़ाम साफ़ तौर पर समझ में आ जाए।

अल्लाह से दुआ है कि यह कोशिश अल्लाह के बन्दों को 'अल्लाह क किताब' तक पहुँचाने में मददगार साबित हो और उसके पास क़बूल ह जाए। आमीन्!

मुहम्मद रफ़ीउद्दीन फ़ारूक़ी

सितम्बर सन् 2015 ई॰

हैदराबाद

क़ुरआन का परिचय

इल्म (ज्ञान) का स्रोत अल्लाह की महान हस्ती है। उसने इनसान को दो रहं से इल्म दिया है। एक वह इल्म है जो इनसान अपनी मेहनत से हासिल रता है और अपने अवलोकनों, तजरिबों और अनुमान के बाद अपनी अक़्ल को इस्तेमाल में लाकर संकलित करता है। दूसरा ज़रिआ वहबी (प्रदत्त) ल्म का है, जो उसे वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए दिया जाता है। इसको वह नपनी कोशिश और जुस्तजू से हासिल नहीं कर सकता।

क़ुरआन अल्लाह की तरफ़ से अलग-अलग ज़मानों में पैग़म्बरों पर उतरनेवाले सहीफ़ों (ग्रन्थों) और किताबों का आख़िरी एडीशन है। क़ुरआन के उतरने का मक़सद पिछली आसमानी किताबों की शिक्षाओं की हिफ़ाज़त करते हुए हमेशा के लिए सारे इनसानों के लिए सीधे-सच्चे रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करना है।

1. क़ुरआन किस क़िस्म की किताब है?

क़ुरआन को 'क़ुरआन' इसलिए कहा जाता है कि यह किताब हर वक़्त और हमेशा पढ़ी जाती है और बार-बार पढ़ी जाती है। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको इतना ज़्यादा बार-बार पढ़ा जाता हो। क़ुरआन मजीद की सबसे बड़ी ख़ूबी और बड़ाई यह है कि यह शुरू से आख़िर तक मुकम्मल 'अल्लाह का कलाम' (Word of God) है। इसमें न जिबरील (अलैहि॰) का कोई लफ़्ज़ (शब्द) शामिल है और न ही हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का कोई लफ़्ज़। अगरचे इसमें पैग़म्बरों और नबियों (अलैहि॰) के ख़ुतबे (भाषण), ख़ुदा के इनकारियों और मुशरिकों (बहुदेववादियों) की बातें, फ़रिश्तों की दुआएँ, बन्दों की दुआएँ वग़ैरा सब कुछ शामिल है, मगर फिर भी यह अल्लाह का कलाम है, इसलिए कि इसका नाज़िल होना (अवतरण) अल्लाह की तरफ़ से हुआ है। जो रहमान और रहीम है, सारे जहानवालों का रब है, ज़बरदस्त और हिकमतवाला है, ज़बरदस्त इल्मवाला है। क़ुरआन लौहे-महफ़ूज़ (महफ़ूज़ तख़्ती) पर नक़्श (दर्ज) है। ऐसे सहीफ़ों (ग्रंथों) में दर्ज है जो सम्मानित हैं, ऊँचे दर्जे के हैं, पाकीज़ा हैं, नेक और सम्मानित लिखनेवालों के हाथों में रहते हैं।[1]

क़ुरआन का परिचय ख़ुद क़ुरआन में इस तरह कराया गया है—

- क़ुरआन बेहतरीन कलाम (वाणी) है। (सूरा-39 ज़ुमर, आयत-2
- क़ुरआन सबसे ज़्यादा सच्चा कलाम है। (सूरा-2 बक़रा, आयत-252
(सूरा-4 निसा, आयत-12
- क़ुरआन बिलकुल अटल, आख़िरी और फ़ैसलाकर देनेवाला कलाम है
(सूरा-86 तारिक़, आयत-1
- क़ुरआन एक ऐसी दलील है जो हर दलील को काट दे।
(सूरा-4 निसा, आयत-174
- क़ुरआन ऐसी हुज्जत है जो तमाम हुज्जतों पर ग़ालिब आ जाए औ हक़ीक़त खुलकर सामने आ जाए। (सूरा-8 अनआम, आयत-149
- क़ुरआन नसीहत और ख़ैरख़ाही से भरी किताब है और भूली हुई बात को याद दिलानेवाली है। (सूरा-81 तकवीर, आयत-27
- क़ुरआन हक़ का मेयार है, वह कसौटी है जिसके ज़रिए से हक़ औ बातिल, अच्छाई-बुराई और नेकी-बदी का फ़र्क़ वाज़ेह हो जाए। जिसप अक़ीदे और अमल को जाँचकर देखा जा सकता है कि सही और ग़लत कौन-सा है। (सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-1
- क़ुरआन पहले उतारी गई किताबों और सहीफ़ों की तसदीक़ (पुष्टि करनेवाला है। जैसे तौरात, ज़बूर, इनजील और दीगर सहीफ़े।
(सूरा-3 आले-इमरान, आयत-3
- क़ुरआन सीधा रास्ता बतलानेवाली किताब है।
(सूरा-6 अनआम, आयत-153
- क़ुरआन पिछली ख़ुदाई किताबों की हिफ़ाज़त करनेवाली और निगहबान है। (सूरा-5 माइदा, आयत-48
- क़ुरआन हिदायत देनेवाली किताब है जो इनसानों की उनकी ज़िन्दगी के हर मोड़ पर और हर मामले और मसले में रहनुमाई करती है।
(सूरा-6 अनआम, आयत-71)

---

1. देखें, सूरा-9 तौबा, आयत-6; सूरा-85 बुरूज, आयतें-21, 22; सूरा-80 अ-ब-स, आयतें-1 से 16।

क़ुरआन साफ़-साफ़ रास्ता दिखानेवाली रौशनी है, जिस तरह सूरज की ɪशनी हर एक पर छा जाती है, हर चीज़ साफ़-स्पष्ट दिखाई देती है। रआन की रौशनी से जिहालत, कुफ़्र (अधर्म) और शिर्क (अनेकेश्वरवाद) ɪ अंधकार दूर हो जाता है। नबी (सल्ल॰) रहनुमा हैं और क़ुरआन रौशनी । मंज़िल तक पहुँचने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं।[2]

. क़ुरआन पूरे तौर से महफ़ूज़ आसमानी किताब है

यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि दुनिया में मौजूद आसमानी किताबों क़ुरआन ही वह अकेली किताब है जो अपने मतन (मूल लेख) और भाषा साथ असली हालत में बिलकुल महफ़ूज़ है। पिछली उम्मतों ने अपनी ɪपरवाही से तौरात, ज़बूर और इनजील को भी महफ़ूज़ नहीं रखा। उनमें दा के कलाम का उतरा हुआ हिस्सा बहुत कम है और वह भी बिगड़ी हुई लत में। पूरी दुनिया में यह सम्मान सिर्फ़ एक क़ुरआन मजीद ही को ɪसिल है कि इसमें ज़र्रा बराबर भी बदलाव और मिलावट नहीं है।

सारे जहान के रब के हुक्म से हज़रत जिबरील (अलैहि॰) ने लौहे-महफ़ूज़ पुरक्षित-पत्रिका) से वाज़ेह अरबी ज़बान में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के दिल अवतरित किया। इसके नाज़िल (अवतरित) करने में शैतानों से पूरी फ़ाज़त की गई है, बल्कि वे उसके सुनने से भी दूर रखे जाते।[3] उसकी फ़ाज़त की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ख़ुद ली है। फ़रमाया—

> "इस ज़िक्र (क़ुरआन) को हमने उतारा है और हम ख़ुद इसके
> हिफ़ाज़त करनेवाले (निगहबान) हैं।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-15 हिज्र, आयत-9)

i) क़ुरआन की हिफ़ाज़त और जमा (संग्रह) इस तरह हुआ है कि जब कभी ज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर कोई वह्य (प्रकाशना) उतरती थी तो आप सल्ल॰) उसको याद कर लेते थे।[4] फिर उसको नबी (सल्ल॰) लिखवा देते ɪ। उस ज़माने में क़ुरआन को मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा गया था। क़ुरआन ो लिखवाते वक़्त अपनी तरतीब (क्रम) भी बता देते थे कि इस सूरा को फ़ुलाँ सूरा के बाद और फ़ुलाँ से पहले लिखो और इन आयतों को फ़ुलाँ सूरा ं फ़ुलाँ जगह लिखो और इसी तरतीब से नमाज़ों में भी पढ़ते थे। क्योंकि

नमाज़ में क़ुरआन पढ़ना ज़रूरी था। इस तरह ख़ुद हज़रत मुहम्मद (सल्ल
के ज़माने में ही क़ुरआन की तिलावत, हिफ़्ज़ (ज़बानी याद करना) अ
तरतीब मुकम्मल हो गई थी।

(ii) यह तो सरकारी नुस्ख़ा (प्रतिलिपि) था जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल
लिखवा रहे थे। इसके अलावा सहाबा (रज़ि॰) भी अपने तौर पर क़ुरअ
लिख रहे थे और ज़बानी याद कर रहे थे। क्योंकि क़ुरआन को नमाज़
पढ़ना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ (ज़रूरी) था।[5]

(iii) पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू-बक्र (रज़ि॰) के ज़माने में ज़ैद-बिन-साबि
अनुसारी (रज़ि॰) के तहत एक क़ुरआन कमेटी बनाकर क़ुरआन सन्
हिजरी में एक मुसहफ (संग्रह) के रूप में तैयार किया गया।

(iv) फिर हज़रत उमर (रज़ि॰) के ज़माने में क़ुरआन के हिफ़्ज़ (कंठस
करने पर माली मदद दी गई और रमज़ान में तरावीह की नमाज़ में क़ुरअ
के मुकम्मल सुनने और सुनाने का बाज़ाब्ता सिलसिला शुरू हो गया।

(v) तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उसमान (रज़ि॰) के ज़माने में जब इस्लामी हुकू
बहुत दूर तक फैल गई और ग़ैर-अरब क़ौमें तेज़ी से इस्लाम में दाख़िल ह
लगीं तो लोगों के लबो-लहजा और उच्चारण (Accent & Dialect) में फ़
की वजह से क़ुरआन पढ़ने में इख़्तिलाफ़ होने लगा। इसपर हज़रत उसम
(रज़ि॰) ने वही ज़ैद-बिन-साबित (रज़ि॰) वाली क़ुरआन-कमेटी के ज़रिए
क़ुरआन को क़ुरैश के लहजे (उच्चारण) पर लिखवाया। सबके एक तरह
पढ़ने और लिखने पर आम राय (Consensus) बनी। यह मुसहफ़ सन्
हिजरी में तैयार किया गया जो मदीना में एक केन्द्रीय और मेयारी हैसिय
(Standard) रखता था। फिर उसकी बहुत सारी कॉपियाँ करके इस्ला
शहरों के मुख़्तलिफ़ केन्द्रों (मक्का, कूफ़ा, यमन, बहरैन, शाम (सीरिय
मिस्र) को भेज दी गईं। लोग बड़ी तेज़ी से उसकी नक़लें तैयार करते गए अ
क़ुरआन हिफ़्ज़ करने का सिलसिला भी चलता रहा। इस तरह एक नस्ल
दूसरी नस्ल में सीनों और सहीफ़ों में क़ुरआन मुन्तक़िल होता रहा। अब ह
पूरे इत्मीनान से कह सकते हैं कि जो क़ुरआन हमारे पास मौजूद है बिलकु
ठीक वही है जो हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतरा था। उसमें मामूली-

ब्दीली भी नहीं हुई। इस तरह क़ुरआन मजीद की मुकम्मल हिफ़ाज़त हुई।

पिछली सदी में जर्मनी की म्यूनिख़ यूनिवर्सिटी की एक संस्था ने तेरह ादियों के बीच क़ुरआन के लिखे हुए और छपे हुए हज़ारों नुस्ख़ों (प्रतियों) र पचास साल तक रिसर्च करके दुनिया को यह रिपोर्ट दी है कि क़ुरआन ़ किसी नुस्ख़े में बदलाव, विरोधाभास और इख़्तिलाफ़ नहीं पाया गया। सी लिए क़ुरआन मजीद का महफ़ूज़ (सुरक्षित) होना एक प्रमाणित ़तिहासिक सच है। आज दुनिया में किसी भी मक़ाम पर प्रकाशित होनेवाला ़रआन और उसको याद करनेवाले हाफ़िज़ लोगों को आमने-सामने ़क़ाबला कराके देख लिया जाए तो ज़र्रा बराबर भी फ़र्क़ नहीं होगा। ़रआन का इस तरह लफ़्ज़-ब-लफ़्ज़ महफ़ूज़ रहने में अल्लाह की तरफ़ से दद और हिमायत शामिल है।

·. क़ुरआन सबके लिए और हमेशा के लिए है

i) जिस तरह सूरज की रौशनी, हवा, पानी और ज़मीन की पैदावार सब नसानों की मीरास है, उसी तरह अल्लाह की किताब क़ुरआन मजीद और ज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की पैग़म्बरी भी दुनिया के सारे इनसानों के लिए है। शक क़ुरआन की सम्बोधित क़ौम अरब थी, इसलिए क़ुरआन अरबी ज़बान ़ नाज़िल हुआ, ताकि वे अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन यह भी एक ाच्चाई है कि क़ुरआन सिर्फ़ अरबों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि दुनिया ़ बसनेवाले हर इनसान के लिए उतरा है, चाहे वह किसी देश का बाशिन्दा ो, उसका रंग काला हो या गोरा, वह कोई ज़बान भी बोलता हो, उसका ाल्लुक़ किसी नस्ल से हो। क्योंकि उसमें जो बातें बयान की गई हैं वे ालमगीर (विश्वव्यापी) सच्चाई हैं जो सबके लिए एक जैसी फ़ायदेमन्द है। ़रमाया गया—

> "निहायत बरकतवाला है वह जिसने यह फ़ुरक़ान[1] (कसौटी) अपने बन्दे पर उतारा, ताकि सारे जहानवालों के लिए ख़बरदार कर देनेवाला हो।" (क़ुरआन, सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-1)

. सत्य और असत्य में अन्तर कर देनेवाली किताब।

एक दूसरी जगह फ़रमाया—

"लोगो तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हारे पास रौशन दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ़ ऐसी रौशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ़-साफ़ रास्ता दिखानेवाली है।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-174)

क़ुरआन पर किसी एक क़ौम की इजारदारी नहीं है। इसी लिए क़ुरआ में कहीं भी 'ऐ अरबवालो' के ख़ास नाम से सम्बोधित नहीं किया गय बल्कि पूरे क़ुरआन में 'ऐ लोगो', 'ऐ इनसानो' या 'ऐ आदम के बेटो'
अलफ़ाज़ (शब्द) आए हैं और जो लोग उसके पैग़ाम को क़बूल कर लेते फिर उनको क़ुरआन 'ऐ वे लोगो जो ईमान लाए हो' कहकर पुकारता है
(ii) जहाँ क़ुरआन सब इनसानों के लिए आलमी हैसियत रखता है, वह क़ुरआन हमेशा के लिए भी है। क़ुरआन से पहले जितने सहीफ़े और किता उतारी गई थीं वे उस ज़माने के हालात और ज़रूरतों के मुताबिक़ थीं। उन दीन (इस्लाम) की बुनियादी शिक्षाएँ तो एक ही थीं, लेकिन शरीअ (धर्म-विधान) की तफ़सीलात में ज़रूरत के लिहाज़ से तबदीली और इज़ाफ़ होता रहा। क़ुरआन मजीद को अवतरित होने के बाद उन पिछली किताब को मंसूख़ (रद्द) कर दिया गया है। क्योंकि वे अपनी अस्ली ज़बान महफ़ूज़ नहीं थीं। दूसरे यह कि वे उसी ज़माने के लिए थीं। अब पिछल आसमानी किताबों पर ईमान रखना ज़रूरी है, लेकिन उनका अनुपालन नह किया जा सकता। अब क़ुरआन ही क़ियामत तक मुकम्मल (Updat रहनुमा रहेगा।

क़ुरआन मजीद चूँकि आख़िरी नबी मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतरा इसलिए यह दुनिया के सारे इनसानों के लिए है और क़ियामत त आनेवाली नस्लों और क़ौमों के लिए हिदायतनामा है। अब इसके बाद को और किताब उतारी नहीं जाएगी। इसलिए इसमें बयान किए गए उसूल औ क़ानून और जाब्ते भी अपने अन्दर आलमगीरियत (सार्वभौमिकता) औ अबदियत रखते हैं। ज़माने के बदलने और देशों के तबदील हो जाने उसके आलमगीर उसूलों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसपर हर ज़माने

र देश में और हर वक़्त अमल किया जा सकता है। इसमें इनसाफ़ भरी ातें बयान की गई हैं। कहीं किसी के साथ नाइनसाफ़ी नहीं की गई है।

:. क़ुरआन आख़िरी नबी पर आख़िरी किताब है

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) आख़िरी नबी हैं[6] इसलिए यह बात भी इसमें ामिल है कि आप (सल्ल॰) पर जो किताब उतारी जाए वह भी आख़िरी क़ेताब हो। जब कोई और नबी या पैग़म्बर नहीं आएगा तो कोई और क़ेताब भी उतारी नहीं जाएगी। इसकी एक वजह यह भी है कि इस किताब i दीने-इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया है। अल्लाह कहता है—

> "आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुमपर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से क़बूल कर लिया है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-3)

यह भी एक हक़ीक़त है कि जब क़ुरआन मजीद आख़िरी किताब है तो ाह बिलकुल अटल है, उसमें किसी क़िस्म की तबदीली नहीं हो सकती। इस सेलसिले में तीन बातें बहुत अहम हैं—

i) ख़ुद नबी (सल्ल॰) भी इस बात का हक़ नहीं रखते थे कि क़ुरआन में कुछ रद्दो-बदल कर सकें। जबकि मक्का के ग़ैर-मुस्लिमों ने आप (सल्ल॰) ने इस बात की ख़ाहिश की थी कि हम आपकी बात मान लेते हैं, मगर इस क़ुरआन में हमारे मुताबिक़ कुछ बदलाव कर दें। लेकिन आप (सल्ल॰) ने कह देया कि "मेरा यह काम नहीं है कि अपनी तरफ़ से उसमें कोई तबदीली कर दूँ। मैं तो बस उस वह्य के मुताबिक़ चलता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है।[7]

ii) जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) उसमें तबदीली का हक़ नहीं रखते तो फिर दुनिया के सारे मुसलमान मिलकर भी उसमें मामूली रद्दो-बदल भी नहीं कर सकते। क़ुरआन ने जिसको हलाल (वैध) कर दिया वह क़ियामत तक हलाल है और जिसको हराम कर दिया वह क़ियामत तक हराम (अवैध) रहेगा। अब उसको किसी का क़यास (अनुमान), किसी का इज्तिहाद बल्कि दुनिया के सारे मुसलमानों की आम राय भी बदल नहीं सकती। अब जो क़ुरआन पर ईमान लाए उसी हैसियत पर ईमान लाए।

(iii) क़ुरआन उतरने से लेकर आज तक चौदह सदियाँ गुज़र गईं, लेकिन अ तक कोई नज़रिया और फ़लसफ़ा (दर्शन-शास्त्र) ऐसा सामने नहीं आय जिससे क़ुरआन का कोई बयान ग़लत साबित हो। या कोई आविष्का खोजबीन और तजरिबा ऐसा नहीं हुआ जिसने क़ुरआन की बयान की हु हक़ीक़त को ग़लत साबित किया हो। बल्कि ज्यों-ज्यों साइंस की रिसर्च आ बढ़ रही है उसकी सच्चाई और ज़्यादा खुलकर सामने आती जा रही है अगर कहीं साइंस की बात उससे मेल नहीं खा रही हो तो यक़ीन के सा यह समझना चाहिए कि अभी इस मैदान में साइंस की रिसर्च अधूरी है क़ुरआन का चेलेंज है—

> "यह एक ज़बरदस्त किताब है, बातिल (असत्य) न इसके सामने से आ सकता है और न पीछे से, यह एक निहायत हिकमतवाले और तारीफ़ के लायक़ (ख़ुदा) की उतारी हुई चीज़ है।" (क़ुरआन, सूरा-41 हा-मीम-सजदा, आयतें-41 से 42)

क़ुरआन मजीद की हर बात 'फ़ैसला कर देनेवाली' यानी क़ियामत त अटल और अमिट है। इसका कोई हर्फ़ (अक्षर) तबदील नहीं किया ज सकता। क्योंकि यह एक मज़बूत और पाएदार किताब और आख़िरी हक़ीक़त है

क़ुरआन के बाद अब कोई और किताब ख़ुदा की तरफ़ से आनेवाल नहीं है। इनसान को जिन बातों की ज़रूरत थी वे सब बता दी गई हैं। इस कोई कमी नहीं रही। इसमें सभी बुनियादी उसूल और दीन की तमाम ज़रू चीज़ें बयान कर दी गई हैं, जिसपर चलना सारे ज़मानों में हर देश इनसानों के लिए आसान है। अलबत्ता अलग-अलग हालात के मुताबि जहाँ जिस मसले का कोई हल निकालना होगा वह क़ियास और इजतिह (खोजी कोशिश) से निकाला जा सकता है।

5. क़ुरआन हर तरह के मतभेदों से मुक्त है

यह क़ुरआन हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) का अपना बनाया हुआ कल नहीं है, बल्कि यह सिरे से इनसानी कलाम है ही नहीं। अगर यह कि इनसान का कलाम होता तो इसके बयान में बहुत इख़्तिलाफ़ पाया जात नए-नए तजरिबों, अवलोकनों और मालूमात की वजह से इनसान की र

तबदीली आती रहती है। कल का सही आज ग़लत हो जाता है। लाल-हराम के पैमाने बदल जाते हैं। नेकी और बदी के मेयारों और ;सौटियों में बदलाव आ जाता है। इस क़िस्म की कोई बात क़ुरआन में नहीं । इस बारे में ख़ुद क़ुरआन कहता है—

> "क्या ये लोग क़ुरआन पर ग़ौर नहीं करते? अगर यह अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ़ से होता तो इसमें बहुत कुछ बयान का इख़्तिलाफ़ पाया जाता।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-82)

क़ुरआन मजीद तेईस साल के अर्से में अलग-अलग हालात और वक़्तों ं धीरे-धीरे नाज़िल होता रहा।[8] लेकिन कहीं भी यह अपने मक़सद और ुद्दआ में और विषय से अलग नहीं रहा। जबकि एक ही बात मुख़्तलिफ़ ामानों में बयान की गई है। मुख़्तलिफ़ शब्दों और उसलूब (Style) में बयान ी गई है। लेकिन कहीं भी बयान में विरोधाभास व टकराव नहीं है। लबत्ता अहकाम (आदेशों) को धीरे-धीरे एक क्रम के साथ लागू किया गया ;, मगर इसमें बाइबल की तरह बयान का इख़्तिलाफ़ नहीं पाया जाता है।

;. क़ुरआन हर ज़माने हर दौर के लिए है

क़ुरआन मजीद का अवतरण अल्लाह की तरफ़ से हुआ है जो ग़ैब का ाननेवाला है। वह खुली और छिपी हर चीज़ का जाननेवाला है। उसका ल्म ज़ाती है, शुरू से है, हमेशा रहनेवाला (स्थाई) और ला महदूद (असीमित) है। हर ज़माने और हर दौर के लिए है, कोई भी चीज़ उससे ाहर नहीं है।

(i) क़ुरआन में बीते ज़मानों की ख़बरें हैं। क़ुरआन में आसमानों और ज़मीन ी पैदाइश का ज़िक्र है। हज़रत आदम (अलैहि०) के पैदा किए जाने के रहलों का बयान है। आदम और हव्वा (अलैहि०) से दुनिया में नस्लों और ़बीलों का फैलना, बाद में लोगों से बिगाड़ का पैदा होना फिर उनकी इस्लाह और सुधार के लिए पैग़म्बरों (नूह, इबराहीम, मूसा और ईसा अलैहि० वग़ैरा) ा भेजा जाना। अच्छाई-बुराई और नेकी-बदी में कशमकशी क़ौमों पर अज़ाब का नाज़िल होना। हज़ारों साल पर फैला हुआ क़ौमों का इतिहास

और उनके उतार-चढ़ाव, वह सब हमारे लिए बीते ज़माने की बातें हैं, ज
ग़ैब (परोक्ष) से ताल्लुक़ रखती हैं। इन सबकी ख़बरें क़ुरआन हमें सुनाता है
इन क़िस्मों के बयान के बाद फ़रमाया गया—

"ऐ नबी! ये ग़ैब की ख़बरें हैं जो हम तुम्हारी तरफ़ वह्य (प्रकाशना) कर रहे हैं।" (क़ुरआन, सूरा-11 हूद, आयत-49)

(ii) इसी तरह क़ुरआन हमें आनेवाले वक़्त की ख़बरें भी देता है। मिसा के तौर पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का मुस्तक़बिल रौशन होनेवाला है अबू-लहब का अंजाम बुरा होनेवाला है। मक्का के इस्लाम-दुश्मन यह पराजित होनेवाले हैं। नबी (सल्ल०) को हर मोर्चे पर खुली फ़तह मिलनेवाल है। इस्लाम में लोग फ़ौज-दर-फ़ौज दाख़िल होनेवाले हैं। ये भविष्यवाणिय एक-एक करके सब पूरी हुई और पूरी दुनिया ने देख लिया।[9]

क़ियामत की निशानियों में दज्जाल, ज़मीनवाले जानवर, याजूज-माजू के ज़ाहिर होने की ख़बरें दी गई हैं जो अपने वक़्त पर पूरी होंगी। क़ियाम में बड़े-बड़े हादसे, हश्र का मैदान और फ़ैसले के हालात और जहन्नम वे अज़ाब और जन्नत की नेमतों की मंज़रकशी की गई है।[10]

(iii) इसी तरह क़ुरआन में इनसान के दिलों की अन्दरूनी कैफ़ियतों व बयान किया गया है। ख़ुदा के इनकारियों के दिलों का फ़रेब और यहूदी औ मुनाफ़िक़ों के दिलों का खोट और ईमानवालों के दिलों की आरज़ू भी उस बयान की गई है।[11]

क़ुरआन मजीद के अलावा दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो इ तरह पिछले ज़माने की ख़बरें, आज के दौर की रहनुमाई, आनेवा समयकाल की ख़बरें देती हो और सीनों के छिपे राज़ों (भेदों) को ज़ाहिर क देती हो। क्या कोई इनसानी किताब इस तरह वसीअ इल्म (व्यापक ज्ञान को पेश करती है? इनसान सिर्फ़ क़यास और गुमान से अन्दाज़े करता है औ तीर-तुक्के चलाता है। लेकिन यक़ीनी इल्म से बीते ज़मानों, आनेवाले वक़्त और सीनों के छिपे राज़ों को नहीं बयान कर सकता।

7. क़ुरआन की करामतों (चमत्कारों) के तीन पहलू

क़ुरआन ने अपने मुख़ातब हक़ के इनकारियों को यह चैलेंज दिया वि

ागर तुम्हें इस किताब के बारे में यह शक है कि यह अल्लाह का कलाम हीं है, बल्कि मुहम्मद (सल्ल॰) ने अपनी तरफ़ से गढ़कर पेश कर दिया है ो इस जैसी कुछ आयतें ही सारे जिन्न और इनसान मिलकर कोशिश करके नाकर दिखाओ। यह चैलेंज मक्का में चार बार और आख़िरी बार मदीना ं इन शब्दों में दिया गया है–

"अगर तुम्हें इस मामले में शक है कि यह किताब जो हमने अपने बन्दे पर नाज़िल की है, यह हमारी है या नहीं, तो इसके जैसी एक सूरा बना लाओ, अपने सारे साथियों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाक़ी जिस-जिस की चाहो मदद ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ।[12]

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-23)

क़ुरआन मजीद की करामत के हवाले से यहाँ सिर्फ़ तीन बातों पर ग़ौर कया जा सकता है।

i) क़ुरआन का बेहतरीन अन्दाज़े-बयान

क़ुरआन अरबी अदब (साहित्य) का बेहतरीन नमूना है, इसकी ज़बान लासिकी है। यह अरब साहित्य की सरस बयानी और आलंकारिता की कमाल बुलन्दी पर पहुँचा हुआ है। इसके क़ायदे, सर्फ़ व नह्व (व्याकरण), ाब्द, मुहावरे, जुमलों की बंदिश अपनी मिसाल आप है। इसका एक लफ़्ज़ ी मेयार से गिरा हुआ नहीं है। क़ुरआन कलामे-अरब (शायरी, मुहावरा और ख़िताब) की उस वक़्त की राइज (प्रचलित) क़ुरैश की ज़बान के मुताबिक़ ाज़िल हुआ। क़ुरआन का उस्लूब (तर्ज़े-बयान) बिलकुल अनोखा है। इसमें वर-राग (Rhytham) है मगर शायरी नहीं है। गद्य वाला तर्ज़ है, लेकिन ाम किताबों की तरह का नहीं। ख़िताब (सम्बोधन) है लेकिन शोला बयानी के बजाए माक़ूल दलीलें हैं। अन्दाज़े-बयान में डरावा भी है और प्यार से समझाना भी है। इसमें लोगों के एतिराज़ों के जवाब भी हैं। क़िस्से हैं, लेकिन लम्बी और बेकार की बातें नहीं हैं। मिसालें और उपमाएँ है, लेकिन अवामी ार्ज़ नहीं। आसमान-ज़मीन और इनसानी नफ़्स की निशानियाँ और साइंसी ाथ्यों और सच्चाइयों की तरफ़ इशारे भी हैं। समाजी रहन-सहन की

बुनियादी बातें भी हैं और रब्बानी-फ़लसफ़ा और ब्रह्मज्ञान (Metaphysica की सच्चाइयाँ भी हैं।

ग़रज़ यह कि क़ुरआन की उम्दा ज़बान और उसका बेहतरीन उस्लूबे-बया एक अनोखी और ग़ैर-मामूली चीज़ है। जिस ज़माने में यह नाज़िल हुअ लोग इस कलाम को सुनकर दंग रह जाते थे। सूरा-108 कौसर को देखक पुकार उठते कि "यह इनसान का कलाम (वाणी) नहीं, दूसरी ही चीज़ है। एक बार आम-इजतिमा (जन-सभा) में हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने क़ुरआ की सूरा-53 नज्म पढ़ी तो सब बेख़ुद होकर सजदे में गिर पड़े। लबीद सब मुअल्लक़ात का शायर था, लेकिन इस्लाम क़बूल करने बाद वह शायरी छो देता है और कहता है कि क़ुरआन के बाद अब इसकी ज़रूरत नहीं वलीद-बिन-मुग़ीरा कहता था कि "मुहम्मद (सल्ल॰) न शायर हैं, न जादूग न काहिन और न ही मजनून हैं। हम इन सबसे अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं ख़ुदा की क़सम उसके पेश किए हुए कलाम में बड़ी सरसता और मिठास है इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं और इसकी शाख़ें बड़ी फ़लदार हैं।" ख़ुलासा य कि अरबों को क़ुरआन ने अपना बना लिया। यह चमत्कारिक कलाम है कि इसके सामने अरबों की ज़बान बन्द हो गई।

दुनिया की ज़बानें बदल जाती है, उसमें दूसरी ज़बानों के शब्द शामि हो जाते हैं। शब्द और मुहावरे भुला दिए जाते हैं और बहुत सारी ज़बानें त मुर्दा हो चुकी हैं, अब उनके जाननेवाले भी नहीं रहे। लेकिन क़ुरआन आज तक अरबी ज़बान को पकड़ रखा है। उसका कोई शब्द चलन औ इस्तेमाल से बाहर नहीं हुआ है। आज भी यह एक ज़िन्दा ज़बान है। इरा से मराकश तक बीस करोड़ की आबादी के लोग इसको अपनी मादरी ज़बा (मातृ-भाषा) की हैसियत से बोलते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर बोली, समझ और लिखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) में एक अहम ज़बान व हैसियत से तस्लीम (स्वीकार) की जाती है।

(ii) विषय वस्तु

क़ुरआन में जो मज़ामीन (विषय-वस्तु) बयान हुए हैं वे बहुत आल (उच्च स्तर) के और व्यापक (Comprehensive) हैं। इसमें शुरु से आख़ि

ह की बातें बयान की गई हैं।

इसमें अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात (विशिष्टताएँ), हुक़ूक़ और इख़्तियारात · परिचय करवाया गया है। शिर्क (बहुदेववाद) का खंडन किया गया है। ामें बताया गया है कि अल्लाह ने किस तरह कायनात की और इनसान ; रचना की? इनसान की ज़िन्दगी का मक़सद क्या है? फ़रिश्ते किस क़िस्म (मख़लूक़ (संरचना) हैं, उनका क्या काम है? रसूलों, पैग़म्बरों और किताबों (भेजने का मक़सद बयान किया गया है। नबियों और क़ौमों के बीच किस ;ह कशमकश बरपा रही और झुठलानेवाली क़ौमों का क्या अंजाम हुआ? न तरह बीते ज़माने की ख़बरें दी गईं और आनेवाले ज़माने की ख़बरें भी नाई गईं जैसे क़ियामत किस तरह बरपा होगी, हश्र, अदालत, गवाहियाँ ार फ़ैसला, जन्नत और जहन्नम के हालात से आगाह किया गया है। इसमें ीनगोइयाँ (भविष्य वाणियाँ) बयान की गई हैं।

क़ुरआन मजीद में सारे जहान और इनसानों में अल्लाह की निशानियों ो तरफ़ निशानदेही की गई है। अल्लाह के एहसानों को बयान किया गया । तौहीद (एकेश्वरवाद) को मानने के तक़ाज़े बताए गए हैं। पूरी ज़िन्दगी ो अल्लाह की बन्दगी में गुज़ारने का मुतालबा किया गया है। अच्छे समाज नाने के उसूल बताए गए हैं। हुक़ूक़ और इख़्तियारों की तफ़सीली बातें ाई हैं। अख़लाक़ियात (नैतिकता) में बुरे अख़लाक़ और बेहतरीन अख़लाक़ ा बयान, किरदारसाज़ी (चरित्र-निर्माण) के लिए आया है। माली मामलों में ाजाइज़ व ग़लत तरीक़ों से माल कमाने की मनाही आई है और माल कहाँ ौर किन पर ख़र्च किया जाए इसके भी अहकाम (आदेश) हैं। सियासत में स तरह अद्ल व इनसाफ़ से हुकूमत की जाए, इसकी तफ़सीली बातें आई । जंग और सुलह के उसूल भी बताए गए हैं। खुलासा यह है कि क़ुरआन जीद में अक़ीदा और अमल के ताल्लुक़ से मुकम्मल निज़ामे-हयात (पूर्ण ीवन-व्यवस्था) बयान किया गया है।

iii) कलाम (वाणी) का असर

इस कलाम में बड़ा असर है। जो एक बार सुन लेता है वह उसपर मोहित ो जाता है। उसके डरावे, ख़ुशख़बरी और सच्चाइयों के बयान से इस क़दर

और इतना ज़्यादा मुतास्सिर होता है कि इसपर ईमान ले आता है। सच
बात यह है कि इस कलाम से लोग बदले, उन्होंने अपने ख़ानदानों अं
क़बीलों को बदला और इस तरह एक पूरी क़ौम की काया-पलट हो गई। फि
अरब उठे और उन्होंने एशिया, अफ़्रीक़ा और यूरोप के एक बहुत बड़े हि
को बदल दिया। बिलाशुब्हा यह एक हैरत-अंगेज़ और इन्क़िलाबी कलाम है

क़ुरआन मजीद ने इनसान को एक नई सोच दी, नया नज़रिया दिय
नई तर्ज़े-ज़िन्दगी (जीवन-ढंग) दी, नए अक़दार (मूल्यों) से परिचित कराय
भलाई और बुराई के पैमाने क़ायम किए। एक नई क़िस्म के कल्चर को वुज
बख़्शा। क़ुरआन ने जाहिल अरब क़ौम को एक मुकम्मल नई तहज़ीब
सवाँरा-सजाया और दुनिया की क़यादत व रहनुमाई उनके हाथ में दी अं
आज भी क़ुरआन में वह क्राँतिकारी असर और शान्तिशीलता (Dynamism
मौजूद है। ख़ुदा के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) फ़रमाते हैं, "जो क़ौम इ
किताब को थाम लेगी, ख़ुदा उसको बुलन्द करेगा और जो क़ौम इसको छो
देगी, वह रुसवा हो जाएगी।" (हदीस : मुस्लि

क़ुरआन का एक बड़ा चमत्कार यह है कि इसको पेश करनेवाले पैग़म्
(सल्ल॰) निरीक्षर थे, जो लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे। उनके सच्चे होने व
सुबूत यह है कि उन्होंने क़ुरआन को दुनिया के सामने यह कहते हुए पे
किया कि यह मेरा 'कलाम' (वाणी) नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है
मुझपर वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए से उतारा गया है।[13]

पहले पैग़म्बरों को जो मोजज़े (चमत्कार) दिए गए थे वे उस ज़माने
लिहाज़ से थे और उनकी वफ़ात (देहान्त) के साथ ही ख़त्म हो गए। हज़र
मूसा (अलैहि॰) की लाठी का अजगर और साँप बनना और हाथ के चमकद
होने और मरयम के बेटे ईसा (अलैहि॰) के परिन्दों को बनाकर फूँक मारक
उड़ाने, अंधों को देखने की ताक़त देने, कोढ़ी को चंगा करने और मुर्दों क
ज़िन्दा करने के चमत्कार अल्लाह के हुक्म से दिखाए गए थे। इसका सि
ज़िक्र बाक़ी है। लेकिन हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की पैग़म्बरी क़ियामत त
बाक़ी रहनेवाली है। इसलिए आप (सल्ल॰) को जो मोजज़ा (चमत्कार) दि
गया वह भी हमेशा बाक़ी रहनेवाला 'क़ुरआन' का चमत्कार है।

क़ुरआन मजीद की ये कुछ विशेषताएँ हैं, क़ुरआन का चैलेंज है कि कोई
ा दर्जे का कलाम बनाकर लाए। ज़रूरी नहीं कि वह अरबी ज़बान में हो
ार वह उन ख़ूबियों को रखता हो। सच्ची बात यह है कि जिन्न और
ासान मिलकर भी इस जैसा कलाम न अब तक बना सके और न क़ियामत
क बना सकते हैं।

ाले-जात (सन्दर्भ)

) सूरा-9 तौबा, आयत-6; सूरा-85 बुरुज; आयतें-21-22; सूरा-80 अ-ब-स, ायतें-13 से 16 (2) सूरा-4 निसा; आयत-175; सूरा-5 माइदा, आयत-15; ा-33 अहज़ाब, आयतें-45 से 46 (3) सूरा-26 शुअरा, आयतें-192 से)5, 210 से 212 (4) सूरा-75 क़ियामा, आयतें-16, 17 (5) सूरा-29 नूकबूत, आयत-49 (6) सूरा-33 अहज़ाब; आयत-40 (7) सूरा-10 यूनुस, ायत-15 (8) सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-32; सूरा-17 बनी-इसराईल, ायत-106 (9) सूरा-93 ज़ुहा, आयत-4; सूरा-38 साद, आयत-11; सूरा-111 इब, आयत-1; सूरा-48 फ़तह, आयतें-1, 20, 21, सूरा-110 नस्र, आयतें-1, (10) सूरा-44 दुख़ान, आयत-10; सूरा-21 अंबिया, आयत-96; सूरा-101 ारिआ; सूरा-99 ज़िलज़ाल; सूरा-39 ज़ुमर, आयतें-67 से 75; सूरा-56 क़िआ, आयतें-10 से 56 (11) सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-30; सूरा-9 तौबा, ायतें-74, 107, 108; सूरा-33 अहज़ाब, आयतें-10, 37 (12) सूरा-52 , आयत-34; सूरा-10 यूनुस, आयत-38; सूरा-11 हूद, आयत-13; सूरा-17 नी-इसराईल, आयत-88 (13) सूरा-29 अनूकबूत, आयत-48; सूरा-62 मुआ, आयत-2; सूरा-53 नज्म, आयतें-3, 4

क़ुरआन के बारे में आम मालूमात

● ख़ुदा के आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) पर उतरनेवा आख़िरी किताब क़ुरआन है। क़ुरआन का नुज़ूल (अवतरण) रमज़ानुल-मुबा की 'लैलतुल-क़द्र' में हुआ।

● क़ुरआन की पहली मुकम्मल उतरनेवाली सूरा-1 'अल-फ़ातिहा' है अ आख़िरी मुकम्मल सूरा-110 अन-नस्र है जो नबी (सल्ल०) की वफ़ात से दिन पहले हज्जतुल-वदाअ में उतरी। क़ुरआन के उतरने का सिलसि सूरा-96 अल-अलक़ की शुरूआती पाँच आयतों से हुआ और आख़िरी मश आयत दीन के पूरा होनेवाली सूरा-5 माइदा की आयत नम्बर 3 है।

● क़ुरआन का नुज़ूल (अवतरण) आप (सल्ल०) की 23 वर्षीय पैग़म्बरी ज़िन्दगी में धीरे-धीरे (Gradual) होता रहा, जिसको नबी (सल्ल०) जिबरील (अलैहि०) के बताने पर मुरत्तब (संग्रहीत) किया है। यह तरत (क्रम) बाद के लोगों की दी हुई नहीं है।

● क़ुरआन की सबसे बड़ी सूरा सूरा-2 बक़रा और सबसे छोटी स सूरा-108 कौसर है।

● हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के ज़माने में ही क़ुरआन मजीद का (1) हि (2) किताबत (3) तरतीब मुकम्मल हो गई थी। लेकिन उस वक़्त क़ुरअ मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा हुआ था। मुसहफ़े-सिद्दीक़ (रज़ि०) सन् 12 हिज का है और मुसहफ़े-उसमानी (रज़ि०) सन् 25 हिजरी का है। इस्तंबूल अ ताशक़न्द के म्यूज़ियम में जो नुस्ख़े (प्रतियाँ) हैं वे मुसहफ़े-उसमानी (रज़ि की तरफ़ मंसूब हैं।

● क़ुरआन मजीद पर नुक़्ते और एराब (ज़बर, ज़ेर और पेश वग़ैरा) लग का काम सन् 65 हिजरी के बाद का है। इसी तरह फ़न्ने-तजवीद, क़िरअ और फ़न्ने-रसमुल-ख़त, और क़ुरआन की तफ़सीर (टीका) और तावील में मुसलसल हुस्न पैदा होता रहा।

● क़ुरआन मजीद में कुल 114 सूरतें हैं जिसमें 90 मक्की हैं और मदनी हैं। इन सूरा में कुल रुकूओं की तादाद 558 है और क़ुरआन की कु

ायतों की तादाद 6236 है।

हिजरत से पहले उतरनेवाली सूरा को 'मक्की' और हिजरत के बाद में ारनेवाली सूरा को 'मदनी' कहा जाता है। मक्की सूरतें इस्लाम के नेयादी अक़ीदे, अख़लाक़, क़िस्से, निशानियाँ, मिसालें हैं, जबकि मदनी ्रा में शरीअत (इस्लामी क़ानून) की तफ़सीलात हैं।

क़ुरआन की अकसर सूरा के नाम अलामत के तौर पर हैं। वे सूरा का ज़ूअ (विषय) नहीं है। मिसाल के तौर पर सूरा-2 बक़रा, इसके यह मानी हीं हैं कि इसमें गाय के बारे में तफ़सीलात हैं।

क़ुरआन की सभी सूरा पर 'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' लिखी जाती है, ाकि दो सूरा के बीच फ़र्क़ हो सके, लेकिन सूरा-9 तौबा पर नबी (सल्ल॰) 'बिसमिल्लाह' नहीं लिखवाई थी।

- क़ुरआन मजीद चूँकि अल्लाह की किताब है इसलिए इसे पाक होने की ालत में हाथ लगाया जाता है और इसकी तिलावत शुरू करते वक़्त शैतानी सवसों और बुराई पर उकसानेवालों से पनाह माँगी जाती है और मेहरबान ल्लाह के नाम से शुरू की जाती है। हिदायत हासिल करने की नीयत से ढ़ा जाता है।
- क़ुरआन इनसानों के लिए हर ज़माने में ज़िन्दगी का मुकम्मल निज़ाम ै। इसमें अक़ीदे, इबादतें, अख़लाक़ से सम्बन्धित, नफ़्स का तज़किया, ामाजिक रहन-सहन, माली मामले और सियासत (राजनीति) सब कुछ है।
- क़ुरआन इस्लाम का बुनियादी स्रोत है। इसकी तशरीह और तफ़सीर दीस और पैग़म्बर (सल्ल॰) की सीरत (जीवनी) है। मुसलमानों के पास ये ोनों चीज़ें ऐतिहासिक हैसियत से प्रमाणित हैं। शक-शुब्हों से बहुर दूर हैं।

क़ुरआन के कुछ विषय

"हमने यह किताब तुमपर उतार दी है जो हर चीज़ को साफ़-साफ़ वाज़ेह (स्पष्ट) कर देनेवाली है, और हिदायत व रहमत और ख़ुशख़बरी है उन लोगों के लिए जो सच्चे फ़रमाँबरदार बन गए हैं।" (क़ुरआन, सूरा-16 नह्ल, आयत-89)

आम तौर पर क़ुरआन मजीद की तिलावत सिर्फ़ देखकर पढ़ने की शव में करते हैं और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम इसको ग़ौर-फ़ि के साथ पढ़ें तो बहुत सारे अहम विषय हमारे सामने आते हैं जो हम ग़लतफ़हमियों को भी दूर करते हैं, हमें हिदायत और नसीहत से मालाम करते हैं जो तिलावत का अस्ल मक़सद है। उनमें से कुछ यहाँ बयान किए जाते

1. पूरी कायनात ख़ुदा की सच्ची फ़रमाँबरदार है

क़ुरआन मजीद यह कहता है कि कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा 'मुस्लिम' या सच्चा फ़रमाँबरदार है। हर चीज़ फ़ितरत के क़ानून के मुताबिक़ चाहे-अनच उसी की फ़रमाँबरदारी में लगी हुई है। कोई उसके क़ानून से मुख़ालिफ़त न कर सकता। सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, पहाड़, नदियाँ, स और हवाएँ सब एक लगे-बँधे क़ानून की फ़रमाँबरदारी में लगे हुए हैं अ इसमें ज़र्रा बराबर भी नाफ़रमानी नहीं कर सकते।

"अब क्या ये लोग अल्लाह की इताअत का तरीक़ा देखकर कोई और तरीक़ा चाहते हैं? हालाँकि आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें चाहे-अनचाहे अल्लाह की फ़रमाँबरदार (मुस्लिम) हैं और उसी की तरफ़ सबको पलटना है।"

(क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-83)

अलबत्ता इनसान की दो हैसियतें हैं। एक फ़ितरी और दूसरी उस अपनी इख़्तियार की हुई। फ़ितरी हैसियत से तो वह कायनात की हर च की तरह क़ुदरत के क़ानून का पाबन्द है। पैदा करनेवाले ख़ुदा ने जो च जिस काम के लिए बनाई है उससे वह वही काम ले सकता है। मिसाल तौर पर आँख, कान, नाक, ज़बान, हाथ, पैर वग़ैरा। इसी तरह जिस्म

न्दुरूनी हिस्से दिल, दिमाग़, गुर्दे, मेदा, जिगर और फेफड़े वग़ैरा के ग्ने-अपने काम हैं। यानी पालनहार रब ने जो चीज़ जिस काम के लिए ा की है उससे दूसरा काम नहीं लिया जा सकता।

इनसान की दूसरी हैसियत इख़्तियारी है। इसमें इनसान आज़ाद है। नी वह अपने इरादे और अमल की आज़ादी से भलाई-बुराई में से जो चाहे ता अपना सकता है। यहाँ वह बाग़ी और सरकश भी बन सकता है और ज्ञाकारी और फ़रमाँबरदार भी, लेकिन इसके लिए ज़िन्दगी का सही तरीक़ा ो है कि कायनात की सारी चीज़ों के साथ ख़ुद भी अपने अपनाए हुए नल में सच्चा मुस्लिम और फ़रमाँबरदार बन जाए। अगर वह ऐसा करेगा उसका कायनात के निज़ाम से मेल व सन्तुलन पैदा हो जाएगा। अगर इख़्तिलाफ़ और बग़ावत का चलन अपनाता है तो अपने माहौल से जंग ता है, बल्कि ख़ुद अपने-आप से भी, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि किसी दमी को लोगों के रेले में उल्टी दिशा में जाने के लिए मुश्किल पेश आती है।

इनसान सबसे बेहतर प्राणी है

अल्लाह सारी कायनात का पैदा करनेवाला है। उसने पेड़-पौधे और नवर पैदा किए हैं, जिन्नात और फ़रिश्ते पैदा किए। लेकिन सारी मख़लूक़ ष्टि) में इनसान सबसे बेहतरीन मख़लूक़ (प्राणी) है। क्योंकि उसने सान को अपनी ख़ास नेमतों से नवाज़ा, जिनसे दूसरी मख़लूक़ात महरूम हैं।

> "हमने आदम की औलाद को बुज़ुर्गी (श्रेष्ठता) दी और उन्हें ख़ुश्की और पानी में सवारियाँ दीं और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ी दी और अपनी बहुत-सी मख़लूक़ात पर उन्हें बड़ाई दी।" (क़ुरआन, सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-70)

क़ुरआन मजीद में अल्लाह ने इनसान पर जो अपनी ख़ास मेहरबानी माई है उसका ज़िक्र किया है—

बेहतरीन बनावट (संरचना) पर उसको पैदा किया। (सूरा-95 तीन, यत-4; सूरा-64 तग़ाबुन, आयत-3)

इनसान को सुनने, देखने और अक़्ल की ताक़तें अता कीं।

(सूरा-23 मोमिनून, आयत-78)

- इनसान को बोलने की ताक़त अता की।

(सूरा-55 रहमान, आयतें-3,

- शर्म और हयावाली फ़ितरत दी और लिबास अता किया।

(सूरा-7 आराफ़, आयतें-20 से 22, 26 से :

- उसको एक हद तक क़ुदरत और इख़्तियार दिया गया।

(क़ुरआन, सूरा-76 दह्र, आयतें-2

- पानी और ख़ुश्की की मख़लूक़ात में इज़्ज़त व बड़ाई दी।

(क़ुरआन, सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-:

- इनसान को इल्म, अक़्ल, हिकमत, नतीजा निकालने की क्षमता ३ सूझ-बूझ प्रदान की गई है।(सूरा-2 बक़रा, आयत-31, 269; सूरा-96 अल आयत-5; सूरा-12 यूसुफ़, आयत-2; सूरा-4 निसा, आयत-83; सूरा-9 तौ आयत-122)
- इनसान को क़लम के ज़रिए से लिखने-पढ़ने का हुनर दिया। (सूरा-68 कलम, आयत-1; सूरा-29 अनकबूत, आयत-48; सूरा-96 अल आयतें-4 से 5)
- उसपर अल्लाह ने अपनी खुली और छिपी नेमतों को तमाम किया

(सूरा-14 इबराहीम, आयत-:

- कायनात की हर चीज़ को उसकी ख़िदमत में लगा दिया।

(सूरा-14 इबराहीम, आयतें-32, :

- भलाई और बुराई की परख उसके दिल में डाल दी।

(सूरा-91 शम्स, आयत

- उसको नफ़्से-अम्मारा (बुराई पर उभारनेवाला मन), नफ़्से-लव्व (बुराई पर टोकनेवाला मन) और नफ़्से-मुत्मइन्ना (सन्तुष्ट मन) अता कि (सूरा-12 यूसुफ़, आयत-53; सूरा-75 क़ियामह, आयत-2; सूरा-89 फ़ आयत-27)
- नई खोज और नई-नई चीज़ें बनाने की सलाहियतें अता कीं आविष्कार (ईजाद) की वजह हैं। (सूरा-11 हूद, आयत-37; सूरा- अंबिया, आयत-80; सूरा-34 सबा, आयत-13)

इल्म से नवाज़ा और फ़रिश्तों से सजदा कराया।

(सूरा-2 बक़रा, आयत-34)

ज़मीन की ख़िलाफ़त (शासन) अता की। (सूरा-2 बक़रा, आयत-30; रा-38 साद, आयत-26)

वह्य (प्रकाशना) और रिसालत (पैग़म्बरी) से नवाज़ा। (सूरा-22 हज, ायत-75; सूरा-33 अहज़ाब, आयत-72)

इनसान को इरादे और अमल का इख़्तियार देकर इम्तिहान में डाल दिया या। (सूरा-67 मुल्क, आयत-2)

इनसान से नेमतों के बारे में पूछ-गछ होगी।

(सूरा-102 तकासुर, आयत-8)

यहाँ पर अल्लाह ने इनसान पर जो ख़ास इनाम और बख़्शिशें की हैं सकी छोटी-सी विषय-सूची दी गई है। वरना अल्लाह की इनसान पर इतनी मतें हैं कि उनका शुमार नहीं किया जा सकता। "अगर तुम अल्लाह की मतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते।" (सूरा-14 इबराहीम, ायत-34) उन नेमतों को पाने के बाद इनसान यह सोचे कि जिस ख़ुदा ने से इतनी नेमतों से नवाज़ा है तो क्या वह उन नेमतों के बारे में उनसे ़साब नहीं लेगा?

> "क्या इनसान ने यह समझ रखा है कि वह यूँ ही स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा।" (क़ुरआन, सूरा-75 क़ियामह, आयत-36)
>
> "क्या तुमने यह समझ रखा था कि हमने तुम्हें बेकार ही पैदा किया है? और हमारी तरफ़ कभी पलटना ही नहीं है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-23 मोमिनून, आयत-115)

) इस ज़मीन पर अल्लाह ने इनसान को अनगिनत नेमतें देकर बहुत सारी ाक़तों और सलाहियतों के साथ अपना ख़लीफ़ा (नायब) बनाकर थोड़ी-सी द्दत के लिए भेजा है। यहाँ इनसान मालिक नहीं है, बल्कि असली मालिक ौर नेमतें देनेवाले ख़ुदा का ख़लीफ़ा और नायब है। ख़िलाफ़त की अमानत ो उठाने की ज़िम्मेदारी कायनात की बड़ी-बड़ी मख़लूक़ (आसमान, ज़मीन, हाड़) भी नहीं ले सके, अब देखना यह है कि इनसान इस ज़िम्मेदारी को

किस तरह निभाता है।[1]

(ii) इनसान को पहले दिन से यह बात समझा दी गई थी कि अगर व अल्लाह की बताई हुई हिदायत के मुताबिक़ यहाँ ज़िन्दगी गुज़ारेगा त अल्लाह उससे राज़ी होगा और आख़िरत में उसको इनाम व इज़्ज़त नवाज़ेगा। अगर वह नाफ़रमानी और इनकार की नीति अपनाएगा तो व उसकी सज़ा का हक़दार ठहराया जाएगा।[2]

(iii) इसी बुनियाद पर सारी मख़लूक़ में इनसान सबमें बुलन्द और मुमताज़ ज़िम्मेदार और जवाबदेह (Accountable) हस्ती है। उसके अन्दर यह ख़ूब रख दी गई है कि वह शुक्र और फ़रमाँबरदारी की नीति भी अपना सकत है और इनकार व नाफ़रमानी की भी।[3] उसे यह भी बता दिया कि 'अग तुम खुदा का इनकार करो तो अल्लाह तुम से बेनियाज़ (निस्पृह) है। लेकि वह अपने बन्दों के लिए कुफ़्र (इनकार) को पसन्द नहीं करता।' इनसान व अल्लाह ने इरादे की आज़ादी और अमल का इख़्तियार देकर इम्तिहान डाल दिया है।[4]

3. इनसान की ज़िन्दगी का मक़सद क्या है?

क़ुरआन मजीद यह कहता है कि ज़िन्दगी का अस्ल मक़सद अल्लाह व रिज़ा और ख़ुशनूदी हासिल करना है और अल्लाह की ख़ुशनूदी के नतीजे ही उसको आख़िरत (परलोक) की कामयाबी नसीब होगी। लेकिन इ मक़सद को हासिल करने के लिए उसको अल्लाह की इताअत औ फ़रमाँबरदारी अपनानी होगी और उसका कोई शार्टकट रास्ता नहीं है, बल्कि उसे अपनी पूरी ज़िन्दगी को अल्लाह की बन्दगी में सौंप देना है।

> "इनसानों ही में कोई ऐसा भी है जो खुदा की ख़ुशनूदी की तलब में अपनी जान खपा देता है, और ऐसे बन्दों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-207)

अल्लाह की ख़ुशनूदी हासिल करना कोई खेल नहीं है। इसके लिए पू ज़िन्दगी में अल्लाह की इताअत और फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करनी होती है जब अल्लाह किसी बन्दे से राज़ी हो जाता है तो उसको बदले के तौर प नेमतभरी जन्नत अता फ़रमाता है। मानो जन्नत उसके अच्छे कर्मों व

दला है, जो ख़ुदा के राज़ी हो जाने के बाद दी जाएगी।

अल्लाह की रिज़ा व ख़ुशनूदी हासिल करने का एक ही रास्ता है और ह है उसकी बन्दगी का रास्ता। अल्लाह की बन्दगी व इताअत के लिए ोई शार्टकट नहीं है और न ही इसका ताल्लुक़ निजी ज़िन्दगी में कुछ बादत, पूजापाठ, नज़रो-नियाज़ की हद तक है, बल्कि यह पूरी ज़िन्दगी का ोग्राम है। इसके लिए क़ुरआन में 'इबादत' का शब्द आया है। क़ुरआन में ई जगहों पर इनसान की ज़िन्दगी का मक़सद ख़ुदा की बन्दगी का सही रीक़ा अपनाना बताया गया है।[5] क़ुरआन साफ़ तौर पर बयान करता है कि ्री ज़िन्दगी को अल्लाह की बन्दगी और इताअत में सौंप देना अल्लाह की न्दगी है।

> "कहो, मेरी नमाज़, मेरी बन्दगी की सभी रस्में, मेरा जीना और मरना, सब कुछ सारे जहान के रब के लिए है जिसका कोई भी शरीक नहीं।" (क़ुरआन, सूरा-3 अनआम, आयत-163)

इस्लाम की माँग यह है कि पूरी ज़िन्दगी में अल्लाह की फ़रमाँबरदारी की जाए।

> "ऐ ईमान लानेवालो, तुम पूरे-के-पूरे इस्लाम में दाख़िल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो, क्योंकि वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-208)

इस्लाम में पूरे-पूरे दाख़िल होने से मुराद बग़ैर किसी अपवाद (Excep-ion) के इस्लाम के मुताबिक़ अपनी पूरी ज़िन्दगी को ख़ुदा के हवाले कर ना है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी उसकी तौहीद (एकेश्वरवाद) का इक़रार र ले और अपनी ज़िन्दगी के निजी मामले में कुछ इबादत की रस्में अदा र ले और ज़िन्दगी के दूसरे मामलों में अपने-आपको आज़ाद समझे और नमानी करता रहे। सच्चाई यह है कि इस्लाम में पूरे दाख़िल होने का तलब यह है कि ज़िन्दगी के हर मामले में अल्लाह के हुक्मों और हिदायतों ो मानना और अमल करना है। पैदाइश से मौत तक, निजी ज़िन्दगी से ामूहिक ज़िन्दगी तक उसके फ़रमान की ताबेदारी करना है। सामाजिक हन-सहन, आर्थिक मामले और सियासत को उसी के हुक्मों के मुताबिक़ ालना है। मिसाल के तौर पर समाजी ज़िन्दगी में लोगों के हक़ अदा करना,

उनसे मामलों और ताल्लुक़ात बनाने में सच्चाई व ईमानदारी अपनाना आर्थिक जीवन में हराम की कमाई से बचना और जाइज़ कमाई को जाइ: रास्तों में ख़र्च करना। न बेजा ख़र्च करना और न कंजूसी करना और न ह शानो-शौकत पर माल को बरबाद करना। ईश्वर ही के क़ानून पर चलना अदूल-इनसाफ़ की हुकूमत क़ायम करना। मतलब यह कि पूरी ज़िन्दगी अल्लाह की बन्दगी और इताअत इख़्तियार करना अल्लाह की इबादत और इसी का नाम इस्लाम है।

क़ुरआन मजीद का तक़ाज़ा यह है कि इनसान की पूरी ज़िन्दगी इस्ला के मुताबिक़ हो जाए और वह ताग़ूत (शैतान) का इनकार कर दे।[6]

अगर सिर्फ़ रोटी कपड़ा, मकान, जिंसी ताल्लुक़, आराम और ऐश व मौ मस्ती ही इनसान की ज़िन्दगी का मक़सद बना रहे तो फिर उसमें औ जानवर में कोई फ़र्क़ नहीं रहता।

4. आख़िरत की कामयाबी के लिए दो शर्तें

'कामयाब ज़िन्दगी' के बारे में दुनिया में लोगों की अलग-अलग राय पा जाती हैं। किसी के नज़दीक ज़्यादा-से-ज़्यादा धन-दौलत हासिल करन किसी के नज़दीक जायदादें बनाना, कारख़ाने बनाना, बिज़नेस व व्याप बढ़ाना, और किसी के नज़दीक बड़े-से-बड़े सरकारी ओहदे व मंसब हासि करना, किसी के ख़याल में इन्टरनेशनल एवार्ड हासिल करना और किसी नज़दीक गिनीज़ बुक (Guinness Book) में नाम दर्ज कराना बड़ी कामया है। वे इन चीज़ों को अपनी ज़िन्दगी का मक़सद बनाकर रात-दिन इस लिए मेहनत करते हैं। अगर उन्हें ये चीज़ें मिल जाएँ तो समझते हैं कि दुनिया के बड़े कामयाब और सबसे सफल इनसान हैं। लेकिन क़ुरआन इ तमाम चीज़ों को 'मताए-ग़ुरूर' धोखे का सौदा कहता है और बताता है f सच्ची कामयाबी आख़िरत की कामयाबी है।

दुनिया की बड़ी-से-बड़ी कामयाबी भी आरज़ी और फ़ानी (ख़त्म हो जा वाली) होती है। थोड़ी मुद्दत के बाद उसकी ख़ुशी ख़त्म हो जाती है। पि इनसान किसी और चीज़ की तमन्ना करने लगता है। फिर यह सिलसि ज़िन्दगी-भर मौत तक चलता रहता है। अस्ल कामयाबी वह है जो उस

ऽभी ख़त्म न होनेवाली ज़िन्दगी में हासिल हो जाए। क़ुरआन के मुताबिक़ ाच्ची कामयाबी यह है—

"आख़िरकार हर आदमी को मरना है और तुम सब अपने-अपने पूरे बदले क़ियामत के दिन पानेवाले हो। कामयाब अस्ल में वह है जो वहाँ दोज़ख़ की आग से बच जाए और जन्नत में दाख़िल कर दिया जाए। रही यह दुनिया तो सिर्फ़ एक ज़ाहिर फ़रेब चीज़ है।" (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-185)

"जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, यक़ीनन उनके लिए जन्नत के बाग़ हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, यह है बड़ी कामयाबी।"[7] (क़ुरआन, सूरा-85 बुरुज, आयत-11)

आख़िरत की कामयाबी ही सच्ची कामयाबी है। इसके लिए क़ुरआन ाजीद में कई जगहों पर दो शर्तें पेश की गई हैं। एक ईमान और दूसरी अच्छे ाम। ये दोनों ही ज़रूरी हैं।

i) **ईमान–** पाँच बातों को मान लेने का नाम ईमान है। (क) अल्लाह पर ्मान (ख) उसके फ़रिश्तों पर ईमान (ग) उसके रसूलों पर ईमान (घ) उसकी ेताबों पर ईमान और (ध) मरने के बाद जी उठने पर ईमान।[8] ज़बान से ावाही देने और सच्चे दिल से उसकी तसदीक़ (पुष्टि) करने का नाम ईमान ः। अगर ईमान पक्का हो तो उसका असर इनसान के सारे कामों से ज़ाहिर ोता है।

ii) **अच्छे काम–** इससे मुराद सारे नेकी और भलाई के काम हैं। इस्लाम की ाज़र में वही अमल सालेह (अच्छा) कहलाता है (क) जिसकी जड़ में ईमान ो, (ख) जो अल्लाह के हुक्म और पैग़म्बर की सुन्नत (तरीक़े) के मुताबिक़ ो और (ग) जो अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए दिल से किया गया हो। ाक-अमल में निजी और सामूहिक ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ सारे शोबे (विभाग) ाामिल हो जाते हैं।

ईमान और नेक अमल का आपसी रिश्ता बीज और पेड़ जैसा है। जो ाीज में होगा वह पेड़ की शक्ल में ज़ाहिर होगा। अगर ख़राब बीज हो तो ासके पेड़ के फल भी वैसे ही होंगे। इनसान के अख़लाक़ और किरदार की

बुनियाद उसकी सोच और फ़िक्र पर निर्भर होती है।

5. मज़हब का इतिहास (एक दीन या कई मज़हब)

अल्लाह ने अपने बन्दों की हिदायत के लिए पहले इनसान और पहले नबी हज़रत आदम (अलैहि॰) से लेकर आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) तक एक ही धर्म यानी एक ही ज़िन्दगी का तरीक़ा (मज़हब) भेजा है और वह ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी (इस्लाम) ही है।

> "अल्लाह के नज़दीक 'धर्म' सिर्फ़ इस्लाम (ईश-बन्दगी) ही है।" (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-19)

(i) इस्लाम के मानी अम्न और सलामती और अल्लाह की इताअत व फ़रमाँबरदारी के हैं। पैग़म्बरों को अलग-अलग मज़हब देकर नहीं भेजा गया कि उन्हें नूहीयत, इबराहीमियत, मूसवीयत या ईसाईयत कहा जाए। बाद में उन नबियों और पैग़म्बरों के माननेवालों ने उनके मज़ाहिब (तरीक़ों) को उन नबियों के नाम से जोड़ दिया। सारे पैग़म्बर उसी दीने-इस्लाम की दावत देनेवाले थे और सब मुस्लिम थे, और जिन लोगों ने उसको क़बूल किया वे भी मुस्लिम कहलाते थे, न कि यहूदी और ईसाई वग़ैरा। (हाँ यह हो सकता है कि अलग-अलग ज़बानों में इस्लाम के मानी का दूसरा लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया हो।[9]

(ii) क़ुरआन मजीद इस सच्चाई को बयान करता है कि शुरू के ज़माने में लोग उसी 'इस्लाम' सच्चे दीन मज़हब के माननेवाले थे। लेकिन जैसे-जैसे उनकी आबादी बढ़ती गई लोगों ने उस सच्चे दीन में अपने ख़यालों और ख़ाहिशों के मुताबिक़ कमी-बेशी करना शुरू कर दी और अस्ल सीधे रास्ते से दूर होकर भटकते चले गए। लोगों में मतभेद पैदा हुए। उन्होंने अस्ल मज़हब की शिक्षाओं में से उन बातों को निकाल दिया जो उन्हें नापसन्द थीं और उन बातों को शामिल कर दिया जो उनके मन की ख़ाहिशों के मुताबिक़ थीं। इस तरह उन्होंने एक ख़ुदा के साथ कई ख़ुदा बना लिए, हलाल-हराम के क़ानून में कमी-ज़्यादती कर दी, समाजी रहन-सहन में नए-नए तरीक़े रस्मों और रिवाजों को शामिल कर दिया। इसी तरह अक़ीदे और अमल में बिगाड़ पैदा होता चला गया और कुछ सदियों बाद लोगों को यह भी मालूम

हीं रहा कि उनके मज़हब की अस्ल तालीम (शिक्षा) क्या थी? पहले लोगों ; ख़याल बदले-बिगड़े, फिर उसके मुताबिक़ उनके गरोह और फ़िरके बनने ागे और फिर अपनी पहचान के लिए उसके नाम रख दिए। इस तरह ोरे-धीरे बहुत सारे धर्म और मज़हब बनते गए। फिर अल्लाह ने लोगों को ोधा रास्ता दिखाने के लिए हर क़ौम और इलाक़े में वहाँ की ज़बान के साथ ापने पैग़म्बरों को भेजने का सिलसिला शुरू कर किया। वे सब उसी भूले ए सबक़ (ईश-आज्ञापालन) को याद दिलाते थे जो उनको शुरू में सिखाया या था। मालूम हुआ कि शुरू में सब इनसान एक दीन (ख़ुदा की ़रमाँबरदारी) के माननेवाले थे।

> "शुरू में सारे इनसान एक ही उम्मत थे, बाद में उन्होंने मुख़्तलिफ़ अक़ीदे और मसलक बना लिए।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-10 यूनुस, आयत-19)

ii) क़ुरआन मजीद के उतरने और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के भेजने का क मक़सद यह भी है कि मज़हबों (धर्मों) के मतभेदों को ख़त्म करके क़ीक़त से लोगों को आगाह किया जाए।[10] इस्लाम को एक मेयार (आदर्श) सलीम करते हुए उसके साथ दूसरे मज़हबों का तक़ाबुली मुताला (तुलनात्मक ाध्ययन) करके देखें तो पता चलता है कि दूसरे धर्मों के माननेवाले अक़ीदे ौर अमल में कहाँ-कहाँ गुमराही में पड़े हुए हैं। दुनिया में मुशरिक लोग, ाबी लोग, यहूदियत, ईसाइयत, मजूसियत, बौद्धमत, जैनमत, हिन्दूमत, ग़ैरा मशहूर हैं। देखिए कि इन धर्मों में ख़ुदा की कल्पना, पैग़म्बरी की ल्पना और वह्य (प्रकाशना), परलोक की कल्पना, इबादत की कल्पना, फ़्स का तज़किया, नैतिक-कल्पना, हलाल-हराम की कल्पना, सामाजिक-आदेश, ायासी-अहकाम, जंग व सुलह के अहकाम वग़ैरा क्या हैं?

मुख़्तलिफ़ ज़मानों में जिस सच्चे दीन इस्लाम की तारीफ़ की जाती रही ाख़िरी बार उसी इस्लाम को मुकम्मल शक्ल में हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को क़र भेजा गया और फ़रमाया कि "तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की सियत से पसन्द कर लिया है।" (सूरा-5 माइदा, आयत-3) और अल्लाह अपना आख़िरी फ़ैसला इनसानों को सुना दिया—

"इस फ़रमाँबरदारी (इस्लाम) के सिवा जो आदमी कोई और तरीक़ा अपनाना चाहे तो उसका वह तरीक़ा हरगिज़ न क़बूल किया जाएगा और आख़िरत में वह नाकाम व नामुराद रहेगा।"

(क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-85)

6. इनसानी हुक़ूक़ (मानवाधिकार)

दुनिया के इतिहास में क़ुरआन वह पहली किताब है जिसने साढे चौद सौ साल पहले इनसानी हुक़ूक़ (अधिकारों) का निर्धारण बड़े पैमाने पर कि है। इससे पहले इतनी व्यापकता के साथ किसी आसमानी किताब में १ हुक़ूक़ और अधिकार बयान नहीं किए गए थे। दुनिया के विभिन्न देशों जो हुक़ूक़ और अधिकार दिए गए हैं उनका इतिहास दो सौ साल से ज़्या नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार तो सन् 1948 ई॰ में दिए गए और वे भी काग़ज़ी हैं। इनसान को पैदा करनेवाले मालिक, स्वामी अं शासक (हाकिम) ने इनसान के जो हुक़ूक़ व अधिकार निर्धारित किए हैं, ये हैं—

1. हर इनसान की जान एहतिराम के क़ाबिल (सम्माननीय) है।

(सूरा-5 माइदा, आयत-32, सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-3

2. उसको अपने माल की मिलकियत और उसकी हिफ़ाज़त का हक़ है

(सूरा-2 बक़रा, आयत-18

3. उसको अपनी इज़्ज़त-आबरू की हिफ़ाज़त का हक़ है।

(सूरा-49 हुजुरात, आयतें-11, 1

4. हर आदमी को उसकी निजी ज़िन्दगी का हक़ है।

(सूरा-24 नूर, आयत-2

5. राय प्रकट करने की आज़ादी का उसको हक़ है।

(सूरा-3 आले-इमरान, आयत-11

6. मज़हबी (धार्मिक) आज़ादी का हक़ है। (सूरा-2 बक़रा, आयत-25

7. आज़ादी और इजतिमा (जन-सभा) का हक़ है।

(सूरा-3 आले-इमरान, आयत-10

8. मज़हबी दिल आज़ादी से हिफ़ाज़त का हक़ है।

(सूरा-6 अनआम, आयत-108)

ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़ है।

(सूरा-4 निसा, आयत-148)

. हर आदमी अपने काम का ख़ुद ज़िम्मेदार है, न कि दूसरे के काम का।

(सूरा-6 अनआम, आयत-164)

. अद्ल और इनसाफ़ का हक़ है।

(सूरा-4 निसा, आयत-58; सूरा-5 माइदा, आयत-8)

. किसी के ख़िलाफ़ कारवाई इनसाफ़ के बग़ैर न की जाए।

(सूरा-49 हुजुरात, आयत-6)

. बराबरी का हक़ है। (सूरा-28 क़सस, आयत-4)

. हर इनसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जाएँ।

(सूरा-51 ज़ारियात, आयत-19)

बहुत सारे देशों के संविधानों में अगरचे इस क़िस्म के अधिकार दर्ज हैं किन अमली तौर पर उसको बरता नहीं जाता और हुकमराँ तबक़ा या हुसंख्यक लोग अपने अधीन अल्पसंख्यकों को इन अधिकारों से महरूम कर ते हैं। मगर इस्लाम ने इन हुक़ूक़ और अधिकारों के मुताबिक़ सोसाइटी को ायम किया था और ज़िम्मियों (ग़ैर-मुस्लिमों) के भी पूरे-पूरे अधिकार दिए । उसके बाद भी मुस्लिम हुकूमतों में इसको बरक़रार रखा।

. गुमराही के तीन बड़े सबब

क़ुरआन मजीद ने इनसान की गुमराही की तीन बड़ी वजहें बताई हैं। गर आदमी उनपर कन्ट्रोल कर ले तो सीधे रास्ते को पाना और उसपर लना आसान हो जाता है और वे ये हैं—

) **नफ़्स की बन्दगी**— जो आदमी अपने नफ़्स की ख़ाहिशों को अपना ख़ुदा ना लेता है और उसके कहने पर चलता रहता है, उसका मामला बिलकुल लगाम घोड़े की तरह हो जाता है, जो हर हद को फलाँगता है, हर खेत में रता है और जिंसी ख़ाहिश को पूरा करने में आज़ाद रहता है और आराम चैन हासिल करता है।

"कभी तुमने उस आदमी के हाल पर ग़ौर किया है जिसने नफ़्स

की ख़ाहिश को अपना ख़ुदा बना लिया हो? क्या तुम ऐसे आदमी को सीधे रास्ते पर लाने का ज़िम्मा ले सकते हो। क्या तुम समझते हो कि उनमें से अकसर लोग सुनते और समझते हैं? ये तो जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी गए गुज़रे।"

(क़ुरआन, सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयतें-43, 44)

जो इनसान अपने मन की हर इच्छा को पूरी करता रहता है तो मा वह अपने मन की पैरवी और अनुपालन कर रहा है। मन मज़े-मज़े का खा चाहता है, यह नहीं देखा कि हलाल है या हराम। नफ़्स (मन) अपनी जिं ख़ाहिश को पूरा करना चाहता है, उसको नहीं मालूम कि ज़िना और बदक क्या है। नफ़्स तो तफ़रीह और सुख-चैन चाहता है, वह इसे पूरा करता चाहे नाजाइज़ तरीक़े से हो या कि जाइज़। अब इनसान का यह हाल जाता है तो उसमें और दूसरे जानवरों में कोई फ़र्क़ नहीं रह जाता। जान हलाल-हराम, नेकी और बदी में कोई फ़र्क़ नहीं करता, उसको अख़लाक़ी (नैतिक समस्याएँ) नहीं मालूम। इसी तरह नफ़्स की ख़ाहिशों की पैरवी क को क़ुरआन मजीद 'नफ़्स को ख़ुदा बना लेना' कहता है।[11] जबकि क़ुरअ की दावत यह है कि इनसान अपनी मर्ज़ी को ख़ुदा के हवाले कर दे।[1

(ii) बाप-दादा की अंधी पैरवी– गुमराही की सबसे अहम वजह इनसान अपने बाप-दादा, ख़ानदान, क़बीले के रस्म-रिवाज की अंधी पैरवी करना यह अंधी पैरवी भी भेड़-बकरियों की चाल है। अगले जिस दिशा में जाते पिछले भी वे सोचे-समझे उसी दिशा में चल पड़ते हैं। वे नहीं जानते अंजाम क्या होगा। क़ुरआन में है–

"जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो हुक्म उतारे हैं उनकी पैरवी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीक़े की पैरवी करेंगे जिसपर हमने अपने बाप-दादा को पाया है। अच्छा अगर उनके बाप-दादा ने अक़्ल से कुछ भी काम न लिया हो और सीधा रास्ता न पाया हो तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएँगे? ये लोग जिन्होंने ख़ुदा के बताए हुए तरीक़े पर चलने से इनकार कर दिया है, उनकी हालत बिलकुल

ऐसी ही है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वे हाँक-पुकार की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूँगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती।[13] (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयतें-170, 171)

इस तरह जब अंधी पैरवी करनेवालों से कहा जाता है कि फ़ुलाँ चीज़ ात है, उसको छोड़ दो, तो कहते हैं कि तुम नई बात कह रहे हो, हम ाको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे ख़ानदान की यह पुरानी रीत है, हमने ाने बड़ों को ऐसा ही करते हुए देखा, या हमारे क़बीले का यह रिवाज है। । तरह का जवाब बीते ज़माने की गुमराह क़ौमों ने अपने-अपने नबियों र पैग़म्बरों को दिया था। नूह (अलैहि०) की क़ौम, आद की क़ौम, समूद क़ौम, शुऐब की क़ौम और इबराहीम (अलैहि०) की क़ौम वग़ैरा ने।[14]

मुसलमानों में भी जो बिगड़े हुए जाहिल और कपटाचारी क़िस्म के लोग उनका हाल भी यही है कि जब उन्हें अल्लाह और रसूल (क़ुरआन और न्नत) की तरफ़ बुलाया जाता है तो उस तरफ़ आने से कतराते हैं।[15]

i) दुनियापरस्त लोगों की पैरवी– गुमराही की तीसरी बुनियादी वजह यह कि दुनियापरस्त लोगों के पीछे लोग चल पड़ते हैं। क़ुरआन कहता है–

"और ऐ नबी, अगर तुम लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं तो वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वे तो महज़ गुमान पर चलते हैं और अटकल-बाज़ियाँ करते हैं।" (क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-116)

आम तौर पर लोगा दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं उनके पीछे चलते हैं। ामें समाज का खाता-पीता तबक़ा होता है, जो दूसरों के लिए मिसाली होते । आम लोग फ़िल्मी सितारों वग़ैरा के परस्तार होते हैं। उनके रंग-ढ़ंग और इफ़-स्टाइल अपना लेते हैं। उनमें बुरे आलिम, पीर-फ़क़ीर, सूफ़ी, तांत्रिक, ारत वग़ैरा क़िस्म के लोग होते हैं, जिनको जाहिल अवाम की अक्सरियत नती है। कुछ सियासी लीडर और शासक तबक़ा होता है, जिनके पीछे न्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और उनकी हाँ-में-हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ासे बहुत कुछ फ़ायदे जुड़े होते हैं।

ये वे लोग हैं जो ख़ुदा से बेज़ार हैं, जिन्होंने आख़िरत के मुक़ाबले दुनिया को ज़्यादा अहमियत दे रखी है। उनमें हक़ मारनेवाले ज़ालिम, गुन और बुराईयों में गिरफ़्तार, न्याय से हटनेवाले और पस्ती में गिरनेवाले, से गुज़रनेवाले, फ़साद फ़ैलानेवाले, अय्याश क़िस्म के लोग होते हैं। ज़ा है कि ये सब गुमराह लोग हैं, इस तरह के लोगों के पीछे चलना गुमराही जिसका अंजाम तबाही है।

क़ुरआन मजीद की दावत यह है कि तुम न नफ़्स की बन्दगी करो, बाप-दादा की अँधी पैरवी करो और न दुनियापरस्त ख़ुदा से ग़ाफ़िल लो के पीछे चलो। बल्कि तुम सिर्फ़ एक अल्लाह की बन्दगी करो और उर पैग़म्बर की इताअत और पैरवी करो, यही सीधा-सच्चा रास्ता है।

8. क़ुरआन के हुक्म अमल के क़ाबिल हैं

अल्लाह इनसान का पैदा करनेवाला है, वह इनसान को अच्छी त जानता है कि इनसान में क्या कमज़ोरियाँ हैं और क्या ख़ूबियाँ हैं। उ कितनी क़ाबिलियत है, वह क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकत इसलिए ख़ुदा ने क़ुरआन में जो हुक्म दिए हैं वे सब अमल करने के क़ाबिल

> "अल्लाह किसी जान पर उसकी ताक़त से बढ़कर ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं डालता।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-286)
>
> "और उसने दीन के मामले में तुमपर कोई तंगी नहीं रखी।" (क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयत-78)
>
> "अल्लाह तुम्हारे साथ नर्मी करना चाहता है, सख़्ती करना नहीं चाहता।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-185)

अगर कोई कहता है कि अल्लाह के फ़ुलाँ हुक्म पर अमल करना मुश्कि है तो वह ग़लत कहता है। क्योंकि क़ुरआन में कोई एक हुक्म भी ऐसा न है जो नामुमकिन हो। नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और हलाल-हराम हुक्म। दूसरे सामाजिक, आर्थिक और सियासी हुक्मों में कोई भी ऐसी चे नहीं है जिसपर इनसान अमल न कर सकता हो। मिसाल के तौर इबा को देखिएः दिन-रात के अलग-अलग वक़्तों में सिर्फ़ पाँच वक़्त की ही नम फ़र्ज़ की गई है, पचास वक़्त की नहीं। रोज़े साल में सिर्फ़ एक महीने के ि

फ़र्ज़ हैं, इसमें भी मरीज़, मुसाफ़िर के लिए रिआयतें हैं। ज़कात सिर्फ़ ़दारों पर सालाना ढ़ाई फ़ीसद (2.5%) फ़र्ज़ है और इसी तरह हज भी न्दगी में सिर्फ़ एक बार उन्हीं पर फ़र्ज़ है जो वहाँ जाने-आने के ख़र्चे दाश्त कर सकते हों। क़ुरआन मजीद के हुक्मों में सन्तुलन है, किसी ुमकिन या भारी काम की माँग नहीं है।

इसी तरह खाने-पीने का मामला है, मिसाल के तौर पर मुरदार, ख़ून, र का गोश्त और अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर ज़ब्ह किया हुआ नवर का गोश्त, शराब और नशेवाली चीज़ें। इसी तरह उसने समाजी ले में कुछ रिश्तों से शादी को मना किया है, ज़िना और बदकारी को म किया है। माल और रोज़ी के मामले में ग़लत तरीक़े से माल कमाने ो सूद (ब्याज), जुआ, रिश्वत, मीरास और यतीमों के माल में हक़ मारने र कम नापने और तौलने से मना किया है।[16]

जिन बातों से मना किया गया है वे बहुत थोड़ी हैं। उनके अलावा सारी ज़ें हलाल (वैध) कर दी गई हैं। ये हलाल-हराम, जाइज़-नाजाइज़ किसी म को करने या करने के हुक्म को मानने में इनसान ही की भलाई है। तरह अल्लाह कुछ चीज़ों को हराम करके इम्तिहान भी लेता है। वह यह ना भी चाहता है कि बन्दा मेरी मना की हुई चीज़ों से बचता है या नहीं। न चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया है उनमें इनसान के लिए बड़े नुक़सान उनसे बचने का फ़ायदा इनसान ही को होनेवाला है। क़ुरआन की हर म में 'हिक्मत' छिपी है।

जिन लोगों ने अपने तौर पर ख़ुदा की ख़ुशनूदी की ख़ातिर कुछ न्दियाँ लागू कर ली थीं, जैसे अविवाहित रहना, संन्यास, रहबानियत और क-साफ़ रोज़ी से बचना। क़ुरआन मजीद ने इसकी सराहना नहीं की। आन का रास्ता सन्तुलन का है।[17]

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) के ज़माने से लेकर आज तक मुसलमान आन के हुक्मों पर बराबर कमो-बेश अमल कर रहे हैं, इसलिए कोई यह ं कह सकता कि इसपर अमल करना नामुमकिन है। अल्लाह ने अपने मों और फ़र्ज़ों (कर्त्तव्यों) को तय कर दिया है। लेकिन अल्लाह की क़ुरबत

(नज़दीकी) हासिल करने के लिए, नफ़्लों, परहेज़गारी, ख़ुदा का डर ‍
एहसान की कोई हद नहीं। हर इनसान अपनी क़ाबिलियत, सलाहियत ‍
ताक़त के मुताबिक़ जितनी चाहे नफ़्ल नमाज़ें पढ़ सकता है और जित
चाहे सदक़ा-ख़ैरात कर सकता है।[18]

9. जगत् और इनसान के अन्दर अल्लाह की निशानियाँ

"अनक़रीब हम उनको अपनी निशानियाँ दुनिया में भी दिखाएँगे और उनके अपने नफ़्स में भी, यहाँ तक कि उनपर यह बात खुल जाएगी कि यह क़ुरआन सचमुच बिलकुल सच्चा है।"

(क़ुरआन, सूरा-41 हा-मीम-सजदा, आयत-53)

(i) कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा पुकार-पुकार कर अपने पैदा करनेवाले ख़ुदा गवाही दे रहा है। लेकिन अकसर लोग उस पुकार को सुनते नहीं। उस निशानियाँ पूरी कायनात में फैली हुई हैं और ख़ुद इनसान की अपनी ज़ में मौजूद हैं। कायनात की हर चीज़ में, चमकते सूरज से लेकर मिट्टी कण-कण और पानी की हर बूँद और घास की एक-एक पत्ती में अल्लाह हज़ारों निशानियाँ छिपी हुई हैं।

क़ुरआन ने जिन लोगों से बात की उनके चारों तरफ़ फैली हुई बेशु निशानियों की तरफ़ ध्यान दिलाया है, जो रात-दिन उनके देखने में अ रहती थीं।

"ये लोग क्या ऊँटों को नहीं देखते कि कैसे बनाए गए? आसमान को नहीं देखते कि कैसे उठाया गया? पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे जमाए गए? और ज़मीन को नहीं देखते कि कैसे बिछाई गई।"

(क़ुरआन, सूरा-88 ग़ाशियह, आयतें-17 से 20)

इसी तरह क़ुरआन में बेशुमार जगहों पर अल्लाह की निशानियों तरफ़ इशारे किए गए हैं। आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, रात ‍ दिन के आने में, सूरज की रौशनी और गर्मी में, उसके निकलने और डू में, चाँद की घटती और बढ़ती मंज़िलों में, सितारों की झिलमिलाहट सैयारों (ग्रहों) के अपनी-अपनी सीमा में तैरने में (निज़ामे-शमसी व क़

। ज़मीन के फैलाव में और इसमें छिपे हुए खनिज-पदार्थों के भंडारों में, सके उपजाऊ होने में, ज़मीन पर मज़बूत जमे हुए रंग-बिरंगें पहाड़ों में, देयों और समुद्रों में और उनमें तैरती पहाड़ों जैसी भारी-भरकम कश्तियों । समुद्रों से ताज़ा गोश्त और मोती-मूँगे निकाले जाते हैं जो इनसानों के म आते हैं। पानी के भाप बनकर उड़ने और बादलों के बनने और बिखर ने में, बादलों के गरजने और बिजली चमकने में, हवाओं के चलने और रिशों के बरसने में। मुर्दा ज़मीन से पौधे निकलने में, जानवरों के रेवड़ों उनसे सवारी, दूध, गोश्त, ऊन और दूसरे फ़ायदे भी हैं। जंगलों की ऋड़ी में, ग़ल्ला की पैदावार में, घने बाग़ों, फलों और शहद में।

i) इन आसमानी और दुनिया जहान की निशानियों के अलावा इनसान द अपने-आप पर ग़ौर करे। ख़ुदा का फ़रमान है—

> "हमने इनसान को मिट्टी के सत् से बनाया, फिर उसे एक महफ़ूज़ जगह टपकती हुई बूंद में तबदील किया।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-23 मोमिनून, आयतें-12, 13)

> "अल्लाह ही तो है जिसने कमज़ोरी की हालत में तुम्हारी पैदाइश की शुरुआत की, फिर उस कमज़ोरी के बाद तुम्हें ताक़त अता की, फिर उस ताक़त के बाद तुम्हें कमज़ोर और बूढ़ा कर दिया। वह जो कुछ चाहता है पैदा करता है। वह सब कुछ जाननेवाला, हर चीज़ पर क़ुदरत रखनेवाला है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-30 रूम, आयत-54)

> "वह अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की ताक़तें दीं और सोचने को दिल दिए। मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुज़ार होते हो।" (क़ुरआन, सूरा-23 मोमिनून, आयत-78)

इनसान ज़रा अपने-आपपर ग़ौर करे कि अल्लाह ने उसे किस तरह नाया है। पहले मिट्टी से, फिर नुतफ़े (वीर्य) से जो माँ के गर्भ में कई रहलों से गुज़रने के बाद मुक़र्रर वक़्त पर कमज़ोरी की हालत में पैदा किया या। धीरे-धीरे उसमें सुनने, देखने और अक़्ल की सलाहियतें (योग्यताएँ) दा कीं। क़ुरआन ने कई जगहों पर अल्लाह के इनसान पर एहसानों को

बयान किया है। मिसाल के तौर पर मर्द और औरत का जोड़ा बनाया। उ आपसी मुहब्बत, दोस्ती और लगाव रख दिया। फिर उनसे उसकी नस्ल ज की। लोगों के रंगों और ज़बानों के अलग-अलग होने में, उनके गरोहों अ क़बीलों के बँटवारे में, इनसानों को दी गई बेशुमार सलाहियतों अ क़ाबलियतों में अल्लाह की निशानियाँ हैं। उसकी आँखों की देखने ताक़त, कानों की सुनने की ताक़त, ज़बान की बोलने की ताक़त, नाक सूँघने और महसूस करने में इनसान ग़ौर करे, उसकी ज़ेहनी क़ाबिलियत व्यापकता कितनी ज़्यादा है। इन सबमें अल्लाह की रचना शक्ति का कम नज़र आता है। इन निशानियों के बयान के बाद फ़रमाया जाता है—

> "बेशक इसमें बहुत-सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ग़ौर-फ़िक्र करते हैं।" (क़ुरआन, सूरा-30 रूम, आयत-21)

(अल्लाह की निशानियों के लिए क़ुरआन के मुख़्तलिफ़ मक़ामों को देखिए सूरा-2 बक़रा, आयत-164; सूरा-6 अनआम, आयत-99; सूरा-10 यून आयत-5; सूरा-30 रूम, आयतें-20 से 24; सूरा-16 नह्ल, आयतें-10 से 65 से 79; सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-190, 191)

क़ुरआन में अल्लाह की निशानियों का उल्लेख बहुत ज़्यादा हुआ उन निशानियों की तरफ़ ध्यान दिलाने का मक़सद यह है कि लोग अल्ल की तौहीद (एक होने), उसके जगत्-प्रबन्ध, इनसानों पर उसके एहस और इनामों को जानें और समझें। ख़ुदा के साथ किसी को साझी न बन ख़ुदा के एक होने पर ईमान लाएँ और उसके क़ानून के मुताबिक़ ही अप ज़िन्दगी के चाल-चलन को दुरुस्त और ठीक करें।

10. मिसालें और उपमाएँ

क़ुरआन मजीद दुनिया-जहान के इनसानों के लिए हिदायत (मार्ग-दश है। इनसानों में हर क़िस्म के लोग होते हैं। अक़्लमन्द, दरमियानी और स समझ-बूझ रखनेवाले भी। कई बार लम्बी बातचीत और बहसों से बात स में नहीं आती। मगर वही बात एक छोटी-सी मिसाल (Parable) से आस से समझ में आ जाती है। बाइबल में मरयम के बेटे हज़रत ईसा (अलै के वाज़ों (उपदेशों) में हमें अधिकता से मिसालें मिलती हैं। फिर क़ुरआन

ागों को समझाने के लिए मिसालें और उपमाओं का ख़ूब इस्तेमाल किया है।

"हमने इस क़ुरआन में लोगों को तरह-तरह की मिसालें दी हैं ताकि ये होश में आएँ।" (क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयत-27)

क़ुरआन मजीद की कुछ मिसालें नीचे दी जा रही हैं—

कलिमा-ए-तय्यबा (अच्छी और पाकीज़ा बात) की मिसाल बरकतवाले ़ से दी गई है, जिसकी जड़ें ज़मीन में गहरी हैं और जिसकी शाख़ें ासमानों तक फैली हुई हैं। इसके बरख़िलाफ़ ख़बीस कलिमे (गन्दी और पवित्र बात) की मिसाल एक बेअस्ल पौधे की तरह है जो आसानी से ख़ाड़ फेंका जाता है। (क़ुरआन, सूरा-14 इबराहीम, आयत-24)

लोग अल्लाह को छोड़कर जिन-जिन बेअस्ल हस्तियों की पूजा-परस्तिश रते हैं वे सब मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। बुत और उसको ानेवाले दोनों कमज़ोर हैं। अस्ल में उन्होंने अल्लाह की क़द्र नहीं की।

(क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयत-73)

लोग अल्लाह के रास्ते में जो ख़र्च करते हैं उसकी मिसाल ऐसी है जैसे क दाना ज़मीन में बोया गया जिससे सात बालें निकल आईं और हर बाल सौ-सौ (100) दाने हैं और इससे ज़्यादा भी अल्लाह बढ़ोतरी करता है। ह मिसाल भलाई के कामों में ख़र्च करनेवालों की है कि उनका इनाम ाकी इस भलाई की बिना पर बढ़ा-चढ़ाकर दिया जाता है।)

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-261)

वह इनसान जिसने अपनी ज़िन्दगी की बुनियाद अल्लाह के डर और हेज़गारी पर रखी है ऐसा है जैसा कि उसने कोई मज़बूत चट्टान पर ारत बनाई। बरख़िलाफ़ इसके जिसने अपनी ज़िन्दगी की इमारत खोखली ट्टी पर उठाई हो (यानी असत्य और नास्तिकता पर), वह किसी भी पल र सकती है। (क़ुरआन, सूरा-9 तौबा, आयत-109)

अगर क़ुरआन को किसी पहाड़ पर उतार दिया जाता (और उसे इस म्मेदारी का एहसास और शऊर होता) तो वह अल्लाह के डर से काँप ़ता। ये मिसालें लोगों के ग़ौर-फ़िक्र के लिए हैं।

(क़ुरआन, सूरा-59 हश्र, आयत-21)

● इसी तरह कभी-कभी शब्दों के इशारों में बात के मक़सद को बयान व दिया जाता है, इसको तशबीह (उपमा) और किनाया कहा जाता है। जिस बात में ख़ूबसूरती और बयान में हुस्न पैदा होता है।

● तौरात रखनेवालों की मिसाल गधे से की गई है जो बोझ उठाता लेकिन उसको अपने उठाए हुए बोझ की अहमियत नहीं मालूम होती।

(क़ुरआन, सूरा-62 जुमुआ, आयत-

● जो दुनियापरस्ती में नफ़्स (मन) का बन्दा बनकर ख़ुदा की आय (हुक्मों) को छोड़ देता है, उसकी मिसाल ज़बान लटकाए हुए लालची कु से दी गई है। (क़ुरआन, सूरा-7 आराफ़, आयत-17

● बुरी आवाज़ को गधे की आवाज़ से उपमा दी गई है।

(क़ुरआन, सूरा-31 लुक़मान, आयत-1

● ख़ुदा के इनकारियों और नाफ़रमानों के आमाल (कर्म) रेगिस्तान मरीचिका (सराब) के समान होते हैं। (यानी वे एक धोखा होते हैं)

(क़ुरआन, सूरा-24 नूर, आयत-3

● जो आँखें बन्द करके लोगों के पीछे चलते हैं अंधे हैं उनकी जानवरों उपमा दी गई है। वे लोग अल्लाह की दी हुई नेमतों, सुनने, देखने और अ़ की ताक़त इस्तेमाल नहीं करते। (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-17

11. क़ुरआनी क़िस्से

● इनसानी इतिहास बहुत लम्बा है। दुनिया में अनगिनत क़ौमें आईं अं गुज़र गईं। लेकिन क़ुरआन में कुछ क़ौमों का ज़िक्र किया गया है। ख़ासव उन क़ौमों का जिनसे अरबवाले वाक़िफ़ थे और जिनकी उजड़ी हुई बस्ति से उनके काफ़िले गुज़रते थे।

> "ऐ नबी! तुमसे पहले हम बहुत-से पैग़म्बर भेज चुके हैं, जिनमें से कुछ के हालात हमने तुमको बताएँ हैं और कुछ के नहीं बताए।" (क़ुरआन, सूरा-40 मोमिन, आयत-78)

● क़ुरआन का एक बड़ा हिस्सा सच्चे क़िस्सों पर आधारित है। इनमें प गुज़री हुई क़ौमों का ज़िक्र आया है, वे ये हैं— आदम (अलैहि॰) और इबर् का क़िस्सा, नूह की क़ौम, आद की क़ौम, समूद की क़ौम, शुऐब की क़ौ

बराहीम की क़ौम, लूत की क़ौम, तुब्बअ की क़ौम, मूसा की क़ौम, नी-इसराईल, यूसुफ़ का क़िस्सा और इनके अलावा असहाबुस-सफ़ीना कश्तीवालों), असहाबुल-कह्फ़ (गुफावालों), असहाबुल-फ़ील (हाथीवालों), सहाबुल-क़रया (बस्तीवालों), असहाबुस-सब्त (सब्तवालों), असहाबुल-उख़दूद गढ़ेवालों), असहाबुल-जिन्न (जिन्नवालों), असहाबुल-हिज्र (हिज्रवालों), सहाबुल-ऐका (ऐकावालों), असहाबुर-रस (रसवालों), ज़ुल-क़रनैन के सच्चे क़िस्से आए हैं।

- उन क़िस्सों के बयान करने का मक़सद यह है कि लोग उनसे इबरत और नसीहत हासिल करें।

> "बीते ज़माने के लोगों के क़िस्सों में अक़्ल और होश रखनेवालों के लिए इबरत (सबक़) है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-12 यूसुफ़, आयत-111)
>
> "हमने इस क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिए आसान ज़रिआ बनाया है। फिर क्या है कोई नसीहत क़बूल करनेवाला?"
>
> (क़ुरआन, सूरा-54 क़मर, आयत-17)

- क़ुरआन में क़िस्सों का बयान ऐतिहासिक किताबों की तरह नहीं है। सलिए जब हम क़ुरआन में किसी क़ौम और उसकी तरफ़ भेजे जानेवाले ग़म्बर का क़िस्सा पढ़ें तो तफ़सीर और क़ुरआनी इल्म की किताबों में यह खना चाहिए कि वह क़ौम किस ज़माने और किस इलाक़े में आबाद थी, नका क़ौमी किरदार कैसा था? उनके पास जो पैग़म्बर आए थे उनका ग़ाम क्या था? पैग़ाम के मुक़ाबले में उन क़ौमों का रद्दे-अमल (प्रतिक्रिया) या था और चेतावनी के बाद उस क़ौम पर किस तरह का अज़ाब आया? क ही क़िस्से के अलग-अलग पहलुओं को कई सूरा (अध्यायों) में अन्दाज़ दल-बदलकर बयान किया गया है, ताकि एक ही विषय के बार-बार आने े उकताहट भी न हो और उन क़िस्सों की रौशनी में अपने रवैए पर भी ग़ौर करें।

- क़ुरआन मजीद हमें यह भी बताता है कि जिन क़ौमों पर अल्लाह ने अज़ाब उतारा है, वे बड़े मुजरिम, ज़ालिम, फ़सादी और सत्य को झुठलानेवाले े। फिर मुख़्तलिफ़ क़िस्सों में उनके जुर्मों को भी बताया गया है। यानी वे

पैग़म्बरों का मज़ाक़ उड़ाते थे। ख़ुदा के इनकार और शिर्क में मुब्तला थे अपने पैग़म्बरों को नाहक़ क़त्ल करते थे। उनकी लाई हुई किताबों मन-माने तौर पर कमी और ज़्यादती करते थे। ज़ुल्म, घमंड, हक़ से बग़ाव उनका रवय्या था, नाफ़रमानी, अत्याचार, बदकारी, जिंसी अनारकी औ बेराहरवी उनके करतूत थे। ज़मीन में फ़साद फ़ैलाना, माल में लूट-पाट, डाक मारना, रहज़नी उनके काम थे। क़ुरआन की मक्का में उतरनेवाली सूरतों ऐसे क़िस्सों का बयान बहुत ज़्यादा आया है।[19]

12. क़ुरआन में अक़्ल से काम लेने पर ज़ोर

कुछ लोगों का ख़्याल यह है कि मज़हब में अक़्ल का कोई दख़ल न है। हो सकता है कि यह बात दूसरे धर्मों के लिए सच हो। लेकिन क़ुरआ मजीद तो 'इक़रा' (यानी पढ़ो) से शुरू होता है। सुनने और देखने के ज़रि से अक़्ल को इस्तेमाल करने पर ज़ोर देता है, और जो अक़्ल से काम न लेते उनको जानवरों से उपमा देता है—

> "और बेशक बहुत-से जिन्न और इनसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल और दिमाग़ है, मगर वे उनसे सोचते नहीं। उनके पास आँखे हैं, मगर वे उनसे देखते नहीं। उनके पास कान हैं, मगर वे उनसे सुनते नहीं। वे जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुज़रे, ये वे लोग हैं जो ग़फ़लत में खोए हुए हैं।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-7 आराफ़, आयत-179)

इसी वजह से क़ुरआन किसी के पीछे आँख बन्द करके चलने अं उसकी पैरवी की निन्दा करता है, क्योंकि यह वे सोची-समझी चाल जानव की चाल होती है।[20]

सच्ची बात यह है कि अगर इनसान ख़ुद अपने-आप में और कायन में हर तरफ़ फैली हुई निशानियों और क़ुदरत के करिश्मों पर ग़ौर करे अक़्ल दंग रह जाती है और स्वत्रः ज़बान से 'सुबहानल्लाह', अं 'अल्लाहु-अकबर' (यानी अल्लाह महिमावान है और सबसे बड़ा है) निक जाता है। अल्लाह इन निशानियों की तरफ़ इशारा करके कहता है कि

ीज़ों को देखो और ग़ौर करो.......उन खुले-खुले आसार (अलामतों) में नेशानियाँ हैं सुननेवालों के लिए, अक़्ल रखनेवालों के लिए, सोचने-समझने और फ़िक्र करनेवालों के लिए।[21]

सुनने-देखने की ताक़त और दिल तो जानवरों को भी दिए गए हैं, लेकिन वे इसका इस्तेमाल सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए महदूद पैमाने पर करते हैं। दुनिया में जितनी ईजादें (आविष्कार) हैं, विभिन्न विभागों में जो हैरतअंगेज़ तरक़्क़ियाँ हुई हैं, वे सब खोज, इल्म और ग़ौर-फ़िक्र का नतीजा हैं। इसलिए क़ुरआन में इनके इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। क़ुरआन में अनेकों जगहों पर हुक्म दिए जाने के बाद फ़रमाया गया—

> "ये निशानियाँ हमने वाज़ेह कर दी हैं उन लोगों के लिए जो समझ-बूझ रखते हैं।" (क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-98)
>
> "इस तरह अल्लाह अपने हुक्म तुम्हें साफ़-साफ़ बताता है उम्मीद है कि तुम 'समझ-बूझ' कर काम करोगे।
> (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-42)
>
> "इस तरह अल्लाह अपनी बातें तुम्हारे सामने बयान करता है, शायद कि तुम ग़ौर-फ़िक्र करो।"
> (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-266)
>
> "और जिसको हिक्मत मिली, उसे सचमुच बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ़ वही लोग सबक़ लेते हैं जो बुद्धिमान हैं।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-269)
>
> "देखो! हम किस तरह बार-बार विभिन्न तरीक़ों से अपनी निशानियाँ इनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि ये हक़ीक़त को समझ लें।" (क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-65)
>
> "क्या उन लोगों ने क़ुरआन पर 'ग़ौर नहीं किया', या उनके दिलों पर ताले चढ़े हुए हैं।?" (क़ुरआन, सूरा-47 मुहम्मद, आयत-24)

क़ुरआन की इन आयतों में इल्म, अक़्ल, और ग़ौर-फ़िक्र, चिन्तन-मनन और हिकमत पर ज़ोर दिया गया है। इल्म (ज्ञान) ही वह चीज़ है जो इनसान में समझ-बूझ पैदा करता है। हज़रत आदम (अलैहि॰) को पहले इल्म दिया गया—

"और अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए।"

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-31)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की पहली वह्य (प्रकाशना) में फ़रमाया गया-

"इनसान को वह इल्म दिया गया, जो वह नहीं जानता था।"

(क़ुरआन, सूरा-96 अलक़, आयत-5)

अस्ल में सारे इल्मों का स्रोत अल्लाह ही की हस्ती है, चाहे उसे इनसा ने अपने तौर पर हासिल किया हो या उसके दिल में अल्लाह की ओर डाला गया हो। जिहालत (अज्ञान) अंधकार है और इल्म रौशनी है फ़ायदेमन्द इल्म अल्लाह की किताब का इल्म है।

इल्म सीखकर उसमें दानाई (दूरदर्शिता) हासिल करने के लिए 'ताि तुम दीन की समझ पैदा करो' कहा गया है। किसी मसले का हल निकाल के लिए 'उससे सही नतीजा निकाल सकें' कहा गया है और बातों की त तक पहुँचने को 'मामलाफ़हमी' कहा गया है।[22]

फ़िक़्ह और शरीअत में अक़्ल का इस्तेमाल करके मसलों के हल समाधान के लिए क़यास (अनुमान) और नतीजा निकालना और क इजतिहाद (नेक नियती से दीन का अध्ययन करके राय क़ायम करना) काम लिया जाता है। अगर यह न हो तो मज़हब बे-जान होकर रह जा है और बदलते हालात में कोई रहनुमाई (मार्ग-दर्शन) मुहैया नहीं व सकता।[23]

इनसान तहक़ीक़ और खोज-बीन से जानकारियाँ जमा करता है अ फिर उन्हें तरतीब देता है। फिर उस पर ग़ौर-फ़िक्र करता है और फिर खु की दी हुई अक़्ल और दूरदर्शिता से फ़ितरत के क़ानून की खोज-बीन कर है। यही चीज़ उसके अन्दर किसी सही नतीजे पर पहुँचने की क़ाबिलिय पैदा करती है, जो इनसानी ज़िन्दगी के अलग-अलग मैदानों में तरक़्क़ी व वजह बनती है और वह उससे फ़ायदा उठाता है।

अल्लाह ने इनसान को दूसरे तमाम जानदारों पर जिन बातों की वज से फ़ज़ीलत (श्रेष्ठता) दी है, उसमें "इल्म और अक़्ल" की बड़ी ख़ अहमियत है। कायनात (सृष्टि) में बहुत सारी चीज़ें इनसान की ख़िदमत

गी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके कन्ट्रोल में दे दी गई है।[24] जिन ोज़ों को इनसान के कन्ट्रोल में दिया गया है, उनपर अक़्ल और तजरिबे ो काम में लाकर वह नए-नए आविष्कार करता है। उनमें हैरत-अंगेज़ नडुब्बियाँ, समुद्री जहाज़, हवाई जहाज़, आसमान में चलनेवाली गाड़ियाँ, नावटी सय्यारे, सैट लाइट, एटम बम, वायरलेस, स्मार्टफ़ोन, टी॰वी॰ न्टरनेट और कंम्प्यूटर वग़ैरा शामिल हैं। ज़िन्दगी के विभागों में हज़ारों ाविष्कार अक़्ल और सलाहियत के इस्तेमाल का ही नतीजा हैं। जब ल्लाह ने इनसान को इल्म और अक़्ल दी है तो उसको काम में लाया जाए। सको काम में न लाना नेमत का इनकार और नाफ़रमानी है। जो उसको स्तेमाल करके काम करेगा, तरक़्क़ी-पर-तरक़्क़ी करता चला जाएगा। पहले ुसलमानों ने इसी इल्म और अक़्ल से काम ले करके अपने अन्दर क़ुव्वत ौर खोज व ईजाद की ताक़त पैदा कर ली थी और मुसलमान ज़िन्दगी के र मैदान और विभाग में दुनिया की रहनुमाई और सरदारी कर रहे थे। ुसलमानों ने खगोलविज्ञान, खाद्य-भंडारण, हिसाब, अंकगणित, बीजगणित, खागणित, पाइथागोरस, गणना (सांख्यकी), भूगोल, भू-मापकी, खेती-बाड़ी, नस्पति, रसायन, धूपघड़ी, जहाज़रानी, समुद्र-मापक, क़ुतुबनुमा, दूरबीन, ौषधि-विज्ञान, जर्राही (आपरेशन-चिकित्सा) और तशरीही-इल्म, दवा बनाना, ेर्माणकला, इंजीनियरिंग वग़ैरा विभागों में ग़ैर-मामूली तरक़्क़ी की थी। ेकिन जब से मुसलमानों ने ज़ेहनी काम छोड़ दिया है उनकी तहक़ीक़ और रक़्क़ी का शोबा (विभाग) बन्द हो गया, उनकी हरकत (कार्य कुशलता) ड़ता का शिकार हो गई और फिर उनके काम को बुनियाद बनाकर यूरोप ेे इल्मी और फ़िक्री (ज्ञानात्मक और वैचारिक) और अमली क़ियादत व हनुमाई अपने हाथ में ले ली। बल्कि सच कहा जाए तो आज के दौर की भी तरक़्क़ियों में मुसलमानों ने बुनियाद मुहैया की थी। जब से उन्होंने इल्म अक़्ल का इस्तेमाल करके काम लेना छोड़ दिया, तो दूसरे के पीछे लनेवाले बन गए।

मगर एक ज़रूरी बात यह है कि अक़्ल को आज़ाद नहीं छोड़ा जा कता, बल्कि इसका इस्तेमाल ख़ुदा की हिदायत के अधीन होना चाहिए

वरना सिर्फ़ अक़्लियत-पसन्दी इनसान को भौतिकवादी, ख़ुदा का इनकार नास्तिक और एक जानवर भी बना देती है, जैसा कि आज पश्चिम व ज़्यादातर आबादी का हाल है। जो ख़ुदा की शिक्षाओं से बेपरवाह होव अपनी ज़िन्दगी की इमारत को सिर्फ़ अपनी अक़्ल और तजरिबे की बुनिय पर खड़ा करता है, वह इनसानी क़द्रों (मूल्यों) से अनजान होता है, नैतिक से खाली होता है। नतीजे में उसकी ज़िन्दगी बुराइयों और फ़साद का शिक हो जाती है।

13. पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) पूरी इनसानियत के रहनुमा

● **पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की बड़ी ख़ुसूसियत–** क़ुरआन मजीद में चौब पैग़म्बरों का ज़िक्र है और उनकी ज़िन्दगी के मुख़्तलिफ़ पहलुओं को बय किया गया है। लेकिन हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के बारे में सबसे ज़्या तफ़सील से बातें आई हैं। सबसे अहम बात यह है कि आप (सल्ल०) व 'आख़िरी नबी' के मंसब पर बिठाते हुए आप (सल्ल०) की पैग़म्बरी को स इनसानों के लिए मुकम्मल बताया गया है[25] और मुसलमानों के लिए अ (सल्ल०) की ज़िन्दगी को नमूने की हैसियत से पेश किया गया है।

> "बेशक तुम लोगों के लिए अल्लाह के पैग़म्बर में एक बेहतरीन नमूना है।" (क़ुरआन, सूरा-33 अहज़ाब, आयत-21)

● **पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की पोज़ीशन–** क़ुरआन मजीद इस बात को पूरी तरह खोलकर बयान करता है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) (न ख़ुदा और न ख़ुदा के अवतार, बल्कि वे) एक इनसान हैं और अल्लाह के ब हैं। वे ख़ुदाई क़ुदरत और इख़्तियार के मालिक नहीं हैं। वे न तो किसी नफ़ा पहुँचा सकते हैं और न नुक़सान, वे ग़ैब (परोक्ष) के ख़ज़ानों के मालि भी नहीं हैं। अल्लाह के पैग़ाम को उसके बन्दों तक पहुँचने की ज़िम्मेद पर पैग़म्बर मुक़र्रर हैं, लेकिन किसी को हिदायत देना या न देना अल्लाह हाथ में है।[26]

● **पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का मक़ाम व मंसब–** इसके साथ क़ुरअ मजीद ईमानवालों को नबी (सल्ल०) के मक़ाम और मंसब से भी अच्छी त वाक़िफ़ करा देता है कि आप (सल्ल०) ख़ुदा के भेजे हुए पसन्दीदा व चुनि

ाम्बर हैं। आप (सल्ल॰) को आला और अफ़ज़ल मक़ाम पर विराजमान ञ्या गया है। ईमानवालों पर यह लाज़िम है कि आप (सल्ल॰) का अदब ोर इज़्ज़त करें। आप (सल्ल॰) पर बराबर दुरूद-सलाम भेजें। आप (सल्ल॰) ास बात का हुक्म दें उसे मान लें और जिससे मना करें उससे रुक जाएँ। ाप (सल्ल॰) की हदीसों और फ़ैसलों के सामने सिर झुका दें। ख़ुदा के हुक्मों पालन में आप (सल्ल॰) की इताअत करें और आप (सल्ल॰) के तरीक़ों ो इताअत और पैरवी करें। आप (सल्ल॰) की इताअत में अल्लाह की ताअत पोशीदा है।[27]

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) के ख़ास ख़ूबियाँ– नबी (सल्ल॰) की ख़ूबियों के ारे में क़ुरआन मजीद में बयान किया गया है कि पैग़म्बरी से पहले की ान्दगी बिलकुल बेदाग़ थी। (दुनिया ने आप (सल्ल॰) के सच्चे और मानतदार होने की गवाही दी थी।) आप (सल्ल॰) मज़बूत इरादेवाले और ल्लाह ही पर भरोसा करनेवाले थे। दूरदर्शी थे, लोगों के क़ुसूरों-कोताहियों ो माफ़ कर देते थे। नर्म मिज़ाज थे, ख़ुदा के बन्दों को सीधे रास्ते पर लाने ो सच्ची तड़प थी। इसी वजह से आप (सल्ल॰) को 'रहमतुल-लिल-आ-लमीन' ुनिया-भर के लिए रहमतवाला) का लक़ब अता किया गया। नबी (सल्ल॰) ल्लाह की बहुत ज़्यादा इबादत किया करते थे। आप (सल्ल॰) का किरदार तिक आचरण के सर्वोच्च दर्जे पर था। आप (सल्ल॰) के बेहतरीन नमूने ो ईमानवालों के लिए अनुपालन योग्य नमूना क़रार दिया गया है।[28]

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल॰) को भेजने का मक़सद– हज़रत मुहम्मद सल्ल॰) का मक़सद इनसानों को अल्लाह की तरफ़ बुलाना था। जो लोग ुदा की शिक्षाओं पर ईमान लाकर और भलाई के रास्ते पर चलें उनको आप सल्ल॰) जन्नत की ख़ुशख़बरी देनेवाले थे। फिर जो इनकार करें उनके लिए हन्नम से डरानेवाले थे। आप (सल्ल॰) लोगों के लिए एक रहनुमा और शन चिराग़ की तरह थे।[29]

नबी (सल्ल॰) लोगों को क़ुरआन सुनाते, उसको तालीम देते। उसकी शरीह और व्याख्या करते और क़ुरआन के हुक्मों पर अमल करके दिखाते ौर बताते। लोगों का तज़किया करते यानी उनसे बुरी आदतें छुड़ाते और

अच्छे अख़लाक़ से उन्हें सवाँरते और सुसज्जित करते।[30]

बीते ज़माने की क़ौमों ने अस्ल दीन-छोड़कर जो कई धर्म बना लिए उनकी हक़ीक़त को वाज़ेह करते और उनकी ग़लतफ़हमियों को दूर करते

नबी (सल्ल॰) नेक बातों का हुक्म देते, बुरी बातों से मना करते। पा चीज़ें हलाल (वैध) करते और नापाक चीज़ें हराम कर देते। लोगों पर से बोझ उतारते जो उन्होंने जिहालत की बिना पर अपने ऊपर लाद लिए थ फिर बेजा रस्मो-रिवाज के बन्धनों से उन्हें आज़ाद कराया। आप (सल्ल पर इस्लाम की शरीअत को मुकम्मल कर दिया गया।[32]

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को दुनिया में हिदायत और सच्चे दीन (ध के साथ भेजने का सबसे बड़ा मक़सद यह था कि उस दीन की शिक्षाओं मुताबिक़ इनसाफ़ का निज़ाम (व्यवस्था) क़ायम किया जाए। उसके हुक और क़ानूनों को जारी और लागू किया जाए। उसके मुताबिक़ सामाजि रहन-सहन, आर्थिक मामलों, हुकूमत व अदालत के निज़ाम को क़ायम कि जाए।[33]

आप (सल्ल॰) से मुहब्बत और इताअत का सुबूत यह है कि अ (सल्ल॰) के लाए हुए मिशन को अपनी ज़िन्दगी का मिशन बना लें।

14. मुस्लिम उम्मत (समुदाय) का काम

क़ुरआन मजीद ने मुसलमानों को "क़ौम" (Nation) नहीं "उम्मत" क है। क़ौमें रंग, नस्ल, ज़बान और वतन से बनती हैं और उनमें उनका अप मफ़ाद (हित) शामिल होता है। जबकि 'उम्मत' के मानी गरोह या जमाअ हैं। क़ुरआन में आया है–

> "और इसी तरह हमने तुमको एक 'उम्मते-वस्त' बनाया है, ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और पैग़म्बर तुमपर गवाह हो।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-143)
>
> "अब दुनिया में ख़ैर-उम्मत (यानी बेहतरीन गरोह) तुम हो जिसे इनसानों की हिदायत और सुधार के लिए मैदान में लाया गया है। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।" (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-110)

इन आयतों में मुसलमानों को 'उम्मते-वस्त' और ख़ैरे-उम्मत' कहा गया है।

'उम्मते-वस्त' यानी इन्टरनेशनल गरोह, जिनका एक अक़ीदा (आस्था) र एक मसलक हो। उम्मते-वस्त से मुराद पूरी दुनिया को क़ौमों के बीच छाँटी हुई, चुनी हुई या चयन की हुई उम्मत। वस्त और सन्तुलन पर ़यम रहनेवाली उम्मत, जिनका ताल्लुक़ सबसे सीधे-सच्चे और सन्तुलित ़स्ते से हो। उम्मते-वस्त का यह काम बताया गया है कि वह दुनिया में पनी करनी-कथनी से इस्लाम की गवाही दे। क़ौली (कथनी) गवाही यह कि अपनी ज़बान से और सारी तबलीग़ (प्रचार-प्रसार) के साधनों को ़तेमाल करते हुए इस्लाम के पैग़ाम को तमाम इनसानों तक (उनकी बानों में) बग़ैर किसी कमी-बेशी के इस तरह पहुँचाना कि हुज्जत तमाम जाए यानी कोई यह न कह सके कि हम तक बात नहीं पहुँची। घर-घर क इस्लाम का पैग़ाम पहुँच जाए। इस्लाम की अमली शहादत यह है कि सलमान इस्लाम का चलता-फिरता नमूना बन जाएँ। यानी इस्लाम के ़ताबिक़ अपनी ज़िन्दगी को ढाल लें। इसी तरह उनकी इजतिमाई (सामूहिक) ़न्दगी और अमली ज़िन्दगी भी उसका नमूना हो। इस्लाम पर अमल करना ़ इस्लाम की तबलीग़ (प्रचार-प्रसार) का ज़रिआ है। मिसाल के तौर पर ोई झूठ न बोले, कम न तौले, धोखा न दे, हर एक के साथ इनसाफ़ हो, ़सी को तकलीफ़ न पहुँचाए, नेकी-भलाई के कामों में सहयोग करे और राई व ज़ुल्म के कामों में सहयोग न करे। बेशक लोग अमल (व्यवहार) से ़तास्सिर होते हैं।

'ख़ैरे-उम्मत' से मुराद बेहतरीन गरोह है। लेकिन साथ ही उसके हतरीन होने की वजह भी बतला दी गई है कि जो इनसानों को भलाई का क्म देती है और बुराई से रोकती है। इसका दूसरा मतलब यह भी हो जाता कि अगर वह यह काम न करे तो ख़ैर-उम्मत कहलाने की हक़दार नहीं ोगी। भलाई के हुक्म देने और बुराई से रोकने का काम हर मुसलमान पर ़ाज़िम है। आम मुसलमानों पर, आलिमों और बुज़ुर्गों पर, अधिकारियों और ़ाकिमों पर लाज़िम है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) फ़रमाते हैं कि "जब तुममें ़ कोई बुराई देखे तो उसे हाथ से यानी बलपूर्वक रोक दे। अगर ऐसा नहीं

कर सकता तो ज़बान से मना करे। अगर इसकी भी हिम्मत नहीं कम-से-कम उसको दिल में बुरा जाने। यह ईमान का सबसे कमतर दर्जा (हदीस : मुस्लि

- क़ुरआन मजीद यह कहता है कि पहले बनी-इसराईल (यहूदियों) को ज़िम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उन्होंने इसको भुला दिया तो उन्हें इस प‍ हटा दिया गया और उनपर अल्लाह की और सब लानत करनेवाले की ला हुई और उनके एक गरोह को इस काम को छोड़ देने पर अज़ाब भी दि गया। यहूदियों के बाद अब मुस्लिम उम्मत को यह हक़ की गवाही अ भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने की अहम ज़िम्मेदारी सौंपी गई है

15. पैग़ाम और प्रचार-प्रसार के लिए हिकमत

दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी मसलक (पंथ) यानी ज़िन्द गुज़ारने के तरीक़े की ओर बुलाना और लोगों के ज़ेहन और फ़िक्र तबदील करना है। क्योंकि बरसों और सदियों से जो लोग जिस मसलक नस्ल-दर-नस्ल चलते रहते हैं उसको आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। उ उनके बाप-दादा की अंधी पैरवी, उनकी जिहालत और ज़माने की रुका बाधक बन जाती हैं। उन्हें अपने मज़हब और ख़ानदान व क़बीलेवालो दुश्मनी मोल लेनी पड़ती है और उनके माली और दुनियावी नुक़सान इससे जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग दिल से मान तो लेते हैं, लेकिन उस गवाही देने की हिम्मत नहीं करते। बहरहाल सत्य के प्रचार का काम तो च रहना है, कोई माने या न माने। सत्य की ओर बुलाना हमारा काम है, इस बाद हिदायत अल्लाह के हाथ में है। दावत किस तरह दी जाए उस सलीक़ा भी क़ुरआन में हमें सिखा दिया गया है। क़ुरआन कहता है—

> "उस आदमी की बात से अच्छी बात किसकी होगी, जिसने अल्लाह की तरफ़ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं फ़रमाँबरदार हूँ, और ऐ नबी! भलाई और बुराई एक जैसी नहीं हैं। तुम बुराई को उस भलाई से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी पड़ी हुई थी वह जिगरी दोस्त बन गया है। यह ख़ूबी नसीब नहीं होती, मगर

उन लोगों को जो सब्र करते हैं और यह मक़ाम हासिल नहीं होता, मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबवाले हैं। और अगर तुम शैतान की तरफ़ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह माँग लो, वह सब कुछ सुनता और जानता है।"

(क़ुरआन, सूरा-41 हा-मीम-सजदा, आयतें-33 से 36)

दावत देनेवाला अपनी दावत के बारे में अच्छी तरह इल्म और ाझ-बूझ रखता है। (क़ुरआन, सूरा-12 यूसुफ़, आयत-108)

दावत देनेवाला जिस चीज़ की तरफ़ लोगों को बुला रहा हो उसपर ख़ुद मल करता हो। (क़ुरआन, सूरा-61 सफ़्फ़, आयत-2)

दावत देनेवाले में अपने मुख़ातब को सीधी राह पर लाने की सच्ची तड़प । (क़ुरआन, सूरा-26 शुअरा, आयत-3)

दावत देनेवाला बेग़रज़ भला चाहनेवाला हो, किसी तरह के बदले का छुक न हो। (क़ुरआन, सूरा-26 शुअरा, आयत-109)

दावत हिकमत और बेहतरीन बात पर आधारित हो।

(क़ुरआन, सूरा-16 नह्ल, आयत-125)

दावत में बातचीत का अन्दाज़ नर्म अपनाना चाहिए।

(क़ुरआन, सूरा-20 ता-हा, आयत-24; सूरा-31 लुक़मान, आयत-18)

भड़का देनेवाली बातों पर सब्र करना चाहिए और दरगुज़र से काम लेना ाहिए। (क़ुरआन, सूरा-7 आराफ़, आयत-199; सूरा-78 मुज़्ज़म्मिल, आयत-10)

बुराई को भलाई से दूर करे, बेहतरीन अख़लाक़ का प्रदर्शन करे।

(क़ुरआन, सूरा-41 हा-मीम-सजदा, आयत-33)

दावत की शुरुआत दोनों के बीच समान बातों से करनी चाहिए।

(क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-64)

आम लोगों के लिए कायनात में फैली हुई निशानियों और मिसालों के ाए आम फ़हम और आसान व सकारात्मक अन्दाज़ अपनाना चाहिए। ढ़े-लिखे लोगों के लिए इल्मी और अक़्ली अन्दाज़ और दलीलों को अपनाया ा सकता है। (क़ुरआन, सूरा-29 अन्‌कबूत, आयत-46)

दावत का काम हर जगह और हर वक़्त किया जा सकता है। घर में,

दोस्तों और संगी-साथियों में और मुसलमानों और ग़ैर-मुस्लिमों में, म
अन्दाज़ मुख़्तलिफ़ होंगे।

इन कुछ बातों को अगर अमली तौर पर बरता जाए तो दावत यक़ी
नतीजा-ख़ेज़ होगी। इन शाअल्लाह।

क़ुरआनी हवाले

(1) सूरा-33 अहज़ाब, आयत-73 (2) सूरा-2 बक़रा, आयतें-38, (3) सूरा-76 दह्र, आयतें-2, 3 (4) सूरा-39 ज़ुमर, आयत-7; सूरा-67 मु आयत-2; सूरा-21 अंबिया, आयत-35; सूरा-6 अनआम, आयत-1 (5) सूरा-51 ज़ारियात, आयत-56; सूरा-15 हिज्र, आयत-99; सूरा- मोमिन, आयत-60 (6) सूरा-6 अनआम, आयत-162; सूरा-2 बक़ आयत-112; सूरा-15 हिज्र, आयत-99; सूरा-39 ज़ुमर आयतें-2, 3; सूरा- मोमिन, आयत-60 (7) सूरा-103 अस्र, आयतें-1 से 3; सूरा-2 बक़ आयत-62; सूरा-5 माइदा, आयत-69; सूरा-18 कह्फ़, आयत-88; सूरा- मरयम, आयत-6; सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-70; सूरा-28 क़सस, आयत- सूरा-34 सबा, आयत-38; सूरा-40 मोमिन, आयत-40; सूरा-64 तग़ा आयत-9; सूरा-29 अन्कबूत, आयत-9; सूरा-4 निसा, आयत-1 (8) सूरा-4 निसा, आयत-136; सूरा-49 हुजुरात, आयत-15 (9) सूर बक़रा, आयतें-131 से 133; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-67; सूरा- यूनुस, आयत-84; सूरा-28 क़सस, आयत-53 (10) सूरा-2 बक़रा, आयत-2 सूरा-16 नह्ल आयतें-36, 64 (11) सूरा-28 क़सस, आयत-50; सूरा- जासिया, आयत-23 (12) सूरा-2 बक़रा, आयत-207 (13) सूरा-5 माइ आयत-164; सूरा-31 लुक़मान, आयत-21 (14) सूरा-43 ज़ुख़रुफ़, आयतें- से 25 (15) सूरा-5 माइदा, आयतें-60, 61 (16) सूरा-2 बक़रा, आयत-1 सूरा-5 माइदा, आयत-90; सूरा-4 निसा, आयतें-10, 22 से 24, सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-32 (17) सूरा-7 आराफ़, आयत-32; सूरा- हदीद, आयत-57 (18) सूरा-2 बक़रा, आयतें-184, 219; सूरा-3 आले-इमर आयत-92 (19) सूरा-7 आराफ़; सूरा-10 यूनुस; सूरा-11 हूद; सूरा- यूसुफ़; सूरा-14 इबराहीम; सूरा-15 हिज्र; सूरा-21 अंबिया; सूरा-26 शुअ

ा-37 साफ़्फ़ात; सूरा-36 यासीन; सूरा-54 क़मर; सूरा-71 नूह (20) सूरा-2 क़रा, आयतें-170, 171 (21) सूरा-16 नह्ल, आयतें-65 से 69; सूरा-2 क़रा, आयत-164 (22) सूरा-9 तौबा, आयत-122; सूरा-4 निसा, आयत-83; ा-12 यूसुफ़, आयत-21 (23) सूरा-4 निसा, आयत-83; सूरा-29 अन्कबूत, ायत-69 (24) सूरा-14 इबराहीम, आयतें-32 से 34 (25) सूरा-33 ह्ज़ाब, आयत-40; सूरा-34 सबा, आयत-28 (26) सूरा-18 कह्फ़, यत-110; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-1; सूरा-6 अनआम, आयत-50; ा-7 आराफ़, आयत-188; सूरा-28 क़सस, आयत-56 (27) सूरा-17 ी-इसराईल, आयत-79; सूरा-49 हुजुरात, आयत-2; सूरा-33 अहज़ाब, यत-56; सूरा-59 हश्र, आयत-7; सूरा-4 निसा, आयतें-65, 80 8) सूरा-10 यूनुस, आयत-16; सूरा-9 तौबा, आयतें-40, 80, 128; सूरा-3 ले-इमरान, आयत-159; सूरा-26 शुअरा, आयत-3; सूरा-21 अंबिया, यत-107; सूरा-73 मुज़्ज़म्मिल, आयत-20; सूरा-68 क़लम, आयत-4; ा-33 अहज़ाब, आयत-21 (29) सूरा-33 अहज़ाब, आयतें-45, 46 0) सूरा-62 जुमुआ, आयत-2; सूरा-16 नह्ल, आयत-44; सूरा-5 माइदा, यत-3 (31) सूरा-16 नह्ल, आयत-64 (32) सूरा-7 आराफ़, आयत-157; ा-5 माइदा, आयत-3 (33) सूरा-57 हदीद, आयत-25; सूरा-9 तौबा, यत-33; सूरा-42 शूरा, आयत-13 (34) सूरा-2 बक़रा, आयत-143; ा-22 हज, आयत-78; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-104; सूरा-5 माइदा, यतें-62, 63; सूरा-7 आराफ़, आयतें-163 से 167

क़ुरआन की जीवन-व्यवस्था

क़ुरआन मजीद में इनसानों के लिए ज़िन्दगी का मुकम्मल निज़ (व्यवस्था) बयान कर दिया गया है। इनसान की अमली ज़िन्दगी का क पहलू ऐसा नहीं है जिसपर क़ुरआन ने वाज़ेह अन्दाज़ में रहनुमाई न की ह क़ुरआन की कोई बात समझ से परे नहीं है।

> "लोगो, हमने तुम्हारी तरफ़ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही ज़िक्र है, क्या तुम समझते नहीं हो?"
>
> (क़ुरआन, सूरा-21 अंबिया, आयत-10)

क़ुरआन मजीद में सब कुछ है, इसका यह मतलब नहीं कि क़ुरआन डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर वग़ैरा ख़ालिस दुनियावी ज्ञान-विज्ञानों तालीम भी है, बल्कि इससे मुराद यह है कि दुनिया में इनसान किस त ज़िन्दगी गुज़ारे और उसके ज़रिए से आख़िरत में कामयाब हो सके, इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है, लेकिन यह अलग-अलग विषयों अ अध्यायों की शक्ल में नहीं, बल्कि क़ुरआन एक ऐसी किताब है जो लो को सत्य की ओर बुलाती और सत्य व न्याय को स्थापित करने का आहव करती और इस बारे में उनकी रहनुमाई करती है, इसलिए उसमें एक विषय की बातें मुख़्तलिफ़ परिप्रेक्ष्य में मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ में कहीं संक्षेप और कहीं विस्तार से आई हैं। उन सबको जोड़कर देखें तो एक पूरा नक़ उभरता है जो विषय-लेख की शक्ल अपना लेता है।

अगर हम यह जानना चाहें कि क़ुरआन की नज़र में इनसान ज़िन्दगी का तसव्वुर और मक़सद क्या है? वह किन-किन इबादतों नसीहत करता है? वह किस तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीति व्यवस्था की तालीम देता है, तो हमको पूरे क़ुरआन में इस विषय के में आयतें तलाश करके उनको समझना होगा और उसमें से जो बात सम न आए उसे नबी (सल्ल॰) की हदीसों में तलाश करना होगा और किसी व इस्लाम का गहरा मुताला (अध्ययन) करके क़ुरआन के उसूलों को मौज हालात पर जोड़ मिलाने के लिए खोजात्मक कोशिश से काम करना पड़े यही काम (इजतिहाद) इस्लाम धर्म को वक़्त के साथ सक्रिय रखता है

तौहीद (एकेश्वरवाद) और शिर्क (अनेकेश्वरवाद) की हक़ीक़त

"कहो, वह अल्लाह है, यकता। अल्लाह सबसे बेनियाज़ है और सब उसके मुहताज हैं। न उसकी कोई औलाद है और न वह किसी की औलाद, और कोई उसके समकक्ष नहीं है।"

(क़ुरआन, सूरा-112 इख़लास, आयतें-1 से 4)

क़ुरआन की मर्कज़ी (केन्द्रीय) दावत तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत । यानी वह एक अल्लाह की बन्दगी की तरफ़ सबको दावत देता है और ऽर वह ईश्वर के बारे में मुकम्मल जानकारी देता है। ख़ुदा सारी ख़ूबियों से ारास्ता (सर्वगुण सम्पन्न) और कमालात और चमत्कारों का ख़ज़ाना है। हर रह की कमियों और ऐबों से पाक-साफ़ है। अल्लाह एक नूर (दिव्य प्रकाश) , वह शक्ल-सूरत, जिस्म व रूप-रेखा, दिशा-दशा और रंग-रूप नहीं रखता। ल्लाह की हस्ती हमारी सोच से परे है। ज़िन्दगी, इल्म, इरादा, क़ुदरत, नने-देखने की ताक़त और कलाम उसके सातों गुण बड़े कमालवाले हैं। सकी ख़ुदाई, रब होने और बादशाहत व हाकमियत में कोई शरीक नहीं।[1]

"अल्लाह (न दो, न तीन, न अनगिनत) सिर्फ़ एक अकेला बल्कि यकता।" वह अविभाजनीय और अंश रहित है। वह हर तरह की ज़रूरतों और ाजतों से पाक है। न उसे खाने की ज़रूरत है, न पानी की, न हवा की और आराम की। वह सुनता है, लेकिन कान का मुहताज नहीं, वह देखता है, किन आँख का मुहताज नहीं।[2] वही कायनात की तदबीर और इन्तिज़ाम ऽरता है और उसके काम में कोई मददगार और शरीक नहीं है।

"अल्लाह सबसे बेनियाज़ है और किसी का मुहताज नहीं है।" वह हर रह की ज़रूरतों और हाजतों से परे है। उसे न थकान होती है, न ऊँघ ाती है और न नींद की ज़रूरत है। वह हर तरह की कमज़ोरियों से पाक ौर बे-ऐब है। वह ज़बरदस्त ताक़तवाला है।[3]

"न वह किसी की औलाद और न उसकी कोई औलाद है।" उसका कोई सब-नसब (वंश और ख़ानदान) नहीं। उसका न कोई बाप है, न जीवन-संगनी

है और न कोई औलाद। औलाद पैदा करने और नस्ल बढ़ाने के सिलि
से वह पाक है। वह हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा। जब कुछ न
तो अल्लाह ही था और जब हर चीज़ फ़ना (विनष्ट) हो जाएगी तो अल्ल
ही बाक़ी रहेगा।[4]

"कोई दूसरा उसका समकक्ष नहीं।" कोई भी न उसका हम रुत्ब
और न बराबर, न हम-पल्ला है। कोई उसके जैसा नहीं है। कोई उस
शरीक और हिस्सेदार नहीं है। उसकी ख़ूबियों में कोई दूसरा कम-से-कम
की भी समता व समानता नहीं रखता।[5]

"वह ज़िन्दा-जावेद हस्ती (जीवन्त सत्ता) है।" वह ख़ुद अपने-अ
क़ायम है। उसकी ज़िन्दगी, हवा, पानी और खाने-पीने की मुहताज नहीं
पूरी कायनात के निज़ाम को वही संभाले हुए है, यानी उसके बलबूते
क़ायम है। अगर एक पल के लिए भी ग़फ़लत हो तो इस कायनात का स
निज़ाम दरहम-बरहम हो जाए। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर च
फ़ना (ख़त्म) हो जाएगी लेकिन उसकी ज़ात हमेशा बाक़ी रहेगी।[6]

"हर चीज़ का पैदा करनेवाला सिर्फ़ अल्लाह है।" वह सबपर ग़ालि
(प्रभावी) है। पूरी कायनात के ज़र्रे-ज़र्रे का पैदा करनेवाला वही है। आसम
और ज़मीन, आसमान में चक्कर लगानेवाले ग्रहों, सय्यारों और अनगि
सितारों की आकाशगंगाओं का वह रचयिता है। वह ईजाद करनेवाला है,
ऐसा ईजाद करनेवाला जो अद्म (शून्य) से वजूद में लानेवाला, हर चीज़
बनानेवाला, हर मख़लूक़ की सूरतगरी करनेवाला है। पैदा करने (रचना)
लिए उसका एक हुक्म काफ़ी है। वह कहता है कि 'हो जा' तो वह
जाती' है।[7]

"वह इस विशाल कायनात की हर चीज़ का रब है।" सारे जहानों
परवरदिगार और पालनहार है। रब वह है जो चीज़ को उसकी निजी ज़रू
और उसकी फ़ितरत के मुताबिक़ क्रमानुसार इस तरह परवान चढ़ाता है
वह कमाल के दर्जे तक पहुँच जाती है। रब वह जो निगहबानी, ख़बरग
करनेवाला, आक़ा और मालिक है। उसकी रुबूबियत (रब होने) में क
शरीक नहीं है।[8]

"वही रोज़ी देनेवाला है।" वह बड़ी ताक़तवाला और ज़बरदस्त है। वही मारा रब है, क्योंकि वही रोज़ी पहुँचाता है। इस रोज़ी पहुँचाने के इन्तिज़ाम अल्लाह कायनात के पूरे निज़ाम को लगा देता है। रोज़ी से मुराद सिर्फ़ ब्राना-पीना नहीं है, बल्कि ज़िन्दगी की वे सारी ज़रूरतें और बख़्शिशें हैं जो ब की तरफ़ से प्राणियों को उनके बाक़ी रहने व वुजूद और नशो-नुमा के लेए लगातार मुहैया की जाती रहती है।[9]

"वह बेइन्तिहा मेहरबान और निहायत रहम करनेवाला है।" वह अपने न्दों से बहुत मुहब्बत करता है। वही बन्दों की तौबा क़बूल करता है, उनकी ख़ताओं को माफ़ करता है। गुनाहों से दरगुज़र करता है। जंगली जानवर और पशु-पक्षी भी अपने बच्चों से मुहब्बत करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, यह अस्ल में उसी रब के रहम की तक़सीम (वितरण) है।[10]

"तुम्हारा ख़ुदा सिर्फ़ एक है।" माबूद (उपास्य) के लिए इलाह शब्द बोला जाता है। जो अपने अन्दर बहुत-से मानी रखता और वह अनेक ख़ूबियों का हासिल है। इलाह (ख़ुदा) वह है जो सत्ता-शासन (इक़तिदार) का मालिक हो और जिसकी सत्ता अविभाजनीय हो, जो सबसे ऊपर और लौकिक-अलौकिक शक्तियोंवाला हो, नफ़ा-नुक़सान का मालिक हो। इलाह (ख़ुदा) वह है जिसमें हाकमियत और फ़रमारवाई की तमाम ख़ूबियाँ मौजूद हो, जो हाकिम, हुक्म और आईन (विधान) देनेवाला हो, इलाह वह है जो सारे इख़्तियारात (सर्वाधिकारों) का मालिक हो। कायनात की रचना, रोज़ी पहुँचाना, ज़िन्दगी-मौत, तक़दीरे-इलाही व ख़ुशनूदी, दिन-रात का आना-जाना सब उसी के मामले हैं। ख़ुदाई की सारी सिफ़तें (विशेषताएँ) उसी में हैं जो अविभाजनीय है। इसी वजह से बन्दे उसको माबूद (पूज्य-प्रभु) समझकर उसकी इबादत करते हैं।[11]

"अल्लाह ज़मीन व आसमान की बादशाही का मालिक है।" जब अल्लाह ही कायनात का पैदा करनेवाला है तो वही कायनात का मालिक भी है। जब वह मालिके-कायनात है तो पूरी कायनात में उसी की बादशाही, फ़रमारवाई और हुक्मरानी है। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है। उसको अपनी सल्तनत के इन्तिज़ाम में किसी के मश्वरे की ज़रूरत नहीं है, न किसी की मदद दरकार है। वह एक अकेला सबका काम

बनानेवाला है। वही महान शासन-सत्ता का मालिक है।[12]

"वह आसमान से ज़मीन तक दुनिया के मामलों की तदबीर करता है कायनात के निज़ाम का वही मुंतज़िम और प्रबन्धक है। वह आसमानों औ ज़मीन को संभाले हुए है और उनको टलने से रोके हुए है, अगर वे टल जा तो कोई उनको थामनेवाला नहीं। सूरज-चाँद का निज़ाम, आकाश मंडल सितारों-सय्यारों की गर्दिश, रात-दिन का आना-जाना, पानी का भाप बनव उड़ना, बादलों का जमा होना, हवाओं का चलना, बारिशों का बरसन पेड़-पौधों का उगना, हर चीज़ की पैदाइश और देख-भाल, पहाड़ों व मज़बूती और नदियों का बहाव वग़ैरा उसी के इन्तिज़ाम हैं।[13]

"उसी की ख़ल्क़ (सृष्टि) है उसी का अम्र (हुक्म) है।"-फ़ैसले का सा इख़्तियार अल्लाह को ही है। पूरी कायनात पर उसी की बादशाही, सुल्तान हुक्मरानी और फ़रमाँरवाई चल रही है। उसकी ख़ुदमुख़्तारी (संप्रभुत (Supreme Authority) और हाकमियत (Savereighty) अविभाजनीय है उसके शासन-सत्ता चलाने में कोई शरीक नहीं है। कायनात की हर ची चाहे न चाहे उसी के फ़रमान के अधीन है।[14]

"वह ज़ाहिर व पोशीदा हर चीज़ का जाननेवाला है।" उसका इल्म चीज़ पर छाया हुआ है। आकाश से पाताल तक हर छिपी चीज़ व जाननेवाला है। वह सुननेवाला, देखनेवाला, बारीकबीं, मेहरबान और ख़ रखनेवाला है। उसी के पास ग़ैब (परोक्ष) की कुंजियाँ हैं, जिन्हें उसके सि कोई नहीं जानता। जल-थल में जो कुछ है, सबसे वह वाक़िफ़ है। पेड़ गिरनेवाला कोई पत्ता ऐसा नहीं है जिसका इल्म उसे न हो। हर मादा के में पलनेवाला और पैदा होनेवाला उसके इल्म में है। ज़माने के अंधेरे प में कोई ऐसा दाना नहीं जिससे वह बाख़बर न हो। सूखा और गीला सब ए किताब में लिखा हुआ है। वह निगाहों की चोरी तक से वाक़िफ़ है, वह सी के छिपे राज़ों से भी वाक़िफ़ है। वह ग़ैब (परोक्ष) का सबसे बड़ा जाननेवा है। उसका इल्म गुज़रे हुए, मौजूदा और आनेवाले समय, खुले छिपे, अं और उजाले हर चीज़ पर छाया है। वह सारी हक़ीक़तों का जाननेवाला इसी लिए कुल इल्म उसी के पास है।[15]

"अल्लाह को हर चीज़ की क़ुदरत है।" आसमान और ज़मीन का कोई र्रा ऐसा नहीं है जिसपर उसका इख़्तियार न हो। उसकी क़ुदरत व ख़्तियार, इल्म और इरादा हर चीज़ को वह अपने घेरे में लिए हुए है। वह ो चाहता है कर डालता है। कोई उसके फ़ैसले पर नज़रसानी (पुनः विचार) रनेवाला नहीं, सारी ताक़तें और इख़्तियार (सत्ता-शासन) अल्लाह ही के ब्ज़े में हैं। ज़िन्दगी और मौत, खिलाना और पिलाना, रोना और शिफ़ा आरोग्य), औलाद देना या न देना, इज़्ज़त व ज़िल्लत, नफ़ा-नुक़सान, आओं का सुनना और क़बूल करना, मुश्किल दूर करना सब उसी की ुदरत और इख़्तियार में है। हर मामले में वही आख़िरी फ़ैसला करनेवाला क्षम और सर्वाधिकारी है।[16]

हक़ और सच्ची बात यह है कि मख़लूक़, अपने ख़ालिक़ (रचयिता) की हचान ख़ुद से हासिल नहीं कर सकती जब तक कि ख़ालिक़ ख़ुद अपने बारे ं न बताए। अल्लाह ने इनसान को अपनी पहचान के हवाले से उतनी ही ातें बताई हैं जो वह समझ सकता है और जो हक़ (सत्य) को तलाश रनेवालों के लिए काफ़ी हैं। वरना अल्लाह का फ़रमान है—

> "ज़मीन में जितने पेड़ हैं अगर वे सब-के-सब क़लम बन जाएँ और समुद्र (रौशनाई बन जाए) जिसे सात और समुद्र रोशनाई मुहैया करें तब भी अल्लाह की बातें (लिखने से) ख़त्म न होंगी। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और हिकमतवाला है।
>
> (क़ुरआन, सूरा-31 लुक़मान, आयत-27)

ौहीद (एकेश्वरवाद) के तक़ाज़े

सिर्फ़ अल्लाह को एक जान लेना और एक मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ इसके अमली तक़ाज़ों को भी पूरा करना भी ख़ुदा को एक ाननेवाले के लिए ज़रूरी है। क़ुरआन में है—

> "ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं।" (क़ुरआन, सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-4)
>
> "तो तुम्हारा ख़ुदा तो सिर्फ़ एक है, तुम अपने आप को उसी के हवाले कर दो।" (क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयत-24)

(i) **इबादत सिर्फ़ अल्लाह ही की करना :** तौहीद का सबसे पहला तक़ाज़ है कि सिर्फ और सिर्फ़ अल्लाह ही बन्दगी की जाए। उसकी बन्दगी में किस को शरीक न किया जाए। बन्दगी की सभी शक्लें उसी के लिए हैं। उसी व लिए हाथ बाँधकर खड़े होना हो, उसी के आगे झुकना और सजदे में गि पड़ना और नज़रो-नियाज़ उसी के लिए हो।[17]

(ii) **मदद अल्लाह ही से माँगी जाए :** अल्लाह के सिवा किसी को कारसाज़ ज़रूरत पूरी करनेवाला, मुश्किल दूर करनेवाला और फ़रियाद सुननेवाला समझा जाए। वह हर वक़्त और हर जगह हाज़िर व नाज़िर है। उसव छोड़कर दूसरों को मुश्किलों और मुसीबतों में न पुकारा जाए (जैसे कि नादा लोग कहते हैं या अली अल-मदद, या अली मुश्किल-कुशा, या ग़ौसे-आज़ दस्तगीर)। जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद तलब करते हैं वे ए ग़ैर शरई हराम काम करते हैं। अल्लाह के औलिया (बुज़ुर्ग) तो अप ज़िन्दगी में अल्लाह से माँगते थे। उनकी मौत के बाद उनके आस्तानों प उनको मदद के लिए पुकारना जिहालत (अज्ञानता) है।[18]

(iii) **दुआएँ अल्लाह ही से माँगना :** तौहीद (यानी ख़ुदा को एक मानने) व तक़ाज़ा यह है कि हम अपनी ज़रूरतों और हाजतों के पूरा होने के लि अल्लाह ही से दुआएँ माँगें। क्योंकि वही दुआओं को सुननेवाला, बलाओं व दूर करनेवाला और हाजतों को पूरा करनेवाला का है। तमाम पैग़म्बर औ अंबिया और बुज़ुर्गाने-दीन अल्लाह ही से दुआएँ माँगा करते थे। ज़रा (संसाधनों) के मालिक से माँगना ही तौहीद का तक़ाज़ा और दानिशमंदी औ समझदारी है।[19]

(iv) **ख़ौफ़ और मुहब्बत अल्लाह ही से रखना :** ईमानवालों की यह शा बतलाई गई है कि वे हर हाल में अल्लाही से डरते हैं। उसी से तक़ (परहेज़गारी) करते हैं। इसी तरह वे अल्लाह की मुहब्बत में सबसे ज़्या पक्के होते हैं। कोई दूसरी मुहब्बत उनपर ग़ालिब नहीं आ सकती।[20]

(v) **नफ़ा और नुक़सान का मालिक अल्लाह ही को समझनाः** नफ़ा देने औ नुक़सान पहुँचाने का अस्ल मालिक अल्लाह ही को समझते हैं। उसके सि किसी में यह क़ुदरत और इख़्तियार नहीं है। ज़िन्दगी-मौत, मर्ज़-शिफ़

लाद का देना और न देना, कामों का बनना और बिगाड़ना सब कुछ उसी क़ब्ज़े और इख़्तियार में है।[21]

i) **पक्का भरोसा उसी पर करना :** अल्लाह पर ईमान का तक़ाज़ा यह है उसी पर पूरा भरोसा और एतिमाद किया जाए। यह चीज़ एक ग़ैबी क़त मुहैया करती है। जो लोग इस अक़ीदे से महरूम रहते हैं वे शगुन कुन) लेनेवाले और वहमी लोग होते हैं। अल्लाह पर जितना ज़्यादा ोसा होगा उसके साथ उतना ही ताल्लुक़ मज़बूत होगा।[22]

ii) **उसी का शुक्र अदा करना :** तौहीद पर यक़ीन रखनेवाला जो भी टी-बड़ी चीज़ पाता है उसपर वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है; क्योंकि ल में नेमतें अता करनेवाला और दाता अल्लाह ही है। मुशरिकों जैसा क़ रखनेवाले मुश्किल आ पड़ने पर तो अल्लाह को पुकारते हैं और श्किल टल जाने के बाद अल्लाह के अलावा पर नज़रो-नियाज़ चढ़ाते हैं र उनकी दुहाई के गुण गाते हैं। वे अस्ल मालिक की एहसान-फ़रामोशी र नमकहरामी करते हैं।[23]

iii) **हलाल और हराम में उसी का क़ानून मानना :** अल्लाह पर ईमान का ाज़ा यह भी है कि उसके हलाल-हराम के क़ानून ही को तसलीम किया ए। यह हक़ किसी को नहीं दिया जा सकता।[24] अलबत्ता उसी के क़ानून तहत क़ानून निकाला और बनाया जा सकता है। जिन चीज़ों को हराम या गया है उनमें नुक़सान और ख़राबियाँ होती हैं।

र्क (अनेकेश्वरवाद) की हक़ीक़त

तौहीद (एकेश्वरवाद) के ख़िलाफ़ शिर्क (अनेकेश्वरवाद) एक बेहूदा र जाहिलाना अक़ीदा है, जिसको कभी फ़ितरत और सही अक़्ल क़बूल ीं कर सकती। शिर्क के लिए न कोई इल्म है, न सनद और न दलील। आन में सबसे ज़्यादा जिस अक़ीदे पर ज़ोर दिया गया है वह तौहीद है र जिसकी सबसे ज़्यादा मज़म्मत (निन्दा) की गई है वह शिर्क है। इसको से बड़ा ज़ुल्म और माफ़ न किया जानेवाला गुनाह कहा गया है। फ़रमाया—

"बेशक शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है।"

(क़ुरआन, सूरा-31 लुक़मान, आयत-13)

"अल्लाह बस शिर्क ही को नहीं माफ़ करता, इसके अलावा दूसरे जिस क़द्र गुनाह हैं वह जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को शरीक ठहराया, उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ गढ़ लिया और यह बड़े सख़्त गुनाह की बात है।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयतें-48, 166)

"जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उसपर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।"

(क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-72)

अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात, हुक़ूक़ और इख़्तियारात में दूसरों को शरी ठहराना शिर्क है।

(i) उसकी ज़ात में शिर्क : ख़ुदाई में अल्लाह के साथ किसी और को शरी करना अल्लाह की ज़ात में शिर्क है। जिस तरह ईसाई हज़रत ईसा (अलै को और यहूदी हज़रत उज़ैर (अलैहि॰) को अल्लाह का बेटा क़रार देते शिर्क करनेवाले अरब के लोग फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ क़रार देते थे उ दूसरे मुशरिक लोग देवी, देवताओं और शाही ख़ानदानों को ख़ुदाओं में शु करते हैं। इसी तरह किसी को ख़ुदा का अवतार मानना कि ख़ुदा इनसानी शक्ल में आ गया है। इस बात को मानना कि ख़ुदा किसी के अ समाहित हो गया है वग़ैरा अक़ीदे रखना अल्लाह की ज़ात में शिर्क है

(ii) उसकी सिफ़ात (गुण) में शिर्क : यह है कि अल्लाह की सिफ़ (विशिष्टताओं) जैसा कि हक़ीक़त में वे हैं वैसा ही दूसरों के लिए क़ देना। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्बूहुन-क़ुद्दूसुन यानी हर तरह के ऐ कमियों, ख़ताओं और भूलने से पाक-साफ़ है तो दूसरों को वैसा ही प समझना। अल्लाह ज़ाहिर और बातिन का जाननेवाला है तो इसी तरह दू को भी ग़ैब का इल्म रखनेवाला समझना और अल्लाह ही की तरह दूसरों हर जगह और हमेशा सुनने-देखनेवाला समझना और मदद के लि पुकारना।

ii) **इबादत में शिर्क :** बन्दों पर अल्लाह का यह हक़ है कि वे उसी के मने हाथ बाँधकर खड़े हों, उसके सामने रुकूअ और सजदे करें, उसी से दद और इनायत माँगें, उसी को ज़रूरत पूरी करनेवाला, मुश्किल दूर रनेवाला, फ़रियाद सुननेवाला, बलाएँ दूर करनेवाला और दाता समझें, उसी मन्नतें और मुरादें माँगें। उसी के नाम से क़ुरबानी करें। उसी से मुहब्बत रें, उसी से डर-ख़ौफ़ और उम्मीदें रखें। उसी के हुक्मों पर चलें। अगर ये ब काम दूसरी हस्तियों के साथ किए जाएँ तो यह अल्लाह का हक़ मारने शुमार होता है।

v) **इख़्तियारात में शिर्क :** अल्लाह के होने की हैसियत से जो इख़्तियारात उनको दूसरों के लिए तसलीम करना। मिसाल के तौर पर बारिशों का रसाना, क़हर टूटना, नफ़ा-नुक़सान, औलाद देना न देना, दुआओं को नना, मरीज़ों को शिफ़ा देना, क़िस्मतों को बनाना-बिगाड़ना, हिफ़ाज़त-निगहबानी रना, दस्तगीरी करना और हलाल-हराम को तय करने के ख़ास इख़्तियार ल्लाही ही के हैं। इन इख़्तियारात को दूसरों के लिए तसलीम करना शिर्क है।

र्क की मज़म्मत (निन्दा)

क़ुरआन मजीद यह कहता है कि ख़ुदा को छोड़कर तुम जिन-जिनकी जा और परस्तिश करते हो वे कुछ नहीं, कुछ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे प-दादा ने दे रखे हैं। इन मूर्तियों के हाथ, पैर, आँख और कान बने हुए लेकिन बेकार हैं। ये नफ़ा-नुक़सान का कुछ भी इख़्तियार नहीं रखते। ये द से ही नहीं पैदा हो गए, बल्कि इन्हें बनाया गया है। ये तो एक मक्खी नहीं बना सकते। इनकी पूजा-पाठ तो बाप-दादा की अंधी पैरवी है। को अपना कारसाज़ और सरपरस्त समझना और इनपर भरोसा करना सा है जैसा कि मकड़ी के बोदे-जाल पर भरोसा करना। कायनात का ज़ाम चलाने में इनका कुछ भी हिस्सा नहीं है। बारिशों का बरसाना, तियों का उगाना, हवाओं का चलाना, रात-दिन की गर्दिश, सभी जानदारों लिए रोज़ी पहुँचाना, दुआओं का सुनना, मुश्किलों का दूर करना क्या ी-देवताओं, हज़रतों, वफ़ात पाए बुज़ुर्गों का काम हो सकता है?[25]

हवाले-जात (सन्दर्भ)

(1) सूरा-112 इख़लास; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-111; सूरा-2 बक़र
आयत-255; सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-26, 27; सूरा-42 शूरा आयतें-4
50; सूरा-57 हदीद, आयत-1 से 6; सूरा-59 हश्र, आयतें-22 से
(2) सूरा-112 इख़लास; सूरा-4 निसा, आयत-171 (3) सूरा-112 इख़ला
सूरा-2 बक़रा, आयत-255 (4) सूरा-112 इख़लास; सूरा-6 अनआ
आयतें-100, 101; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-111; सूरा-57 हदी
आयत-3 (5) सूरा-112 इख़लास; सूरा-42 शूरा, आयत-11 (6) सूरा
बक़रा, आयत-255; सूरा-35 फ़ातिर, आयत-41; सूरा-57 हदीद, आयत-
सूरा-28 क़सस, आयत-88; सूरा-55 रहमान, आयतें-26, 27 (7) सूरा-
रअ्द, आयत-16; सूरा-59 हश्र, आयत-24; सूरा-36 या-सीन, आयत-
(8) सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-1; सूरा-6 अनआम, आयत-64; सूरा-18 कह्
आयत-4; सूरा-20 ता-हा, आयत-50; सूरा-26 शुअरा, आयत-24; सूरा-
साफ़्फ़ात, आयत-5; सूरा-44 दुख़ान, आयत-8 (9) सूरा-51 ज़ारिया
आयत-58; सूरा-29 अन्कबूत, आयत-60; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-2
सूरा-6 अनआम, आयत-95; सूरा-80 अ-ब-स, आयतें-24 से
(10) सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-2; सूरा-2 बक़रा, आयत-286; सूरा-6 अनआ
आयत-12; सूरा-40 मोमिन, आयत-7; सूरा-12 यूसुफ़, आयत-87; सूरा-
हिज्र, आयतें-49, 57; सूरा-30 रूम, आयत-50; सूरा-21 अंबिया, आयत-10
सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-83; सूरा-39 ज़ुमर, आयत-53 (11) सूरा-
हज, आयत-24; सूरा-6 अनआम, आयत-102; सूरा-40 मोमिन, आयत-11
सूरा-20 ता-हा, आयत-98 (12) सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-4; सूरा-43 ज़ुख़रु
आयत-77; सूरा-35 फ़ातिर, आयत-13; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-2
सूरा-42 शूरा, आयत-39; सूरा-2 बक़रा, आयत-255 (13) सूरा-10 यूनु
आयतें-3, 31; सूरा-13 रअ्द, आयत-2; सूरा-32 सजदा, आयत-5; सूरा-
रूम, आयत-48; सूरा-77 मुर्सलात, आयतें-1 से 6; सूरा-57 हदीद, आयत-
सूरा-3 आले-इमरान, आयत-27; सूरा-21 अंबिया, आयत-33; सूरा-
यूनुस, आयत-5; सूरा-36 या-सीन, आयतें-39, 40 (14) सूरा-7 आरा

यत-54; सूरा-6 अनआम, आयत-57; सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-1; सूरा-18 ़फ़, आयत-26; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-83 (15) सूरा-20 ता-हा, यतें-6, 7; सूरा-6 अनआम, आयत-59; सूरा-40 मोमिन, आयत-19; ा-64 तग़ाबुन, आयत-4 (16) सूरा-57 हदीद, आयत-2; सूरा-85 बुरूज, यत-16; सूरा-13 रअ्द, आयत-41; सूरा-2 बक़रा, आयत-165; सूरा-57 ोद, आयत-2; सूरा-26 शुअरा, आयतें-79, 80; सूरा-42 शूरा, आयतें-49, ; सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-26, 27; सूरा-10 यूनुस, आयत-107; ा-40 मोमिन, आयत-60; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-30; सूरा-27 ल, आयत-62 (17) सूरा-4 निसा, आयत-36; सूरा-98 बैयिनह, आयत-5; ा-39 ज़ुमर, आयतें-2, 3; सूरा-41 हा॰मी॰सजदा, आयत-37; सूरा-6 नआम, आयत-121 (18) सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-4; सूरा-72 जिन्न, यत-18; सूरा-13 रअ्द, आयत-14; सूरा-16 नह्ल, आयतें-20, 21; ा-46 अहक़ाफ़, आयतें-5, 6 (19) सूरा-40 मोमिन, आयत-60; सूरा-2 क़रा, आयत-186; सूरा-28 क़सस, आयत-88 (20) सूरा-2 बक़रा, ायत-165; सूरा-32 सजदा, आयत-16; सूरा-2 बक़रा, आयत-60 1) सूरा-10 यूनुस, आयत-107; सूरा-7 आराफ़, आयत-188; सूरा-44 ख़ान, आयत-8; सूरा-26 शुअरा, आयत-79; सूरा-42 शूरा, आयतें-49, 50 2) सूरा-64 तग़ाबुन, आयत-12; सूरा-65 तलाक़, आयत-3; सूरा-10 ुस, आयत-84; सूरा-40 मोमिन, आयत-44 (23) सूरा-2 बक़रा, आयत-150; रा-14 इबराहीम, आयतें-7, 34; सूरा-7 आराफ़, आयतें-189, 190 4) सूरा-9 तौबा, आयत-31; सूरा-27 नम्ल, आयत-116; सूरा-66 तहरीम, ायत-1 (25) सूरा-12 यूसुफ़, आयत-140; सूरा-29 अनूकबूत, आयत-41; रा-22 हज, आयतें-73, 74; सूरा-7 आराफ़, आयतें-191, 192; सूरा-11 ़, आयत-109; सूरा-31 लुक़मान, आयत-21; सूरा-27 नम्ल, आयतें-60 से 4; सूरा-39 ज़ुमर, आयत-38; सूरा-10 यूनुस, आयत-18; सूरा-46 अहक़ाफ़, ायतें-5, 6; सूरा-13 रअ्द, आयत-14

हिदायत (मार्गदर्शन) के लिए पैग़म्बरों क भेजना

"हक़ीक़त यह है कि अल्लाह (अपने फ़रमानों को भेजने के लिए) फ़रिश्तों में से भी पैग़ाम भेजनेवाला चुनता है और इनसानों में से भी।" (क़ुरआन, सूरा-22 हज, आयत-75)

पैग़म्बर का चुनाव

पैग़म्बरी अस्ल में हिदायत का वह निज़ाम है जिसके ज़रिए से अ हुक्मों और हिदायतों को अल्लाह अपने बन्दों तक पहुँचाता है। जिन लो को अल्लाह अपनी पैग़म्बरी के लिए चुन लेता है उनका ताल्लुक़ अ ख़ानदानों से होता है। हो सकता है कि कोई पैग़म्बर दुनिया के लिहाज़ ख़स्ता हाल हो, लेकिन वह ख़ानदानी शराफ़त में नुमायाँ होता है। इसी त वे अच्छे स्वभाववाले होते हैं। उनकी सच्चाई, अमानत, दरियादिली उ बेग़रज़ी साफ़-साफ़ दिखती है। उनमें विरोधाभास नहीं होता। जब पैग़म्बरी के मंसब पर मुक़र्रर किए जाते हैं तो उन्हें दलील के तौर चमत्कारवाली चीज़ें दी जाती हैं। पैग़म्बर की सबसे बड़ी पहचान उन शिक्षाएँ होती हैं। मुख़्तलिफ़ इलाक़ों, ज़मानों और ज़बानों के बावजूद उन पैग़ाम में कोई फ़र्क़ नहीं होता। यानी वे सब एक अल्लाह की बन्दगी तरफ़ बुलानेवाले होते हैं।[1]

रसूलों की हैसियत और मक़ाम

कुरआन में पैग़म्बरों की हैसियत और मक़ाम साफ़-साफ़ शब्दों में ब दिया गया है कि वे क्या हैं और क्या नहीं हैं। पैग़म्बर इनसान ही होते वे खाना खाते हैं, उनके भी बीवी-बच्चे होते हैं, वे भी बाज़ारों में चलते-फि हैं। वे भी आम इनसानों की तरह एहसास और भावनाएँ रखते हैं। ख़ु और ग़म से दोचार होते हैं। वे नफ़ा-नुक़सान का इख़्तियार नहीं रखते ग़ैब (परोक्ष) के ख़ज़ानों के मालिक नहीं होते। वे ग़ैब की बातों जाननेवाले नहीं होते। किसी को खुद से हिदायत देने और चमत्

ाजिज़ा) दिखाने की ताक़त नहीं रखते।[2] फिर भी पैग़म्बर अल्लाह की तरफ़ चुने हुए होते हैं। अल्लाह की क़ुरबत (सामीप्य) उन्हें नसीब होती है। ल्लाह की तरफ़ बुलानेवाले और ख़ुशख़बरी देनेवाले और डरानेवाले होते जो लोग उनके पैग़ाम को क़बूल करते हैं उनसे वे अपनी फ़रमाँबरदारी मुतालबा करते हैं।[3]

म्बरों की दावत और उनका पैग़ाम

इनसानी इतिहास में कभी भी किसी पैग़म्बर ने ज़माने के मुख़्तलिफ़ लों को छोड़कर अपनी आवाज़ बुलन्द नहीं की, बल्कि उस वक़्त के ान में रहे क़बाइली निज़ाम और उसमें पैदा-शुदा (नस्ली, ज़बानी, रंग, ाक़ाई, समाजी, माली और जंगी मसलों से ऊपर उठकर एक ही बात की फ़ अपनी-अपनी क़ौमों को बुलाया। वह बात यह थी "ऐ मेरी क़ौम के इयो, अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है।" ोंकि अल्लाह पर ईमान लाकर उसकी बन्दगी अपना लेना ही सारे मसलों हल था। इसी का नाम इस्लाम है। "अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ ़ाम है।"[4] यानी पूरी ज़िन्दगी में ख़ुदा की फ़रमाँबरदारी करना।

म्बरों को भेजने का मक़सद

अलग-अलग ज़मानों और क़ौमों में भेजे जानेवाले पैग़म्बर अलग-अलग ़सदों के साथ नहीं भेजे गए, बल्कि उनका मक़सद और काम करने का भी लगभग एक ही था।

हर पैग़म्बर ने अपनी क़ौम को अल्लाह की बन्दगी की ओर बुलाया और ान की बन्दगी से मना किया। उन्हें नेक (भला) बनने पर ख़ुशख़बरी दी र बुरे बने रहने पर जहन्नम के अज़ाब से डराया। यह काम दलील के थ अपनी बात को पूरी तरह साबित कर देने तक बेहतरीन ख़ूबी के साथ ते रहे। अलबत्ता उनकी क़ौम में जो बुराई ज़्यादा नुमायाँ थी पैग़म्बरों ने के सुधार के लिए ख़ास ध्यान दिया। मिसाल के तौर पर हज़रत हूद लैहि॰) और सालेह (अलैहि॰) ने क़ौम को बे-वजह इमारतें बनाने और ीन में फ़साद फैलाने पर ख़बरदार किया। हज़रत शुऐब (अलैहि॰) ने क़ौम माली निज़ाम में सुधार पर ध्यान दिया और हज़रत लूत (अलैहि॰) ने क़ौम

की अख़लाक़ी हालत पर नसीहत की।[5]
(2) "हर पैग़म्बर का कहना था कि अल्लाह से डरो और मेरी इताअत कर
जो उनकी दावत क़बूल कर लेते उन्हें पैग़म्बर की इताअत करनी होत
हमने जो रसूल भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म की
पर उसकी पैरवी और इताअत की जाए। इसलिए पैग़म्बर के मिसाली न
को अपनाना उनके लिए लाज़िम था। पैग़म्बर उनका तज़किया (मन-
करने यानी उनका सुधार और तरबियत की जाती। उसमें सुनने
इताअत के ज़रिए से अनुशासन पैदा करके संगठित किया जाता।[6]
(3) फिर उन ईमानवालों को लेकर इनसाफ़ का निज़ाम (व्यवस्था) क़ा
करने की कोशिश करना। क़ुरआन के शब्दों में "ताकि लोग इनसाफ़
क़ायम हों", "और आज्ञापालन पूरा-का-पूरा अल्लाह के लिए हो जाए"
"क़ायम करो उस दीन को और उसमें फ़िरक़ों में न बट जाओ।" इन
जुमलों के यही मानी हैं कि अल्लाह के आदेश लागू करना। यह उस
तक मुमकिन नहीं जब तक कि एक ऐसी हुकूमत क़ायम न हो जाए जो
के बताए हुए उसूलों पर हो। दूसरे शब्दों में उसी को क़ायम करने की अ
कोशिश करना।[7]

पैग़म्बरों को किन हालात में भेजा गया

जब हम क़ुरआन मजीद को ग़ौर से पढ़ते हैं तो हमें पैग़म्बरों के जाने की चार वजहें नज़र आती हैं।

(क) अगर किसी क़ौम में लम्बे समय के गुज़र जाने के दौरान गुज़रे पैग़म्बर की शिक्षाएँ गड्ड-मड्ड हो गई हों तो उन शिक्षाओं याद-दिहानी के लिए किसी नबी को भेजा जाता।

(ख) गुज़रे हुए नबी की शिक्षाओं में और इज़ाफ़ा करने के लिए एक नबी को भेजा जाता।

(ग) किसी पैग़म्बर की मदद के लिए दूसरे पैग़म्बर को भेजा जाता और ज़माने में अलग-अलग क़ौमों में अलग-अलग नबी भी भेजे गए

(घ) आख़िर में दीन को पूरा करने और पैग़म्बरी का सिलसिला ख़त्म क के लिए हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को भेजा गया।

़म्बरों और उनकी क़ौमों के बीच ऐतिहासिक कश्मकश

पैग़म्बरों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना खुद इनसान का तेहास है। हज़रत आदम (अलैहि॰) न सिर्फ़ पहले इनसान हैं, बल्कि ल्लाह के पहले नबी भी हैं। जब दुनिया में इनसानी ज़िन्दगी की शुरुआत ई तो उन्हें यह बात बता दी गई कि हमने (अल्लाह ने) कहा कि "तुम सब हाँ से उतर जाओ। फिर जो मेरी तरफ़ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी ख़ौफ़ व रंज ा मौक़ा न होगा।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-38)

यानी जो हिदायत अल्लाह की तरफ़ से भेजी जाएगी उसकी पैरवी रना, जो ऐसा करेगा उसके लिए आख़िरत का इनाम जन्नत है और जो स खुदाई हिदायत से इनकार का रवैया अपनाएँगे, उनकी सज़ा जहन्नम गी।[8] यहाँ इस बात को स्पष्ट करना भी ज़रूरी है कि इनसान ने अंधेरे में ाँखें नहीं खोलीं, बल्कि ठीक-ठीक इल्म व हिदायत की रौशनी में इनसान ी शुरुआत हुई है।

हज़रत आदम (अलैहि॰) ने इसकी तालीम अपनी औलाद को दी और ालाद ने अपनी औलाद को दी। जब इनसानी आबादी बढ़ने लगी तो नकी क़ौमें और नस्लें वुजूद में आईं। वे लोग अपनी ज़िन्दगी की ग़र-बसर के लिए अलग-अलग इलाक़ों में आबाद होने लगे। धीरे-धीरे नमें कई ज़बानें बनने लगीं। उनके रंग-रूप में बदलाव आने लगा, जिससे नका आपसी मेल-जोल और परिचय भी होने लगा।[9]

अब इनसान के अपने मन और शैतान के बहकावे की वजह से इनसान स सच्चे दीन से हटता चल गया था जिसकी तालीम हज़रत आदम अलैहि॰) ने अपनी औलाद को दी थी। बाद की नस्लों ने आपस में मतभेद ्या। अपने गुमान के मुताबिक़ कई गरोहों और फ़िरक़ों में बँटते चले गए। न्होंने क़ुदरत की निशानियों में से सूरज, चाँद, सितारों, पेड़ों, नदियों, ानवरों और ज़मीन को पूजना शुरू कर दिया। अपने बुज़ुर्गों के बुत बना ए। अनगिनत देवी-देवताओं की पूजा-पाठ शुरू कर दी। अनुमानों की नेयाद पर मुख़्तलिफ़ दर्शन गढ़ लिए और उनको मज़हबी रंग दे दिया।

इसकी वजह यह थी कि वे एक-दूसरे पर ज़ुल्म-ज़्यादती करना चाहते थे (**नोटः-** जिसका कोई शरीक नहीं उस ख़ुदा को पैदा करनेवाले, मारनेव और बचानेवाले में बाँट दिया गया। आख़िरत के ख़याल को आवागमन तबदील कर दिया गया और इनसानी वुजूद को ऊँच-नीच में बाँट दिय

अब अल्लाह ने हर देश और क़ौम में हादी (हिदायत देनेवाले) और उम्मत में पैग़म्बर भेजने का सिलसिला शुरू किया और यह सिलसिला हज़ बरस तक चलता रहा। उन पैग़म्बरों ने अपनी क़ौमों को ख़ुद उन्हीं ज़बानों में भूला हुआ सबक़ याद दिलाया। अल्लाह की बन्दगी की त दावत दी। शिर्क (ख़ुदा के साथ किसी को शरीक ठहराना) की मज़म (निन्दा) की, हलाल और हराम के क़ानून को बनाया। उन पैग़म्बरों ने क़ की ज़बान में बात की। तमाम पैग़म्बर अपने से पहलेवाले पैग़म्बरों उ उनकी शिक्षाओं की तस्दीक़ (पुष्टि) करते थे और आगे आनेवाले पैग़म्ब की भविष्यवाणियाँ करते थे। जब इनसानियत पक्की उम्र को पहुँच गई अल्लाह ने अपने आख़िरी पैग़म्बर को भेजा और उनपर क़ुरआन उतारा

पैग़म्बरों के साथ उनकी क़ौमों का सुलूक

इनसानी इतिहास गवाह है कि कभी भी क़ौमों ने अपने पैग़म्बरों को पेटों बरदाश्त नहीं किया। उनके साथ दो तरह का सुलूक किया। उन ज़िन्दगी में भी ज़ुल्म किया और उनकी वफ़ात (मृत्यु) के बाद भी।

(1) जब किसी पैग़म्बर ने अपनी क़ौम को अल्लाह की बन्दगी की त दावत दी, शिर्क से मना किया, उनको नेकियों-अच्छाइयों की तालीम दी उ बुराइयों से रोका तो क़ौमों ने उनका मज़ाक़ उड़ाया, उनपर इलज़ाम लग उनसे तरह-तरह के चमत्कारों के और बहुत-से मुतालबे किए, उन्हें झुठला उनका बाईकाट किया, मारा-पीटा, घर से बेघर किया, यहाँ तक कि उ क़त्ल कर देने से भी न हिचकिचाए।[12] नूह (अलैहि॰) की क़ौम के सरद से कहा कि तुम खुली हुई गुमराही में मुब्तला हो, आद की क़ौम ने (अलैहि॰) से कहा, तुम बेवक़ूफ़ हो। हज़रत लूत (अलैहि॰) की क़ौम ने क कि निकालो इन 'पाकबाज़ों' को अपनी बस्ती से। शुऐब (अलैहि॰) की क़ ने कहा कि अपना उपदेश बन्द करो, वरना बस्ती से निकाल दिए जाओ

रऔन के लोगों ने कहा कि यह मूसा जादूगर और दीवाना है। इतिहास है कि सबसे बदतरीन सुलूक बनी-इसराईल की क़ौम ने अपने पैग़म्बरों के थ किया। उन्होंने नादानी में नहीं, बल्कि जान-बूझकर पैग़म्बर को पैग़म्बर नते हुए, न सिर्फ़ सताया, बल्कि खुला एलान करके उनका क़त्ल किया। ाभग इन सारे हालात से हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) भी दोचार हुए।[13]

) पैग़म्बरों के देहान्त के बाद दो तरह का ज़ुल्म किया। (अ) एक यह कि ाकी मुहब्बत और अक़ीदतमन्दी के ग़ुलू (अतिश्योक्ति) में इतने आगे बढ़ ए कि उनको ख़ुदाई सिफ़ात (ईश-गुणों) से सुशोभित कर दिया। ईसाइयों ईसा मसीह के बारे में ख़ुदा का बेटा होने, ख़ुदा की रूह होने, ऐनीयत dialism) के फ़लसफ़े तराशे और तसलीस (तीन में का एक) का अक़ीदा ड़कर उनके बुत बनाकर पूजना शुरू कर दिया। (ब) दूसरे यह कि उन गराह क़ौमों ने अपने चुनिन्दा पैग़म्बरों की शिक्षाओं और किताबों में लावट और बदलाव करके कुछ-से-कुछ बना दिया। उसमें अपनी मर्ज़ी से ग और बढ़ा दिया। अब दुनिया में क़ुरआन के अलावा कोई आसमानी हीफ़ा और किताब अपनी अस्ल ज़बान और हालात में महफ़ूज़ नहीं है।[14]

पैग़म्बरी और नुबूवत का हज़ारों बरस का लम्बा इतिहास क़ुरआन मजीद एक आयत (वाक्य) में साफ़ तौर से इस तरह बयान कर दिया है—

> "हमने हर उम्मत में एक रसूल (पैग़म्बर) भेज दिया, और उसके ज़रिए से सबको ख़बरदार कर दिया कि 'अल्लाह की बन्दगी करो और ताग़ूत (शैतान) की बन्दगी से बचो।' इसके बाद उनमें से किसी को अल्लाह ने हिदायत अता की और किसी पर गुमराही मुसल्लत हो गई। फिर ज़रा ज़मीन में चल-फिरकर देख लो कि झुठलानेवाले का क्या अंजाम हो चुका है।"[15]
>
> (क़ुरआन, सूरा-27 नम्ल, आयत-36)

नूह (अलैहि॰) की क़ौम तूफ़ान से तबाह कर दी गई, आद की क़ौम पर गातार एक हफ़्ता आँधी-तूफ़ान मुसल्लत रहा, समूद की क़ौम सख़्त धमाके ोर भूकम्प से तबाह कर दी गई। लूत (अलैहि॰) की क़ौम की बस्तियाँ ़लपट कर दी गईं। क़ारून को उसके ख़ज़ानों के साथ ज़मीन में धंसा दिया

गया। फ़िरऔन की क़ौम पर कई तरह के अज़ाब आए, आख़िरकार वे स
में डूबा दिए गए।[16]

पैग़म्बरी का समाप्त होना

अल्लाह तआला ने इनसानों की हिदायत के लिए जो सिलसिला हज़ आदम (अलैहि॰) से शुरू किया था और उसको नए अन्दाज़ में दोहराने लिए बेशुमार पैग़म्बरों को मुख़्तलिफ़ क़ौमों और देशों में भेजता रहा, ि हज़ारों साल के बाद आख़िरकार उसको हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की मह हस्ती पर ख़त्म कर दिया गया। इसलिए आप (सल्ल॰) को ख़ा-तमुन-नबिय्य (नबियों का समापक) कहा गया।[17] मानो आप (सल्ल॰) पैग़म्बरी की इमा की आख़िरी ईंट हैं। इसकी वजह यह है–

- हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर उतरनेवाली किताब क़ुरआन मजीद आरि हिदायत नामा है, जो बग़ैर कमी-बेशी के इसी ज़बान में महफ़ूज़ है। किताब में उन सारी शिक्षाओं का निचोड़ और ख़ुलासा आ गया है जो तक मुख़्तलिफ़ ज़मानों और इलाक़ों में, नबियों पर उतरनेवाली किताबो इनसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता रहा था। अब जो क़ुरआन ईमान लाया और इसको मज़बूती से थाम लिया, मानो उसने तम आसमानी किताबों से फ़ायदा हासिल कर लिया।[18]
- हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की सीरत (जीवनी) भी तमाम पैग़म्बरों सीरत की पूरक है। इसको भी आप (सल्ल॰) के सहाबा (रज़ि॰) ने स मुमकिन तरीक़ों से आप (सल्ल॰) की ज़िन्दगी में और उसके क़रीबी ज़म में बड़ी एहतियात से महफ़ूज़ कर दिया।[19]

इस तरह क़ुरआन, हदीस और सीरत (जीवनी) इस्लाम का प्रमा स्रोत हैं। यह इस्लाम का बिलकुल आख़िरी और मुकम्मल एडीशन है। जो लोग भी सीधे-सच्चे रास्ते पर चलना चाहते हों उनके लिए इसमें हिदा मौजूद है। अब कोई क़ियामत में यह न कहे कि उसे मालूम न था। अलब मुसलमानों पर भी यह बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वे आख़िरी नबी (सल्ल॰) के उस पैग़ाम को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचाने में सुस्ती न बरतें।

ाख़िरी नबी (सल्ल॰) की ख़ासियत (विशिष्टता)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) से पहले जितने नबी आए थे वे किसी ख़ास ाम में भेजे गए थे। उनका पैग़ाम उसी क़ौम तक सीमित था। जबकि आप ल्ल॰) को दुनिया-जहान के सारे इनसानों के लिए भेजा गया है। चाहे का ताल्लुक़ किसी देश, क़ौम, रंग-नस्ल से हो और उनकी ज़बान कुछ भी , यह क़ियामत तक आनेवाले तमाम ज़मानों तक के लिए है। पैग़म्बर ने ा, "और यह क़ुरआन मेरी तरफ़ वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए से भेजा गया ताकि तुम्हें और जिस-जिसको यह पहुँचे सबको ख़बरदार कर दूँ।" पहले पैग़म्बरों को जो मोजिज़े (चमत्कार) दिए गए थे वे उनकी ज़िन्दगी तक मित थे, जबकि नबी (सल्ल॰) को जो ज़िन्दा, अक़ली और अमली मोजिज़ा मत्कार) दिया गया वह क़ुरआन रूपी मोजिज़ा है जो हमेशा रहनेवाला [20] इससे पहले के पैग़म्बरों को महसूस होनेवाले मोजिज़े दिए गए थे, वे म्बरों की वफ़ात के साथ ख़त्म हो गए। अब उनका सिर्फ़ ज़िक्र बाक़ी रह ा है। लेकिन नबी (सल्ल॰) का मोजिज़ा 'क़ुरआन' क़ियामत तक बाक़ी गा, क्योंकि आप (सल्ल॰) की पैग़म्बरी भी हमेशा के लिए है।

ाले-जात (सन्दर्भ)

) सूरा-12 यूसुफ़, आयत-38; सूरा-38 साद, आयत-30; सूरा-11 हूद, यत-91; सूरा-10 यूनुस, आयत-16; सूरा-68 क़लम, आयत-4; सूरा-26 ारा, आयतें-69 से 77 (2) सूरा-7 आराफ़, आयत-188; सूरा-6 अनआम, यत-50; सूरा-28 क़सस, आयत-56; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयतें-90 94 (3) सूरा-33 अहज़ाब, आयतें-45, 46, सूरा-4 निसा, आयत-64; ा-5 माइदा, आयत-75 (4) सूरा-7 आराफ़, आयतें-59, 65, 73, 85; ा-3 आले-इमरान, आयत-19 (5) सूरा-16 नह्ल, आयत-36; सूरा-6 ाआम, आयत-48; सूरा-4 निसा, आयत-165; सूरा-26 शु'अरा, आयतें-130 152 (6) सूरा-26 शु'अरा, आयतें-108, 126, 144, 163; सूरा-3 ले-इमरान, आयतें-129, 193; सूरा-4 निसा, आयत-64; सूरा-24 नूर, यत-52; सूरा-60 मुम्तहिना, आयत-4; सूरा-33 अहज़ाब, आयत-21 सूरा-42 शूरा, आयत-13; सूरा-57 हदीद, आयत-25; सूरा-48 फ़त्ह,

आयतें-28, 29; सूरा-61 सफ़्फ़, आयत-9; सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-3
सूरा-4 निसा, आयत-105 (8) सूरा-2 बक़रा, आयतें-38, 39; सूरा-
ता-हा, आयतें-123 से 126 (9) सूरा-4 निसा, आयत-1; सूरा-49 हुजुरा
आयत-13; सूरा-30 रूम, आयत-22 (10) सूरा-41 हा-मीम-सजदा, आयत-3
सूरा-71 नूह, आयत-23; सूरा-26 शु'अरा, आयतें-71 से 74; सूरा-2 बक़
आयत-213; सूरा-5 माइदा, आयत-103; सूरा-6 अनआम, आयतें-13
139 (11) सूरा-18 रअ्द, आयत-7; सूरा-10 यूनुस, आयत-47; सूरा-
फ़ातिर, आयत-24; सूरा-36 या-सीन, आयत-3; सूरा-40 मोमिन, आयत-7
सूरा-4 निसा, आयत-164; सूरा-14 इबराहीम, आयत-4; सूरा-61 सफ़
आयत-6; सूरा-33 अहज़ाब, आयत-40 (12) सूरा-43 ज़ुख़रुफ़, आयत-
सूरा-15 हिज्र, आयत-11; सूरा-21 अंबिया, आयत-41 (13) सूरा-7 आरा
आयतें-60, 66, 75, 82, 88; सूरा-51 ज़ारियात, आयत-39; सूरा-4 निस
आयत-157 (14) सूरा-4 निसा, आयत-171; सूरा-9 तौबा, आयत-3
सूरा-5 माइदा, आयत-41 (15) सूरा-16 नह्ल, आयत-36 (16) सूरा-
अन्कबूत, आयत-40; सूरा-54 क़मर, आयतें-9 से 40; सूरा-7 आरा
आयत-133 (17) सूरा-33 अहज़ाब, आयत-40 (18) सूरा-15 हिज्र, आयत-
सूरा-75 क़ियामह, आयतें-16 से 19 (19) सूरा-15 हिज्र, आयत-9; सूरा-
नह्ल, आयत-44; सूरा-68 क़लम, आयत-4; सूरा-59 हश्र, आयत-
सूरा-33 अहज़ाब, आयत-21; सूरा-4 निसा, आयतें-65, 80 (20) सूरा-
सबा, आयत-28; सूरा-21 अंबिया, आयत-107; सूरा-6 अनआम, आयत-1
सूरा-52 तूर, आयतें-33, 34; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-88; सूरा
बक़रा, आयतें-23, 24।

आख़िरत का क़ुरआनी तसव्वुर

"हर जानदार को मौत का मज़ा चख़ना है।"(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, ायत-38) मौत एक ऐसी अटल हक़ीक़त है जिससे हर जानदार को गुज़रना । लेकिन लोग उसी को भुला करके दुनिया के कामों में मशग़ूल होकर मराह हो जाते हैं। ऐसे ही लोग आख़िरकार आख़िरत की नाकामी से दोचार ो होंगे।

आख़िरत के बारे में लोगों के तरह-तरह के क़ियास और गुमान हैं। न-मत और बौद्ध-मत के जोगियों और साधुओं के नज़दीक यह दुनिया ज़ाब का घर है। हिन्दू-मत के नज़दीक यह दुनिया बदले की जगह है और हीं पर उसके कर्मों का फल विभिन्न जन्मों में मिलता रहता है। ईसाई हिबों (संन्यासियों) के मुताबिक़ आसमानी बादशाहत में दाख़िल होना नका अस्ल मक़सद है। भौतिकवादी लोग दुनिया को तफ़रीह (मनोरंजन) ो जगह समझते हैं। वे हर क़ैदो-बन्द से आज़ाद होकर आज़ाद ज़िन्दगी ज़ारना चाहते हैं। वैज्ञानिक और साइंस पर यक़ीन रखनेवाले समझते हैं कि ह दुनिया एक धमाके से वुजूद में आई, ख़ुद-ब-ख़ुद चल रही है और हो कता है कि एक दिन इसी तरह ख़त्म भी हो जाए। फ़लसफ़ियों (दर्शनशास्त्रियों) ; क़ियास और पराक्रितिक ज्ञान के बारे में विभिन्न और विरोधाभासी हैं।

इन अलग-अलग नज़रियों, क़ियासों और गुमानों के बीच आख़िरत के ारे में क़ुरआन की कल्पनाएँ और परिकल्पनाएँ निम्नलिखित बुनियादी न्दुओं पर आधारित हैं, जो बड़े विस्तारपूर्ण तरीक़े से विभिन्न अन्दाज़ में रआन में बयान की गई हैं।

. **इम्तिहान :** क़ुरआन के नज़दीक दुनिया में इनसान दूसरे जानवरों की रह ग़ैर-ज़िम्मेदार नहीं है, उसको इरादे की आज़ादी और अमल का ख़्तियार देकर इम्तिहान (परीक्षा) के लिए पैदा किया गया है। क़ुरआन में है—

> "जिसने मौत और ज़िन्दगी को बनाया, ताकि तुम लोगों को आज़माकर देखे कि तुममें से कौन बेहतर अमल करनेवाला है।"[1] (क़ुरआन, सूरा-67 मुल्क, आयत-2)

इस बुनियादी कल्पना के लिहाज़ से यह दुनिया बदले की जगह नहीं और न अज़ाब का घर है, न ऐश करने की जगह, बल्कि इम्तिहान का है। ख़ुदा ने इनसान को सख़्त इम्तिहान में भी नहीं डाला कि वह ख़ु अल्लाह की मर्ज़ी का सही रास्ता तलाश कर ले। बल्कि इनसान की हिदा के लिए अल्लाह ने पैग़म्बर भेजे, उनपर किताबें उतारीं। अब इनसान काम यह है कि वह अल्लाह के सच्चे पैग़म्बरों की तस्दीक़ (पुष्टि) करे उनकी लाई हुई हिदायत को अपनाए और उसके सिवा तमाम ग़लत रा से बचे। अगर वह हिदायत का रास्ता अपनाएगा तो इम्तिहान में कामय होगा और अल्लाह उससे राज़ी होगा, जन्नत उसका इनाम होगी। इस बरख़िलाफ़ गुमराही का अंजाम दोज़ख़ के अज़ाब होंगे। मौत के साथ इम्तिहान का वक़्त ख़त्म हो जाता है।[2]

2. क़ियामत : क़ुरआन मजीद के मुताबिक़ यह दुनिया न शुरू से है उ न हमेशा रहेगी। बल्कि एक तय वक़्त पर यह ख़त्म हो जाएगी। कायन का पूरा निज़ाम दरहम-बरहम हो जाएगा। इसी को क़ियामत (महा-प्रल कहते हैं।[3] इसके मंज़रों (दृश्यों) की तफ़सीलात बड़े असरदार तरीक़े क़ुरआन में बयान की गई हैं।

पहला सूर (नरसिंघा) फूँकने की वजह से हर तरफ़ बदहवासी जाएगी। जंगली जानवर बदहवासियों में भाग खड़े होंगे। लोग मदहोश जाएँगे। गर्भवती औरतों के गर्भ-पात हो जाएँगे। इनसान अपनी अमू पूँजी से ग़ाफ़िल हो जाएगा और कहेगा कि ये सब हो क्या रहा है?[4]

दूसरी बार सूर फूँकने के बाद आसमान फट जाएगा। सूरज बेनूर जाएगा। सितारों और सय्यारों (ग्रहों) की चमक-दमक और कशिश ख़त्म जाएगी और वे अपने दायरे से निकलकर आपस में टकरा जाएँगे। ज़मी बहुत तेज़ और लगातार भूकम्प के झटकों से हिला मारी जाएगी। हर च ऊपर-नीचे हो जाएगी। समुद्रों में तूफ़ान बरपा हो जाएगा और नदियाँ अप सीमाओं से बह निकलेंगी। पहाड़ गिर-गिरकर ज़र्रे-ज़र्रे, बल्कि रंग-बि धुनके हुए ऊन की तरह हो जाएँगे। उस दिन हर चीज़ फ़ना हो जाए सिर्फ़ जलालवाले (प्रतापवान) अल्लाह की ज़ात (हस्ती) बाक़ी रह जाएगी

हश्र : जब तीसरी बार सूर फूँका जाएगा, उस वक़्त ज़मीन अपने अन्दर
तमाम चीज़ें और मुर्दे निकाल बाहर कर देगी। इनसानी जिस्म के ज़र्रे-ज़र्रे
ट्ठा होकर फिर वही जिस्म बन जाएँगे और जिस्मों से उनकी रूहों को
ड़ा जाएगा। ज़मीन बिलकुल सपाट कर दी जाएगी। लोग अपनी-अपनी
ब्रों से निकल-निकल कर हश्र के मैदान की तरफ़ दीवानों की तरह दौड़
गे।[6] (जैसे कि अंधेरी रात में परवाने चिराग़ की तरफ़ बेबस भागे चले आते हैं।)

फ़ैसला : जब पूरी मख़लूक़ (सृष्टि) जमा हो जाएगी तो सिर्फ़ अल्लाह ही
बादशाही होगी। उसकी अज़मत और जलाल (प्रताप) के सामने किसी
बोलने की हिम्मत नहीं होगी। उस वक़्त हर आदमी को उसके किए का
-पूरा बदला दिया जाएगा। किसी पर ज़र्रा-बराबर ज़ुल्म न किया जाएगा।[7]
रचे कि अल्लाह ग़ैब और खुले-छिपे का जाननेवाला है, लेकिन इसके
जूद इनसाफ़ की सारी शर्तें पूरी की जाएँगी।

दुनिया में इनसान अपनी ज़िम्मेदारी पर जो कुछ भी करता है उसका
-पूरा रिकार्ड (जो दो अमानतदार फ़रिश्तों 'किरामन-कातिबीन' के ज़रिए
तैयार किया जा रहा है) सामने रख दिया जाएगा। उसमें वह भी होगा जो
ने अपनी ज़िन्दगी में किया और उसके असरात भी जो दुनिया में उसके
द ज़ाहिर हुए।[8]

जब कोई अपने आमालनामे के अन्दर लिखे हुए कामों को झुठलाएगा
उसकी ज़बान पर मुहर लगा दी जाएगी। उसके हाथ, पैर, खाल, जिस्म
एक-एक अंग गवाही देगा कि उससे क्या-क्या काम लिया गया था।[9]

उस दिन छिपे राज़ों की जाँच-पड़ताल होगी। अल्लाह की अदालत में यह
देखा जाएगा कि किसने कौन-सा काम किस नीयत और किन कारणों के
त अंजाम दिया था।[10]

इसके अलावा माहौल की गवाही भी पेश की जाएगी (यानी उसको
ती-फिरती फ़िल्म भी दिखाई जाएगी) और उसके हर अमल को सामने
दिया जाएगा, चाहे वह किसी भी मक़ाम पर किया गया हो।[11]

आख़िर में पैग़म्बरों की गवाही पेश की जाएगी। वे कहेंगे कि उन्होंने
नी-अपनी क़ौमों पर पैग़ाम पहुँचाने की हुज्जत तमाम कर दी थी।[12] वहाँ

कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। कोई फ़िद्या (बदला) क़बूल न किया जाएगा। किसी की बेजा सिफ़ारिश नहीं चलेगी। कोई किसी के गुन का बोझ नहीं उठाएगा।[13] जब हर आदमी का ज़िन्दगी-भर का कारनामा गवाहियों के साथ सामने आ जाएगा तो फ़ैसला जारी कर दिया जाएग फिर ऐसा इनसाफ़ होगा कि किसी पर ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म न होग इनसान से सवाल किए जाएँगे कि उसने दुनिया में क्या किया? उससे नेमत के बारे में सवाल किए जाएँगे।[14] क़ुरआन में है–

> "ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, कर्मों की किताब लाकर रख दी जाएगी, पैग़म्बर और तमाम गवाह हाज़िर कर दिए जाएँगे, लोगों के बीच ठीक-ठीक हक़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा, उनपर कोई ज़ुल्म न होगा। हर आदमी को जो कुछ भी उसने अमल किया था उसका पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। लोग जो कुछ करते हैं अल्लाह उसको ख़ूब जानता है।" (क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयतें-69, 70)
>
> "यक़ीनन नेक लोग मज़े में होंगे और बदकार लोग जहन्नम में जाएँगे।" (क़ुरआन, सूरा-82 इनफ़ितार, आयतें-13, 14)
>
> "जिसने हक़ से सरकशी (बग़ावत) की थी और दुनिया की ज़िन्दगी को तरजीह (प्राथमिकता) दी थी, जहन्नम ही उसका ठिकाना होगी और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का ख़ौफ़ किया था और नफ़्स को बुरी ख़ाहिशों से रोके रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-79 नाज़िआत, आयतें-37 से 41)
>
> "आख़िरकार हर जानदार को मरना है और तुम सब अपने-अपने पूरे बदले क़ियामत के दिन पानेवाले हो, कामयाब अस्ल में वह है जो वहाँ दोज़ख़ की आग से बच जाए और जन्नत में दाख़िल कर दिया जाए। रही यह दुनिया, तो यह सिर्फ़ एक ज़ाहिरी फ़रेब (धोखे की चीज़) है।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-185)

हन्नम की हौलनाकियाँ

जिन बदनसीबों के हक़ में जहन्नम का फ़ैसला होगा उनको उनके अमल ; मुताबिक़ तरह-तरह के दर्दनाक और रुसवाकर देनेवाले अज़ाब दिए ाएँगे। वे जंज़ीरों में जकड़े हुए और बड़े-बड़े सुतूनों के अन्दर घिरे हुए ंगे। लोहे के गुरज़ों से उनकी पिटाई होगी, तारकोल का लिबास होगा, आग नके गोश्त-पोस्त को चाट जाएगी। उनके खाने के लिए ज़क़्क़ूम का पेड़ ार सूखी घास होगी। पीने के लिए ज़ख़्मों की धोवन, तेल की तलछट और र्म खौलता पानी होगा। जिस्मों की खालें बदली जाएँगी और आग भड़काई ाएगी। वहाँ तरह-तरह के अज़ाबों की अलग-अलग खाइयाँ (हुतमह, वैल, ावियह, सक़र) होंगी। कोई हाल पूछनेवाला न होगा।[15]

न्नत की न ख़त्म होनेवाली नेमतें

जिन लोगों में ईमान और नेक अमलवाली ज़िन्दगी गुज़ारी होगी, ल्लाह उनसे राज़ी होगा और अपनी रहमत से उन्हें जन्नत में दाख़िल रेगा। उनको वहाँ ख़ुशामदीद (स्वागतम्) कहा जाएगा। हरीर व रेशम नका लिबास होगा। बादशाहों की तरह सोने-चाँदी के कंगन पहने होंगे। न्नती औरतों से उनका विवाह कर दिया जाएगा। ऊँची मसनदों पर वे ामने-सामने बैठे होंगे। सोने-चाँदी के बरतन और शीशों के प्याले होंगे। हर रह के लज़ीज़ और स्वादिष्ट खानें, फल और पाकीज़ा पीने की चीज़ें उनके नए होंगी। कम उम्र लड़के उनकी ख़िदमत के लिए दौड़ते-फिरते होंगे। बाग़ ंगे, जिनकी डालियाँ फलों से झुकी होंगी, पाक-शफ़्फ़ाफ़ पानी, दूध, शहद ौर पाकीज़ा पेय की नहरें होंगी। ठंडी और घनी छाँव होंगी। उनके लिए र तरह का ऐश होगा। वहाँ उनके लिए वह सब कुछ होगा जो वे चाहेंगे, ौर अल्लाह के पास से इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है।[16]

ाख़िरत के क़ायम होने की दलीलें

हर ज़माने में आख़िरत (परलोक) के इनकारी लोग, आख़िरत को ानहोनी समझते हैं, बल्कि वे उसको नामुमकिन समझते हैं। वे कहते हैं कि ाख़िर यह किस तरह मुमकिन है जबकि हम मरने के बाद मिट्टी में

रल-मिल जाएँगे तो दोबारा उठाए जाएँगे, यह बात तो समझ में नहीं आर्त वे कहते हैं कि हमें यहीं जीना और यहीं हमें मरना है।[17] ऐसे लोगों व क़ुरआन में आसमानों और उसके ख़ुद अपने नफ़्स की दलीलों से समझा गया और अक़ली दलील भी दी गई है।

1. जिस ख़ुदा ने इस अज़ीमुश्शान कायनात को बनाया है और हर प उसकी तदबीर कर रहा है; उसके लिए आख़िर क्या मुश्किल है कि व दोबारा इनसान को ज़िन्दा कर दे।[18]

2. जिस ख़ुदा ने इनसान को वीर्य, लोथड़े, बोटी और हड्डियों से गुज़ारव उसका नाक-नक़शा ठीक-ठाक किया और मुक़र्रर वक़्त पर उसकी पैदाइ हुई। फिर उसको सुनने, देखने और दिल व दिमाग़ की ताक़तें दीं। बचप जवानी और बुढ़ापा उसपर तारी किया। फिर जब इनसान मर जाए तो क दोबारा उसको ज़िन्दा नहीं किया जा सकता?[19]

3. इनसान जब सोता है और फिर कुछ देर बाद जाग जाता है। फिर य अमल हर दिन दोहराया जाता है। बिलकुल इसी तरह इनसान एक बार म जाने के बाद दोबारा जी उठेगा।[20]

4. जब मुर्दा पड़ी ज़मीन पर बारिश होती है तो उसपर फ़सलें लहलहाती और हर तरफ़ हरियाली छा जाती है। इसी तरह मुर्दा इनसानों को भी ज़मी से निकलना होगा।[21]

5. हर तरक़्क़ी करनेवाले (प्रगतिशील) समाज में इनसान के अच्छे कामों प इनाम दिया जाता है और मुजरिमों को अदालत और पुलिस सज़ा देती है इसी तरह अल्लाह का भी यही क़ानून है कि “क्या हम फ़रमाँबरदारों व मुजरिमों जैसा कर देंगे, तुम कैसे हुक्म लगाते हो।”[22] ज़िन्दगी बाद मौत व सुबूत में से महसूस होनेवाली और अक़ली दलीलें क्या किसी इनसान के लि काफ़ी नहीं है?

आख़िरत के अक़ीदे का इनसानी किरदार पर असर

ख़ुदा के सामने जवाबदेही के ख़याल ने इनसान के अन्दर एक ऐ हिसाब लेनेवाले (नफ़्से-लव्वामा) को बिठा दिया है जो उसे हर बुरे काम व वक़्त टोकता है। यह इख़्तियार उसके अन्दर अच्छाई और सुधार पैदा करत

। यही वजह है कि वह दूसरों से छिपकर और मौक़ा पाकर भी गुनाह के म करने से रुका रहता है। वह झूठ नहीं बोलता, वादा-ख़िलाफ़ी नहीं रता, अमानत में ख़ियानत नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, चोरी नहीं करता, ना (व्यभिचार) नहीं करता, नाप-तौल में कमी नहीं करता। दूसरों के हक़ हीं मारता, वह लोगों के दुख-दर्द में काम आता है, बेवा, यतीम और सकीन की मदद करता है। अल्लाह की राह में, यानी भलाई के कामों में ल्लाह की मुहब्बत में अपना दिल-पसन्द माल ख़र्च करता है। रातों को ठकर अल्लाह की इबादत करता है। वह नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज और रे भलाई के कामों में आगे बढ़ जाने की कोशिश करता है।

इसके बरख़िलाफ़ जो आख़िरत के इनकारी हैं उनकी नज़र दुनिया के ायदों और लज़्ज़तों तक सीमित रहती हैं। उनके सामने आज के फ़ायदे ही ायदे हैं और आज के नुक़सान ही नुक़सान हैं। इसलिए वे लोगों के हक़ रते हैं। मीरास के माल को समेटकर खा जाते हैं। माल की मुहब्बत में धे हो जाते हैं। हलाल-हराम की पाबन्दियों को नहीं मानते। वे यह सोचते कि मैं यतीम, मिसकीन को क्यों खाना खिलाऊँ? क्यों उनपर माल ख़र्च रूँ? क्यों किसी की मदद करूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा? यह ज़ेहनियत नको ख़ुदगर्ज़, मफ़ाद-परस्त, कंजूस बनाकर सख़्ती (कठोरता) में मुब्तला र देती है। क़ुरआन में धन-दौलत के पुजारी क़ारून का इबरतनाक क़िस्सा यान किया गया है।[23]

वाले-जात (सन्दर्भ)

1) सूरा-67 मुल्क, आयत-2; सूरा-21 अंबिया, आयत-35; सूरा-76 दह्र, ायतें-2, 3; सूरा-18 कह्फ़, आयत-7 (2) सूरा-2 बक़रा, आयतें-28, 29; ्रा-20 ता-हा, आयतें-123 से 126 (3) सूरा-32 सजदा, आयत-4; सूरा-75 क़ियामह, आयत-1 (4) सूरा-81 तकवीर, आयतें-4, 5; सूरा-22 हज, ायत-2; सूरा-73 मुज़्ज़म्मिल, आयित-17; सूरा-75 क़ियामह, आयत-10 5) सूरा-81 तकवीर, आयतें-1, 3, 6; सूरा-82 इनफ़ितार, आयतें-1 से 3; ्रा-84 इनशिक़ाक़, आयतें-1 से 5; सूरा-99 ज़िलजाल, आयतें-1 से 3; ्रा-101 क़ारिआ, आयतें-1 से 5 (6) सूरा-36 या-सीन, आयत-51;

सूरा-81 तकवीर, आयतें-7 से 9 (7) सूरा-39 ज़ुमर, आयतें-69, (8) सूरा-50 क़ाफ़, आयतें-16, 17; सूरा-82 इनफ़ितार, आयतें-5, 11, 1 सूरा-36 या-सीन, आयत-12 (9) सूरा-36 या-सीन, आयत-65; सूरा- हा-मीम-सजदा, आयतें-20, 21 (10) सूरा-86 तारिक़, आयत-9; सूरा-1 आदियात, आयत-10 (11) सूरा-99 ज़िलज़ाल, आयतें-4 से 6 (12) सूर आराफ़, आयत-6 (13) सूरा-70 मआरिज, आयतें-10 से 15; सूरा- ता-हा, आयत-109; सूरा-35 फ़ातिर, आयत-18; सूरा-5 माइदा, आयत-3 37 (14) सूरा-81 तकवीर, आयतें-8, 9; सूरा-102, तकासुर, आयत सूरा-43 ज़ुख़रुफ़, आयत-44 (15) सूरा-14 इबराहीम, आयतें-49, 5 सूरा-104, हु-मज़ह, आयत-6 से 9; सूरा-4 निसा, आयत-56; सूरा- ग़ाशियह, आयत-6; सूरा-78 नबा, आयत-25 (16) सूरा-15 हिज्र, आयत- से 47; सूरा-50 क़ाफ़, आयत-35; सूरा-76 दह्र, आयतें-11 से 22; सूरा- मुहम्मद, आयत-15; सूरा-55 रहमान, आयतें-46 से 77; सूरा-56 वाक़िअ आयतें-12 से 40 (17) सूरा-79 नाज़िआत, आयतें-10, 11; सूरा-50 क़ा आयतें-2, 3; सूरा-23 मोमिनून, आयतें-35 से 37 (18) सूरा-79 नाज़िआ आयत-27; सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-190 से 192; सूरा-37 साफ़्फ़ा आयत-11; सूरा-44 दुख़ान, आयतें-38, 39 (19) सूरा-23 मोमिनून, आयतें- से 16 (20) सूरा-39 ज़ुमर, आयत-46; सूरा-6 अनआम, आयत-60 (2 सूरा-30 रूम, आयत-50; सूरा-22 हज, आयतें-5, 6; सूरा-35 फ़ाति आयत-9 (22) सूरा-68 क़लम, आयत-35, 36; सूरा-38 साद, आयत-2 सूरा-75 क़ियामह, आयत-36; (23) सूरा-89 फ़ज्र, आयतें-10 से 1 सूरा-100 आदियात, आयत-8; सूरा-104, हु-मज़ह, आयतें-1 से 9, सूरा-1 माऊन, आयतें-1 से 7

क़ुरआन का तसव्वुरे-इबादत

"(ऐ नबी) यह किताब हमने तुम्हारी तरफ़ सच्चाई के साथ उतारी है, इसलिए तुम अल्लाह ही की बन्दगी करो दीन को उसी के लिए ख़ालिस करते हुए। ख़बरदार, ख़ालिस दीन (बन्दगी) अल्लाह ही के लिए है।"

(क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयतें-2, 3)

इबादत के मानी परस्तिश, इताअत और बन्दगी के हैं। अल्लाह माबूद ज्य-प्रभु) है, सब उसके बन्दे हैं और इबादत करना उनका काम है। आम र पर दुनिया के मज़हबों में इबादत से मुराद पूजा और परस्तिश ली जाती जो बन्दे और ख़ुदा के बीच एक निजी मामला है। क़ुरआन इस ़लतफ़हमी को दूर करता है। क़ुरआन के मुताबिक़ इबादत के मानी पूरी न्दगी में ख़ुदा के हुक्मों और हिदायतों की इताअत व फ़रमाँबरदारी है और ी ज़िन्दगी का सही तरीक़ा है। क़ुरआन में है कि अपने दीन (धर्म) को ालिस करके अल्लाह की बन्दगी करो। अल्लाह ने जिन्नों और इनसानों को न्दगी के लिए ही पैदा किया है। इसी लिए ज़िन्दगी की आख़िरी घड़ी तक ल्लाह की इबादत करते रहो। तुम्हारा जीना और मरना सिर्फ़ अल्लाह के ाए हो जाए, और जो लोग अल्लाह की बन्दगी से इनकार करते हैं वे घमंडी वे आख़िरकार जहन्नम में जाएँगे।[1]

सारे पैग़म्बरों की दावत अपनी-अपनी क़ौमों को यही थी कि अल्लाह की ादत करो, उसके सिवा कोई ख़ुदा नहीं है और शैतान की बन्दगी से चो। यही सीधा रास्ता है।[2]

बादत

नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज मुकम्मल इबादत नहीं है, बल्कि इन्हें स्लाम के बुनियादी अरकान (स्तम्भ) कहा जाता है। इनपर अमल करने से री ज़िन्दगी में इस्लाम पर चलना आसान हो जाता है। नमाज़ दिन में पाँच ार इनसान को ख़ुदा का बन्दा होने की याद दिलाती रहती है। रोज़ा हमेशा ल्लाह के हाज़िर-नाज़िर होने और हर हाल में उसके हुक्मों पर चलने की

तरबियत देता है। ज़कात देने से यह एहसास होता है कि माल का अ
मालिक अल्लाह है, हम उसके अधीन हैं। हज अल्लाह के एक होने 3
उसका कोई साझी न होने, इनसानी बराबरी और ख़ुदा से डरने 3
परहेज़गारी का सबक़ देता है।

1. नमाज़ : ईमान का इक़रार कर लेने के बाद पहली चीज़ जो बन्दे पर फ़
और ज़रूरी हो जाती है वह नमाज़ है। मुसलमानों और ग़ैर-मुस्लिमों में
चीज़ फ़र्क़ पैदा करती है वह नमाज़ है। इसलिए क़ुरआन में इसका ताकी
हुक्म है। ख़ुद भी इसकी पाबन्दी करना है और घरवालों, बाल-बच्चों को
इसका हुक्म देते रहना है। पाँच वक़्त की नमाज़ों (फ़ज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़ि
और इशा) की तरफ़ क़ुरआन मजीद में साफ़ इशारे मौजूद हैं और सुन्
(सीरत सल्ल०) में इसकी वज़ाहत (व्याख्या) मौजूद है। किसी फ़र्क़ के बि
हर अक़्लवाला, बालिग़ मर्द और औरत पर पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है
कहा गया कि "बेशक नमाज़ वक़्त की पाबन्दी के साथ मोमिनों पर फ़
है।" हफ़्ते में एक ज़ुहर के बजाए जुमा फ़र्ज़ है। इसमें मुसलमानों का ब
इजतिमा होता है, जिसमें अल्लाह के हुक्म और हिदायतों का ज़िक्र या
ख़ुतबा होता है। जुमा की अदाइगी के लिए ख़ास हुक्म दिया गया है। इस
मुसलमानों के लिए भाइचारे और इजतिमाईयत (सामूहिकता) का सबक़ है

क़ुरआन मजीद में दो तरह की नमाज़ों का ज़िक्र आया है। ए
मुनाफ़िकों (कपटाचारियों) की नमाज़ और दूसरे मोमिनों की नमाज़
मुनाफ़िकों के बारे में कहा गया कि "वे अपनी नमाज़ों में ग़फ़लत बरतते
और लोगों को दिखाने के लिए कसमसाते हुए नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़
उनका ध्यान नहीं होता। अल्लाह को याद भी नहीं करते, मगर बहुत क
क्योंकि वे कुफ़्र और ईमान के बीच डाँवाँ-डोल हैं। इसके बरख़िलाफ़ मोमि
लोग नमाज़ की पाबन्दी करते हैं। उसके वक़्तों में जमाअत से नमाज़ अ
करते हैं। अल्लाह के सामने ग़ुलामों की तरह पूरी आजिज़ी (विनम्रता)
खड़े रहते हैं और उनपर अल्लाह का डर छाया रहता है।"[4]

नमाज़ से कई फ़ायदे हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर वुज़ू से जि
के हिस्सों की ज़ाहिरी सफ़ाई हो जाती है। नमाज़ वक़्त की पाबन्दी सिखा

। किरदार सँवारती है यानी बेहूदा और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह ताल्लुक़ को मज़बूत करती है। ख़ुदा की मुहब्बत और परहेज़गारी व डर बातिन (मन) को भी पाकीज़ा करती है। इसके बरख़िलाफ़ जो नमाज़ को (बाद कर देते हैं वे दुनिया में अपनी कामनाओं और इच्छाओं के पीछे पड़े कर गुमराह हो जाते हैं और आख़िरत में वे जहन्नम में दाख़िल किए एँगे। जब जहन्नमवालों से पूछा जाएगा कि तुम्हारा क्या क़ुसूर था? तो कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़नेवालों में से न थे।[5] इस्लामी समाज में मस्जिद । एक केन्द्रीय हैसियत हासिल है, क्योंकि यह इबादत की जगह है। इससे सलमानों को ईमानी ताक़त मिलती है और बहुत सारे रूहानी, अख़लाक़ी ार सामाजिक फ़ायदे हासिल होते हैं और सबसे बड़ी बात मुसलमानों की ामूहिकता को ताक़त व मज़बूती मिलती है। मस्जिदों को आबाद करनेवाले, ल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखनेवाले, नमाज़ पढ़नेवाले, कात देनेवाले, और अल्लाह से डरनेवाले परहेज़गार लोग होते हैं।[6]

रोज़ा : मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, जिस तरह पहले ाम्बरों के माननेवालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि उनमें परहेज़गारी की बी पैदा हो। दिनभर खाने-पीने और जिंसी ख़ाहिश से रुके रहने का नाम ज़ा है। उन लोगों को रोज़ा छोड़ देने की इजाज़त दी गई जो रोज़ों की ख़्ती को बरदाश्त न कर सकते हों, जैसे मरीज़, मुसाफ़िर (बूढ़े, हैज़वाली, र्भवती, बच्चे को दूध पिलानेवाली)। हाँ, वे रोज़े का फ़िद्या (बदले में दक़ा) दे दें जो किसी मिसकीन को खाना खिलाना है, या बाद में छोड़े हुए ज़ों की तादाद को पूरा कर लें। अल्लाह आसानी करना चाहता है, मुश्किल हीं। रमज़ान नफ़्स को पाक करने, अख़लाक़ी तरबियत और सुधार करने ा महीना है। इससें अल्लाह हर नेक अमल का बदला और सवाब बढ़ा देता । इसमें अल्लाह से ताल्लुक़ को ज़्यादा-से-ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। मज़ान के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ (मस्जिद में सब काम-काज ोड़कर क़ियाम करना) किया जाता है।[7]

रमज़ान और क़ुरआन का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क़ुरआन का उतरना अवतरण) रमज़ान के महीने की 'शबे-क़द्र' में हुआ है, जो इनसानों के लिए

सरासर हिदायत है और ऐसी शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा रास दिखानेवाली और हक़ (सत्य) व बातिल (असत्य) का फ़र्क खोलकर र देनेवाली है। "रमज़ान में रात की नमाज़ (तरावीह) को बेहद अज्रो-सवाब इबादत क़रार दिया गया। इसलिए इसमें क़ुरआन पढ़ा और सुना जाता है

3. ज़कात : क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआल ने "नमाज़ क़ायम करने अं ज़कात अदा करने का बार-बार हुक्म दिया है।" इसमें से एक का ताल्लु अल्लाह के हुक़ूक़ से है तो दूसरे का ताल्लुक़ बन्दों के हुक़ूक़ से नमाज़-रोज़े की तरह ज़कात भी पहले की आसमानी शरीअतों (धर्म-विधा में फ़र्ज़ थी। ज़कात लाज़िमी तौर पर अदा किया जानेवाला फ़र्ज़ है जो निसाब-भर माल रखनेवाले पर लाज़िमी है। जो लोग अपने मालों की ज़क नहीं देते उनको ख़बरदार किया गया है। उनके जमा किए हुए सोने-चाँदी जमा पूँजी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और उससे उन लोगों पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दाग़ा जाएगा। कहा जाएगा कि यह है पूँजी का ख़ज़ाना जो तुमने जमा किया था। लो अब अपनी समेटी हुई दौल का मज़ा चखो।[9]

क़ुरआन (सूरा-9 तौबा में) ज़कात को जमा करने और उसकी तक़सी का निज़ाम पेश करता है। कहा गया कि "ऐ नबी! उनके मालों में से (ए निश्चित दर के तहत) सदक़ा वुसूल करो।" और इसके बाद जमा किए सदक़े यानी ज़कात को अलग-अलग मदों में तक़सीम करने की भी तफ़सी बयान की गई है कि ये सदक़े तो दरअस्ल फ़क़ीरों और मिसकीनों के लि हैं और उन लोगों के लिए हैं जो सदक़ा जमा करने के काम पर लगाए हों, और उनके लिए है जिनके दिल दीन पर जमाए रखना मतलूब (वांछि हो। फिर यह गरदनों (क़ैदियों) को छुड़ाने और क़र्ज़दारों की मदद करने ख़ुदा के रास्ते में और मुसाफ़िरों पर ख़र्च करने के लिए हैं। "एक फ़रीज़ अल्लाह की तरफ़ से।" पता चला कि ज़कात समाज के अमीरों से ली ज है और ग़रीबों में ख़र्च की जाती है। ज़कात को इजतिमाई (सामूहिक) त पर जमा और तक़सीम करने का निज़ाम तो इस्लामी हुकूमत का काम लेकिन अगर वह न हो तो मुसलमान इस निज़ाम को क़ायम करने

ाशिश करें, क्योंकि इसके बहुत ही फ़ायदे हैं।[10]

ज़कात अदा करने से नफ़्स (मन) को पाकी हासिल होती है, और माल र्देश में रहता है। जिस सदक़ा और ख़ैरात (दान) में जितना इख़लास नेष्ठा) और खुदा की खुशनूदी होगी उसका अज्रो-सवाब (इंनाम) भी ज़्यादा होगा।

हज : हज एक बड़ी इबादत है। लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है कि उसके घर तक पहुँचने की हैसियत और ताक़त रखता हो वह उसका हज रे, और जो कोई इस हुक्म को मानने से इनकार करे तो मालूम होना हिए कि अल्लाह सारे दुनियावालों से बेनियाज़ है। हर साल दुनिया के ालमान खाना-काबा के पास जमा होकर एक अल्लाह, जिसका कोई ीक नहीं, की बन्दगी का इक़रार करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी बिरादरी खुद अपनी आँखों से देखकर नई ईमानी ताक़त के साथ अपने घरों को टते हैं।[11]

हज का मक़सद भी इख़लास और परहेज़गारी है, यानी सिर्फ़ अल्लाह की शनूदी की ख़ातिर हज और उमरे को पूरा करो। इसमें शहवानी कामों, दा की नाफ़रमानी और लड़ाई-झगड़े से मना किया गया है। हरम (काबा) ज़ियारत करनेवालों को ज़ादे-राह (सफ़र का सामान) के तौर पर खुदा की हेज़गारी अपनाने को कहा गया है। इसी तरह क़ुरबानी के बारे में भी कहा ा कि खुदा के पास तुम्हारे जानवरों का न तो गोश्त पहुँचता है, न ख़ून, तो तुम्हारा सिर्फ़ तक़्वा (डर और परहेज़गारी) देखना चाहता है।[12]

हज का फ़रीज़ा 8 से 13 ज़िलहिज्जा की तारीख़ों में अदा किया जाता इसमें मीक़ात (निश्चित जगह) से एहराम बाँधा जाता है। मिना, अरफ़ात र मुज़्दलिफ़ा में ठहरना होता है। जानवरों की क़ुरबानी होती है। अल्लाह मुहतरम (प्रतिष्ठित) घर खाना काबा का तवाफ़ (परिक्रमा) होता है। ा-मरवा के बीच सई (दौड़ना या तेज़ चलाना) की जाती है। सिर के बाल वाए जाते हैं। हज का तरीक़ा क़ुरआन और हदीसों में बयान हुआ है, को मालूम करके हज अदा किया जाता है।[13]

ल्लाह का ज़िक्र

"ऐ ईमान लानेवालो अल्लाह को बहुत याद करो और सुबह-शाम उसकी

तसबीह (महिमागान) करो।" अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह की इबादत है। बेइन्तिहा मेहरबान ख़ुदा की याद से ग़ाफ़िल हो जाता है तो एक शैतान र पर मुसल्लत हो जाता है और वह उसे सीधे रास्ते से हटा देता है। इसलि यह वारनिंग दी गई है कि उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अल्लाह ज़िक्र से ग़ाफ़िल होकर बदकारी और गुनाह में मुबूतला हो गए। असली दि का सुकून, अल्लाह के ज़िक्र ही से नसीब होता है। ज़िक्र करनेवाले मर्दों अ औरतों से अल्लाह ने मग़फ़िरत (क्षमादान) और बड़े बदले का वादा किया है

दुआएँ

तौहीद (एकेश्वरवाद) का तक़ाज़ा है कि अल्लाह ही से दुआएँ मँ जाएँ। वही दुआएँ क़बूल करता है। वह हर चीज़ की कुदरत रखता है। उ के हाथ में सारे इख़्तियार हैं। वही पैदा करनेवाला, मालिक, हाजतें करनेवाला, मुश्किलें दूर करनेवाला और फ़रियाद सुननेवाला है। उस छोड़कर दूसरों से दुआएँ माँगना और उन्हें ज़रूरत पूरी करनेवाला समझ एहसान-फ़रामोशी और नमक-हरामी है। दुआएँ दो मक़सद के लिए मां जाती हैं, एक गुनाहों की माफ़ी के लिए और दूसरे अपनी ज़रूरत के पूरा ह और मुश्किलों को दूर करने के लिए। ख़ुदा का फ़रमान है, "तुम्हारा कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएँ क़बूल करता हूँ।" इसी लि तमाम पैग़म्बर और बुज़ुर्ग उसी से दुआएँ माँगते थे। हर माँगनेवाले को उ से मिलता है। उसके सिवा कोई दाता नहीं। कोई गंज-बख़्श (ख़ज़ देनेवाला) नहीं। ख़ुदा फ़रमाता है, "लोगो तुम सब अल्लाह ही के मुहत हो, और अल्लाह तो ग़नी और तारीफ़वाला है।" उसी से तौबा और मग़फ़ि तलब करना चाहिए। वही गुनाहों को माफ़ करनेवाला और रहम करनेव है। तो फिर "उसी से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो, क्योंकि अल्लाह के सि कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर दे।[15]

हवाले-जात (सन्दर्भ)

(1) सूरा-39 ज़ुमर, आयतें-2, 3; सूरा-98 बैयिनह, आयत-5; सूरा-15 हि आयत-99; सूरा-6 अनआम, आयतें-161, 162; सूरा-40 मोमिन, आयत

(2) सूरा-16 नह्ल, आयत-36; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-51; सूरा

ε, आयतें-26, 50, 61, 84; सूरा-7 आराफ़, आयतें-59, 65, 73, 85
) सूरा-30 रूम, आयत-31; सूरा-20 ता-हा, आयत-132; सूरा-17
नी-इसराईल, आयत-78; सूरा-2 बक़रा, आयत-238; सूरा-11 हूद,
ायत-114; सूरा-4 निसा, आयत-103; सूरा-62 जुमुआ, आयत-9
) सूरा-107 माऊन, आयतें-4 से 7; सूरा-4 निसा, आयतें-142, 143;
रा-70 मआरिज, आयतें-23, 34; सूरा-2 बक़रा, आयत-238; सूरा-40
मिन, आयतें-1, 2 (5) सूरा-2 बक़रा, आयत-222; सूरा-5 माइदा,
ायत-6; सूरा-4 निसा, आयत-103; सूरा-29 अन्कबूत, आयत-45; सूरा-11
ε, आयत-87; सूरा-24 नूर, आयत-38; सूरा-19 मरयम, आयत-59;
रा-68 क़लम, आयतें-42, 43 (6) सूरा-9 तौबा, आयतें-18, 109; सूरा-2
क़रा, आयत-114 (7) सूरा-2 बक़रा, आयतें-183, 184, 187 (8) सूरा-2
क़रा, आयत-185 (9) सूरा-98 बैयिनह, आयत-5; सूरा-9 तौबा, आयतें-34,
5, 60 (10) सूरा-9 तौबा, आयतें-60, 103 (11) सूरा-3 आले-इमरान,
ायतें-96, 97 (12) सूरा-2 बक़रा, आयतें-196, 197; सूरा-22 हज,
ायत-37 (13) सूरा-2 बक़रा, आयतें-158, 196 से 203 (14) सूरा-33
हज़ाब, आयत-42; सूरा-43 ज़ुख़रुफ़, आयतें-36, 37; सूरा-59 हश्र,
ायत-19; सूरा-13 रअ्द, आयत-28; सूरा-33 अहज़ाब, आयत-35
5) सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-4; सूरा-35 फ़ातिर, आयत-35; सूरा-3
ाले-इमरान, आयत-135।

क़ुरआन की अख़लाक़ी (नैतिक) शिक्षाएँ

"अल्लाह इनसाफ़ और एहसान और रिश्तों को निभाने का हुक्म देता है और बुराई व बेहयाई और ज़ुल्म-ज़्यादती से मना करता है। वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक़ लो।"

(क़ुरआन, सूरा-16 नह्ल, आयत-40)

इनसान के अन्दर अख़लाक़ का एक फ़ितरी एहसास पाया जाता जिसकी वजह से वह अख़लाक़ को जानी-पहचानी भलाई और बुराई तक़सीम (विभाजित) करता है। इसी को क़ुरआन में बदकारी और परहेज़ग के नाम दिए गए है। इसका शऊर व समझ इनसान की फ़ितरत में रख वि गया है। यह आलमगीर इनसानी अख़लाक़ियात (नैतिकता) की बुनिय है।[1] क़ुरआन मजीद में महासिने-अख़लाक़ (उच्च नैतिकता) की धुरी ईम है। यानी ख़ुदा पर ईमान और आख़िरत की पूछ-गछ का पक्का यक़ीन। य ईमान इनसान के अन्दर मुस्तक़िल (स्थाई) अख़लाक़ी क़द्रें (नैतिक मू पैदा करता है। फिर जिसके अख़लाक़ की कोई बुनियाद नहीं होती मफ़ादपरस्त (स्वार्थी) और मतलबी होता है।[2] क़ुरआन एक किरदार बनानेव किताब है, वह इनसान में से ख़राब व घटिया बातों को निकालकर बेहतरीन ख़ूबियोंवाला इनसान बनाती है।

अख़लाक़ी नीचता

1. फ़िक्र व सोच की बुराइयाँ : क़ुरआन मजीद में शिर्क के बाद जिस सबसे ज़्यादा निन्दा की गई है वह ग़ुरूर और घमंड है। क्योंकि बड़ाई सि अल्लाह के लिए सज़ावार (शोभनीय) है। जिसकी शुरुआत इबलीस शै ने की थी। जब उसे अल्लाह ने आदम (अलैहि०) को सजदा करने का हु दिया तो उसने कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ, उसको तूने मिट्टी से बन और मुझे आग से पैदा किया। इस घमंड की पैरवी हर दौर में इनसान क रहा है। फ़िरऔन ने कहा, "मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ", नमरूद ने व "मैं भी मारता और जिलाता हूँ।" हूद की क़ौम ने कहा, "ताक़त में ह बढ़कर कोई नहीं।" मुख़्तलिफ़ लोग अलग-अलग क़िस्म के घमंड में मुब

ते हैं। किसी को अपनी कुर्सी, किसी को पैसे, किसी को इल्म और हुनर, सी को रंग, किसी को नस्ल और किसी को वतन का घमंड होता है। घमंड सान को अंधा बना देता है। दुनिया में भी घमंड करनेवालों का अंजाम ा होता है और आख़िरत में उनका ठिकाना जहन्नम होता है। इसलिए ा गया कि ज़मीन पर अकड़कर न चलो, तुम न ज़मीन को फाड़ सकते और न पहाड़ों की ऊँचाई को पहुँच सकते हो।[3]

रियाकारी-दिखावा : जिस काम में रियाकारी और दिखावा हो उसका ई अज्र (इनाम) नहीं मिलता। वह सदक़ा और ख़ैरात बरबाद और बेकार जाते हैं, जिसमें दिखावा होता है। मुनाफ़िक़ लोगों के काम इसी तरह ाइशी होते हैं।[4]

हसद : हसद वह आग है जिसमें इनसान जल मरता है। यहूदी ालमानों को देखकर जलते थे। क़ुरआन में हसद करनेवालों के हसद से ाह माँगी गई है।[5]

बदगुमानी : क़ुरआन में मुसलमानों को बदगुमानी करने से मना किया ा है।[6]

शुह्हे-नफ़्स : कंजूसी और हिर्स की मिली-जुली हालत को शुह्हे-नफ़्स ा जाता है। जो आदमी कंजूस होता है, वह लालची भी होता है। इसलिए आन में कहा गया कि जो आदमी शुह्हे-नफ़्स से बच गया वह कामयाब गया।[7]

क़ौली बुराइयाँ : ज़बान के ग़लत इस्तेमाल से जो अख़लाक़ी बुराइयाँ ी हैं क़ुरआन में उनकी तरफ़ निशानदेही की गई है। इसमें निजी क़िस्म भी बुराइयाँ हैं और इजतिमाई (सामूहिक) भी।

निजी ख़राबियों और बुराइयों में झूठ वह अख़लाक़ी बुराई है, जिसके होने में किसी को इख़्तिलाफ़ नहीं है। क़ुरआन मजीद में कहा गया कि से बचो और झूठी गवाही न दो। झूठ को हर हाल में नाजाइज़ और म क़रार दिया गया है। इसी तरह इनसान का दोरुख़ापन है। जिस दमी की ख़ुद कोई फ़िक्री (वैचारिक) बुनियाद नहीं होती वह हर उस ग्रुप शामिल हो जाता है जिसमें उसको फ़ायदा नज़र आता है। यह ख़राबी

ख़ास तौर पर मुनाफ़िक़ों में होती है। उनके दिल में पक्का ईमान नहीं होत वे कुफ़्र और ईमान के बीच डाँवाँ-डोल होते हैं। वे लोग जिनकी ज़िन्दगी क कोई मक़सद नहीं होता, वे बेकार की बातों में अपना वक़्त बरबाद करते हैं इस तरह की बातों में न तो दीन का फ़ायदा होता है और न दुनिया क कामयाबी पानेवाले मोमिनों की यह ख़ूबी बताई गई है कि वे बेकार की बा से दूर रहते हैं।[8]

● इजतिमाई (सामूहिक) ख़राबियों और बुराइयों में कई बातें हैं, जिन बचना चाहिए वरना वे समाज को घुन की तरह लग जाती हैं। मिसाल तौर पर मर्दों और औरतों का एक-दूसरे का मज़ाक़ उड़ाना, दूसरों के बुरे न रखना, बहुत गुमान करना, दूसरों की बातों की टोह में लगे रहना, त मारना, पीठ-पीछे बुराइयाँ करना, चुग़ली करना और ख़ास तौर पर ग़ीब करना तो वह बुराई है जिसकी मुर्दा भाई के गोश्त खाने से मिसाल दी है और बुहतान (इलज़ाम) लगाना, अगर इससे किसी की किरदारकु (चरित्रहनन) होती है तो उसको फ़ौजदारी जुर्म क़रार दिया गया और उस सज़ा अस्सी (80) कोड़े मारना है।[9]

3. अमली बुराइयाँ : ये वे बुराइयाँ हैं जिनसे पूरा कैरेक्टर तबाह हो ज है। जो गुनाह और बदकारी में शुमार की जाती हैं। क़ुरआन उन बुराइयों लोगों को ख़बरदार करता है और बचाता है। मिसाल के तौर पर शराब अ नशा-आवर चीज़ें, जुआ और सट्टा, ज़िना और गन्दे और बेशर्मी के क चोरी और डाका, ये वे बुराइयाँ हैं जो इनसान को आख़िरकार तबाह-बरब करके ही छोड़ती हैं। ये ऐसी लानतें है जिनमें गिरफ़्तार आदमी मुश्किल से छुटकारा पाता है। जिससे दुनिया में बदनामी और तबाही है और आख़ि का अज़ाब भी है। क़ुरआन में चेतावनी दी है कि इसके क़रीब भी न फट इनसे बचो, ये सब शैतानी काम हैं।[10]

अच्छे अख़लाक़ की अहमियत और बड़ाई

1. निजी अख़लाक़

● **सदाक़त (सच्चाई) :** अच्छे अख़लाक़ की बुनियाद सच्चाई है। ख़ुदा तमाम पैग़म्बर सच्चे थे। ईमान लानेवालों को यह हुक्म दिया गया कि

ल्लाह का डर और परहेज़गारी अपनाएँ, ठीक-ठाक बात कहें और सच्चों त्यवादियों) का साथ दें।[11]

अमानत : अमानत भी सदाक़त यानी सच्चाई की तरह सारे पैग़म्बरों की ब्री और सिफ़त रही है। अमानत के मानी हैं, दी गई ज़िम्मेदारी को पूरी ना। एक ज़िम्मेदारी वह है जो अल्लाह ने अपने रसूलों को पैग़ाम पहुँचाने लिए सौंपी है। दूसरी ज़िम्मेदारी वह है जो किसी इनसान को इजतिमाई ामूहिक) मामलों के ओहदे और मंसब पर नियुक्त करके दी जाती है। सरी अमानत वह है जो धन-दौलत और चीज़ों की शक्ल में किसी के पास ी जाती है और चौथी अमानत राज़दारी, वसीयत, सामूहिक हितों में शूरा लाहकार समिति) की गोपनीय बातें हैं।[12]

सब्र : बेहतरीन अख़लाक़ में सब्र (बरदाश्त) भी एक अहम ख़ूबी है। ाके बग़ैर कोई मक़सद हासिल नहीं हो सकता। ख़ासकर मक्की दौर की 5आती क़ुरआनी सूरतों (अध्यायों) में इस ख़ूबी को अपनाने की बार-बार कीद की गई है। यह अस्ल में ज़ब्ते-नफ़्स (आत्मसंयम) है। क़ुरआन में ब्र तीन मानी में इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह की नाफ़रमानी से बचना। ल्लाह की इताअत में साबित क़दम रहना और हक़ के रास्ते की कठिनाइयों सहन करना।[13]

अह्द निभाना : अख़लाक़ी ख़ूबियों में अह्द (वादे) को निभाना भी बड़ी इम ख़ूबी है। वह यह कि इनसान जिससे वादा करे, जो उसके आन्तरिक वेक के अलावा कलिमा (ला इला-ह इल्लल्लाह) की गवाही देने से लागू जाता है। दूसरे वे अह्दनामे हैं जो एक इनसान दूसरे इनसान से करता । कहा गया कि अह्द (वचन) की पाबन्दी करो, बेशक अह्द के बारे में ावबदेही करनी होगी। अह्द को निभाना, कामयाब होनेवाले मोमिनों की बी है।[14]

शर्म व हया : शर्म व हया इनसान की फ़ितरत में रख दी गई है। शैतान पहले इनसान को बेहया (बेशर्म) करने की कोशिश की। इसके बाद दूसरे इयाई के कामों के दरवाज़े अपने-आप खुल जाते हैं। कहा गया, ऐ आदम ा औलाद! हमने तुमपर लिबास उतारा है, ताकि तुम्हारे जिस्म के शर्म के

हिस्सों को ढाँके और तुम्हारे जिस्म की हिफ़ाज़त का ज़रिआ भी हो, अं बेहतरीन लिबास तक़्वा (परहेज़गारी) का लिबास है। अल्लाह ने बेशर्मी क बातों को हराम किया है चाहे खुली हों या छिपी। इसी की हिफ़ाज़त के लि औरतों और मर्दों को नज़रें नीची रखने का हुक्म दिया गया। औरतों को प के हुक्म दिए गए। बेहयाई को फैलाने पर पाबन्दी लगाई गई है।[15]

● **तक़्वा :** इसके मानी खुदा से डरने, उसकी नाराज़ी से बचने, नाफ़रमा से परहेज़ करने और फ़रमाँबरदारी अपना लेने के हैं। तक़्वा नाम है इख़ल का, हुक्मों की पाबन्दी का, मना की गई बातों से बचने का और आख़िर की जवाबदेही का। क़ुरआन में यह शब्द विभिन्न मौक़ों और हालात बयान हुआ है। इसमें तमाम अच्छे काम और अच्छी बातें आ जाती हैं मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों की अनेकों सिफ़ात (ख़ूबियाँ) क़ुरआन में अ हैं, मिसाल के तौर पर वे अल्लाह पर, आख़िरत पर, फ़रिश्तों पर, पैग़म्ब पर और किताबों पर ईमान रखते हैं। नमाज़ क़ायम करते हैं, ज़कात देते हैं अल्लाह की मुहब्बत में अपना दिल-पसन्द माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिसकी मुहताजों और मुसाफ़िर पर ख़र्च करते हैं। अहृद को निभाते हैं और सब्र राह पर जमे रहते हैं, अल्लाह से डरते हैं, वग़ैरा। तक़्वा की जड़ में खुदा डर होता है। तक़्वा का केन्द्र दिल होता है।[16]

● **एहसान :** यह तक़्वा की आख़िरी मंज़िल है। एहसान की तह में अल्ल से मुहब्बत का जज़्बा कारफ़रमा होता है। सिपुर्द किए गए काम को बेहतरी तरीक़े से खुशी-खुशी लगन के साथ अंजाम देना और हवाले किए हुए क से ज़्यादा करना, खुदा को राज़ी करने को मक़सद बनाना और इख़ल अपनाने का काम एहसान है। खुदा की खुशनूदी की ख़ातिर हर मनपस प्यारी चीज़ को क़ुरबान कर देने और हर कठिनाई को सह लेने का जज़ कारफ़रमा होता है। बेग़रज़ अमल (निस्स्वार्थ काम) का इनाम भी कुछ उ ही होता है। उनके लिए कामियाबियाँ और बुलन्द मक़ाम है। क़ुरआन मुहसिनों (उत्तमकर्मियों) के जो गुण गिनाए हुए हैं वे ये हैं, जो हर हाल अपने माल ख़र्च करते हैं चाहे बदहाल या खुशहाल, जो ग़ुस्से को पी ज हैं और दूसरों के क़ुसूरों को माफ़ कर देते हैं। वे अगर कभी गुनाह का क

(बैठते हैं तो फ़ौरन वे अल्लाह से माफ़ी माँगते हैं और जान-बूझकर अपने ए हुए बुरे कामों पर हठ नहीं करते।[17]

समाजी अख़लाक़

इस्लामी भाईचारा : इस्लाम वैचारिक एकता पैदा करता है। जो |-नस्ल, ज़बान और वतन की पक्षपाती भावना और भेदभाव से परे होती । क़ुरआन अन्तर्राष्ट्रीय सोसाइटी बनाता है। कहता है कि मोमिन तो ापस में भाई-भाई हैं। अगर उनमें आपस में लड़ाई-झगड़ा हो जाए तो सब लकर उनके बीच सुलह-सफ़ाई और मेल-जोल करा दें। सच्चे ईमानवालों ी एकता सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह होती है। वे आपस में एक-दूसरे हमदर्द और ख़ैरख़ाह होते हैं।[18]

नेकियों में सहयोग : मुस्लिम सोसाइटी के लोगों की यह ख़ूबी होती है वे नेकी और ख़ुदातरसी के कामों में एक-दूसरे की मदद करते हैं, गुनाह ौर ज़्यादती के कामों में मदद नहीं करते।[19]

अद्ल और इनसाफ़ : मुसलमानों से कहा गया कि अल्लाह के लिए ीधे-सच्चे रास्ते पर क़ायम रहनेवाले और इनसाफ़ की गवाही देनेवाले बनो। नसाफ़ की बात कहो, चाहे मामला ग़ैर का हो या अपने रिश्तेदारों का। नसाफ़ की राह में ख़ानदान, क़बीला, क़ौम और वतन की असबियत पक्षपात) रास्ते का रोड़ा न बनना चाहिए। अद्ल पर अल्लाह ने कायनात ा निज़ाम क़ायम किया है।[20]

सलाह व मश्वरे : मुसलमानों के सामूहिक व समाजी मामले आपस के श्वरे से तय होने चाहिएँ। जिस मामले में क़ुरआन और हदीस में कोई हुक्म ाज़ेह न हो उनमें सूझ-बूझ रखनेवाले नेक लोग मिलकर मश्वरे से काम करें।[21]

नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना : मुस्लिम समाज की यह नुमायाँ ख़ूबी और ख़ासियत होती है कि उनमें इजतिमाई ज़मीर (अन्तरात्मा) ज़िन्दा ोता है जिसकी वजह से उसमें बुराइयाँ पनपने नहीं पातीं। उस समाज में की का हुक्म करने और बुराई से मना करने की रूह कारफ़रमा होती है। की का हुक्म देना और बुराई से रोकने का काम हर तबक़े के लिए ज़रूरी क़रार दिया गया है। यह काम अकेले-अकेले भी किया जाए, मिल-जुलकर

भी हो, आलिम और लीडर भी और सत्ता व सत्ताधारी भी करे।[22]

● **हक़ और सब्र की वसीयत :** सख़्त हालात में जब मुसलमान तकलीफ़ मुसीबतों और ज़ुल्म-ज़्यादती में घिर जाएँ तो वे एक-दूसरे को हक़ पर साबि क़दम रहने की नसीहत करें और अल्लाह की ख़ातिर बरदाश्त करने व तलक़ीन करते रहें। क्योंकि इससे एक-दूसरे की ढारस बंध जाती है।[23]

● **दरगुज़र व माफ़ी :** समाजी ज़िन्दगी में लोगों को कुशादा दिल हो चाहिए कि वे दूसरों की कमज़ोरियों और ग़लतियों को माफ़ कर दें अं दरगुज़र से काम लें। नबी (सल्ल॰) बड़े नर्म मिज़ाज थे, सख़्त दिल नहीं जिसकी वजह से आप (सल्ल॰) को जहानवालों के लिए रहमत बनाया गय कहा गया जो ग़ुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के क़ुसूरों को माफ़ करते अल्लाह ऐसे एहसान करनेवालों को पसन्द करता है।[24]

हवाले-जात (सन्दर्भ)

(1) सूरा-91 शम्स, आयत-8 (2) सूरा-107 माऊन, आयतें-1 से (3) सूरा-2 बक़रा, आयतें-24, 258; सूरा-79 नाज़िआत, आयत-24; सूरा-4 हा-मीम-सजदा, आयत-15; सूरा-46 अहक़ाफ़, आयत-20; सूरा-1 बनी-इसराईल, आयत-37 (4) सूरा-2 बक़रा, आयत-264; सूरा-4 निस आयत-142 (5) सूरा-4 निसा, आयत-54; सूरा-113 फ़लक़, आयत (6) सूरा-49 हुजुरात, आयत-12; सूरा-5 माइदा, आयत-105 (7) सूरा-1(तकासुर, आयतें-1, 2; सूरा-100 आदियात, आयत-8; सूरा-3 आले-इमरा आयत-180; सूरा-64 तग़ाबुन, आयत-16 (8) सूरा-22 हज, आयत-3 सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-72; सूरा-2 बक़रा, आयत-14; सूरा-4 निस आयत-145; सूरा-40 मोमिन, आयत-3; सूरा-78 नबा, आयत-35; सूरा-2 नूर, आयत-4 (9) सूरा-49 हुजुरात, आयतें-11, 12; सूरा-104 हु-मज़ आयतें-1 से 3; सूरा-68 क़लम, आयतें-8 से 16 (10) सूरा-5 माइद आयतें-38, 90; सूरा-24 नूर, आयत-19; सूरा-6 अनआम, आयत-15 सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-32 (11) सूरा-19 मरयम, आयतें-41, 5 54, 56; सूरा-33 अहज़ाब, आयत-70; सूरा-9 तौबा, आयत-11 (12) सूरा-26 शु'अरा, आयतें-107, 125, 143, 162, 178; सूरा-4 निस

यत-58; सूरा-40 मोमिन, आयत-8; सूरा-70 मआरिज, आयत-32; सूरा-66
रीम, आयत-3 (13) सूरा-73 मुज़्ज़म्मिल, आयत-10; सूरा-74 मुद्दस्सिर,
यत-7; सूरा-70 मआरिज, आयत-5; सूरा-68 क़लम, आयत-48; सूरा-42
ा, आयत-43; सूरा-46 अहक़ाफ़, आयत-35; सूरा-21 अंबिया, आयत-85;
ा-19 मरयम, आयत-65; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-200; सूरा-2 बक़रा,
यत-155 (14) सूरा-13 रअ्द, आयत-20; सूरा-5 माइदा, आयत-1;
ा-17 बनी-इसराईल, आयत-34 (15) सूरा-7 आराफ़, आयतें-22, 26,
, 33; सूरा-24 नूर, आयतें-30, 31, 33; सूरा-33 अहज़ाब, आयत-59
6) सूरा-2 बक़रा, आयतें-1 से 5, 177; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-102
7) सूरा-2 बक़रा, आयत-165; सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-132 से 135;
रा-37 साफ़्फ़ात, आयतें-101 से 110; सूरा-55 रहमान, आयत-60
8) सूरा-49 हुजुरात, आयतें-9, 10 (19) सूरा-5 माइदा, आयत-2 (20)
रा-5 माइदा, आयत-8; सूरा-6 अनआम, आयत-152; सूरा-55 रहमान,
ायत-4; सूरा-57 हदीद, आयत-24 (21) सूरा-3 आले-इमरान, आयत-159;
रा-42 शूरा, आयत-38 (22) सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-104, 110;
रा-9 तौबा, आयत-71; सूरा-5 माइदा, आयत-79; सूरा-22 हज, आयत-41;
रा-7 आराफ़, आयतें-163 से 166; सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-25
23) सूरा-103 अस्र, आयत-3; सूरा-41 हा-मीम-सजदा, आयतें-30 से 32;
रा-46 अहक़ाफ़, आयतें-13, 14 (24) सूरा-3 आले-इमरान, आयत-159;
रा-9 तौबा, आयत-128; सूरा-21 अंबिया, आयत-107; सूरा-3 आले-इमरान,
ायत-134।

क़ुरआन की सामाजिक शिक्षाएँ

इनसानी समाज की शुरुआत

क़ुरआन मजीद हमें बताता है कि अल्लाह ने हज़रत आदम (अलैहि
को बनाया और उनसे उनका जोड़ा बनाया फिर उस शुरुआती जोड़े से ब
सारे मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए। जैसे-जैसे इनसानी आबादी बढ़
चली गई इनसान दुनिया के अलग-अलग इलाक़ों में एक जगह से दूस
जगह बदल-बदलकर आबाद होता रहा। जलवायु, भौगोलिक हालात अं
खान-पान ने उनके रंग-रूप पर असर डालना शुरू किया। फिर धीरे-ध
उनकी क़ौमें और नस्लें बनती रहीं। कई भाषाएँ वुजूद में आईं। यह ए
फ़ितरी बात थी। लेकिन ये रंग, नस्ल, इलाक़े और ज़बान की भिन्नत
आपस में परिचय और जान पहचान के लिए हैं। इनमें बरतरी फ़िक्र, विच
और अख़लाक़ की वजह से है, जिसको तक़वा (ईशपरायणता) अं
परहेज़गारी कहा जाता है।[1]

वैराग्य और संन्यास

क़ुरआन इनसानी फ़ितरत को सुसभ्य बनाता और सँवारता है अं
फ़ितरत के ख़िलाफ़ चीज़ों से मना करता है। जिस तरह रोटी, कपड़ा अं
मकान इनसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं इसी तरह जिंसी ख़ाहिश भी फ़ित
ज़रूरत है। नस्ल को बाक़ी रखने के लिए फ़ितरत में शौहर-बीवी में रहम
लगाव-मुहब्बत, आकर्षण और लुत्फ़ व सुकून रखा है। इसलिए क़ुरआ
अविवाहित रहने को नापसन्द करता है और संन्यास को बिदअत (दीन
नई बात) क़रार देता है। जिन लोगों ने ख़ुदा की ख़ुशनूदी के लिए बिदअ
को ईजाद किया था वे इसपर क़ायम नहीं रह सके।[2]

शादी का मक़सद

इनसानी समाज की ख़ूबी अख़लाक़ (चरित्र) होती है। इसलिए पुरा
और नए हर दौर में इनसानी समाज और सभ्यता में ज़िना (व्यभिचार) व
औरत और मर्द का नाजाइज़ ताल्लुक़ क़रार दिया गया है और शादी व
जाइज़ क़रार दिया गया है। क्योंकि इससे फ़ितरत की माँग पूरी होती है

ाजी ज़िन्दगी में इससे मज़बूती होती और बरक़रार रहती है। अख़लाक़ र पाकदामनी की हिफ़ाज़त होती है और क़ानूनी तौर पर औलाद जाइज़ ती है। औरत व मर्द के बीच शादी से नसब (कुल) और ससुराल का रिश्ता यम होता है।[3]

दी की शर्तें

इस्लाम ने शादी के लिए कुछ शर्तें मुक़र्रर कर दी हैं, जिनका पूरा होना ़री क़रार दिया गया है। जैसे वे मुहर्रमात (ख़ूनी रिश्तों) में से न हों, ाबो-क़बूल (शादी का मामला) एक मजलिस में हो और किसी धोखे और ाव के बग़ैर आज़ादाना हो। वली और सरपरस्त की इजाज़त से हो। तन के मुताबिक़ महर तय हो और अदाइगी हो। फिर मामलात में दो ाह भी बना लिए जाएँ। मर्द को एक वक़्त में चार तक निकाह करने की ाज़त है, मगर इनसाफ़ की शर्त के साथ है।[4]

्र औरत का हक़ है और शौहर पर लाज़िम है

"उनके महर फ़र्ज़ के तौर पर अदा करो।" इसकी अदाइगी निकाह के ्त ही हो जाए (मुअज्जल) तो बहुत अच्छा है, वरना बाद में जल्द-से-जल्द ा करना चाहिए। महर की चार क़िस्में हैं—

शादी और ख़लवत के बाद पूरा महर अदा करना होगा।

शादी हुई, लेकिन ख़लवत नहीं हुई तो आधा महर देना होगा।

निकाह के बाद ख़लवत भी हो गई, लेकिन महर तै नहीं हुआ था तो ऐसी त में औरत के ख़ानदान के क़रीबी औरतों के बराबर महर देना होगा।

शादी हुई और सोहबत के बग़ैर ही तलाक़ हो गई तो ऐसी सूरत में तलाक़ वजह से कुछ माल देना होगा। वाज़ेह रहे कि महर मारूफ़ (आम चलन) ाक़े से शौहर के मेयार के मुताबिक़ देना चाहिए।[4-अ]

न औरतों से निकाह नहीं हो सकता

यानी जिन औरतों से शादी करना हराम क़रार दिया गया है वे पन्द्रह - (1) बाप की बीवी से (2) माँएँ-सगी, सौतेली, दादी, नानी (3) बेटियाँ, ती, नवासी, (4) सगी बहनें, माँ शरीक, बाप-शरीक, (5) फूफियाँ—सगी

और सौतेली (6) ख़ालाएँ—सगी और सौतेली (7) भतीजियाँ—सगी अ सौतेली (8) भांजियाँ—सगी और सौतेली (9) रज़ाई (दूध शरीक) म (10) रज़ाई बहनें, (11) बीवी की माएँ (सास— अगर ख़लवत हुई (12) सौतेली बेटियाँ (जिनकी माँ से शारीरिक सम्बन्ध बन चुके (13) बहुवें (मुँह बोले बेटों की नहीं), (14) दो बहनों को एक साथ ज करना, खाला, भांजी, फूफी, भतीजी (15) मुहसिनात यानी दूसरों बीवियाँ। इनके अलावा तमाम औरतों से शादी हो सकती है। शर्त यह कि वे मोमिन हों। किताबवाली (यहूदी-ईसाई) औरतों से भी शादी इजाज़त है।[5]

ख़ानदान में मर्द की हैसियत व मक़ाम

ख़ानदान समाज का एक यूनिट होता है। उसमें मर्द की हैसि सरपरस्त और मुंतज़िम (प्रबन्धक) की होती है। उसको औरतों पर एक द बरतरी का है। इसलिए कि उसपर नफ़्क़ा, खाना, कपड़ा और रिहाइश ज़िम्मेदारी है। उसको हिदायत की गई है कि वह बीवियों के साथ अच्छे अ भले तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ारे। उनसे बेहतर-से-बेहतर बरताव क ज़ुल्म-ज़्यादती करने से बचे और बीवियों के बीच इनसाफ़ करे।[6]

औरत की हैसियत और मक़ाम

जिस तरह मर्दों के हुक़ूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसी तरह औरतों के हैं कि वे नेक-भली और शरीफ़ बनकर रहें। आम चलन के मुताबिक़ शौ की फ़रमाँबरदारी करें। शौहर की ग़ैर-हाज़री में अपने नफ़्स और ज़ात और शौहर के माल की हिफ़ाज़त करें। शौहर के माल में ख़ियानत न और न चोरी करें। बुराई के काम न करें, औलाद का क़त्ल (गर्भपात) न क इस्लामी ख़ानदानी-निज़ाम का मिज़ाज यह है कि औरत घर की ज़िम्मेदा को बड़ी ख़ूबी के साथ निभाए और बच्चों की तरबियत में अपना बेहत रोल अदा करे।[7]

तलाक़ और अलाहदगी

क़ुरआन के मुताबिक़ शादी एक अदालती मुआहिदा (अनुबंध) है,

ड़ा भी जा सकता है। लेकिन इसको नापसन्द किया गया है। इसलिए याँ-बीवी को हिदायत दी गई है–

ा) वे आपस में भले तरीक़े से ज़िन्दगी गुज़ारें। मामूली और छोटी-मोटी बातें नज़रन्दाज़ करें, हो सकता है कि कोई एक बात पसन्द न हो, और दूसरी बातें बेहतर हों। बीवी की सरकशी की सूरत में पहले घर में ही उसको समझाएँ, फिर तम्बीह करें और उनसे अलहदगी इख़्तियार करें, फिर उन्हें सुधारने के लिए सज़ा भी दी जा सकती है।

ा) झगड़ा बढ़ जाने की सूरत में मियाँ-बीवी आपस में सुलह-सफ़ाई कर लें। यानी अपने हुक़ूक़ और फ़र्ज़ में कमी-बेशी पर रज़ामन्द हो जाएँ।

ा) इसके बाद भी सुलह न हो तो एक पंच मर्द के ख़ानदान से और एक पंच औरत के ख़ानदान से हो और वे मध्यस्तता के तरीक़े पर सुलह कर लें।[8]

अगर बयान की गई ऊपरवाली कोई सूरत कारगर न हो तो शौहर औरत ा पाकी की हालत में एक बार या ज़्यादा-से-ज़्यादा दो बार तलाक़ दे सकता । इसके बाद या तो भले तरीक़े से रोक लिया जाए या फिर भले तरीक़े रुख़सत कर दिया जाए। शौहर अपनी बीवी से ईला, ज़िहार और लिआन भी जुदाई अपना सकता है। इसी तरह बीवी भी शौहर से जुदा होने के ाए ख़ुलअ ले सकती है। अगर शौहर राज़ी न हो तो वह शरई अदालत से जू कर सकती है। फिर शरई अदालत ज़ुल्म-ज़्यादती की मुख़्तलिफ़ सूरतों सेसे दीन से फिर जाना, लापता होना, खाना-ख़र्चा न देना, नामर्दी, ायाँ-बीवी का एक-दूसरे का हक़ अदा न करना, लम्बी क़ैद, बीमारियाँ और दतरीन रवैए की बिना पर ग़ौर करने के बाद अलग होने का फ़ैसला कर ाी।[9]

लाक़ के नतीजे

तलाक़ के बाद शौहर-बीवी का ताल्लुक़ नाजाइज़ होगा। सोहबत से ड्ले अगर तलाक़ दी गई हो तो इद्दत नहीं होगी, वरना तीन बार पाकी ीन माह) इद्दत होगी। गर्भवती की इद्दत बच्चा जनने तक है। इद्दत के रान औरत की रिहाइश और खाना-ख़र्चे की ज़िम्मेदारी शौहर की होगी।

सोहबत से पहले तलाक़ दी गई हो तो मह्र आधा देना होगा, वरना पूरा दे होगा। शादी के बाद जो तोहफ़ा और उपहार वग़ैरा दिया गया हो उस वापस लेना ठीक नहीं। जब औरत इद्दत पूरी कर ले तो वह अपने मन-पस शौहर से दूसरा निकाह कर सकती है। तलाक़ के बाद मर्द और औरत एक-दूसरे से सारे रिश्ते टूट जाएँगे और वे एक-दूसरे की विरासत में हक़ भी न होंगे।[10]

रज़ाअत (दूध पिलाना)

रज़ाअत यानी दूध पिलाने की मुद्दत दो साल है। तलाक़ पाई हुई दूसरी औरत से मारूफ़ (आम) तरीक़े से और आपस की रज़ामन्दी से पिलाने की उजूरत का मामला तय किया जा सकता है। बच्चे का बाप सरपरस्त उसकी उजरत का ज़िम्मेदार होगा। फिर कोई किसी को जान-बूझ न सताए न माँ बाप को और न बाप माँ को।[11]

इस्लामी समाज में औरत का मक़ाम

इस्लाम सोसाइटी में औरत व मर्द के आज़ादाना मेल-जोल की मुख़ालि करता है। इसलिए औरत को परदे और हिजाब के हुक्म दिए गए हैं। क गया कि वे शरीफ़ औरतों की तरह घर में टिककर रहें। बाज़ारों में अ सज-धज की नुमाइश करती न फिरें। अगर ज़रूरत के तहत घर से ब निकलना भी हो तो अपने ऊपर आँचल डालकर परदे में निकलें, त पहचान ली जाएँ कि शरीफ़ औरतें हैं और सताई न जाएँ और अपने में बजता हुआ ज़ेवर न पहनें। किसी ग़ैर-मर्द से बात करना भी हो तो की ओट से बात करें और वे ग़ैर-मर्दों से बात इस अन्दाज़ में न करें कि बुरी नीयत से उनकी तरफ़ मायल हो जाए। मर्दों और औरतों से नज़रें न करके यानी ग़ैर-मर्दों से नज़रें बचाकर रखने का हुक्म दिया गया है। घरों कमरों में दाख़िल होने के लिए इजाज़त लेने के आदाब भी सिखाए गए इन हुक्मों और हिदायतों पर अमल करने से सोसाइटी अख़लाक़ी बिगाड़ बुराइयों से पाक रहती है।[12]

औरतों को दूसरे धर्मों में कुछ और हक़ व अधिकार दिए गए हैं आज की नई तहज़ीब में बराबरी के नाम पर उसकी फ़ितरत से ज़्यादा म

म्मेदारियों का बोझ डाल दिया है और औरतों को आज़ादी के हवाले से या बना दिया गया। जबकि इस्लाम ने दो इन्तिहाओं के बीच औरत के ए सोसाइटी में सन्तुलित मक़ाम को सुनिश्चित किया है। औरत अपनी ई हदों में रहते हुए तालीमी, मआशी (आर्थिक) और सामाजिक मैदानों तरक़्क़ी कर सकती है। फिर उसको अपनी कमाई हुई दौलत पर ल्कियत का हक़ भी रहता है। इसके अलावा उसका विरासत में हक़ माना ा है। शादी-ब्याह में उसकी रज़ामन्दी भी ज़रूरी समझी गई है और ख़ुलअ हक़ भी तस्लीम किया गया है।[13]

़ और अधिकार

इस्लामी समाज में हक़ों और अधिकारों की अदाइगी में ख़ास ध्यान दिया ा है। क़ुरआन में है:—

> "और तुम सब अल्लाह की बन्दगी करो, उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, माँ-बाप के साथ नेक बरताव करो, क़रीबी रिश्तेदारों, यतीमों और मिसकीनों के साथ अच्छे सुलूक से पेश आओ, और पड़ोसी-रिश्तेदार से, अजनबी पड़ोसी से, पहलू के साथी और मुसाफ़िर से, और उन लौंडी-ग़ुलामों से जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों, एहसान का मामला रखो, यक़ीन जानो अल्लाह किसी ऐसे आदमी को पसन्द नहीं करता जो घमंडी बना हुआ हो और अपनी बड़ाई पर फ़ख़्र करे।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-36)

-बाप के हक़

बन्दों में से सबसे पहला हक़ माँ-बाप का रखा गया है। ख़ास तौर पर का हक़ बाप के हक़ से तीन गुना ज़्यादा है। क्योंकि उसने दुख-पर-दुख कर उसको पेट में रखा, मुश्किल से उसकी पैदाइश हुई और दूध पिलाने दिनों में रात-दिन अपनी नींद और आराम क़ुरबान किया और उसकी ारिश की। ख़ुदा का हुक्म है कि माँ-बाप के साथ नेक सुलूक करो, अगर ारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ़ (ऊँह) न कहो, न उन्हें झिड़ककर जवाब दो, बल्कि एहतिराम के साथ उनके

सामने झुककर रहो और दुआ करो कि ऐ रब, उनपर रहम फ़रमा जिस त उन्होंने रहमत और मुहब्बत के साथ मेरी बचपन में देख-भाल उ लालन-पालन किया था। ग़ैर-मुस्लिम माँ-बाप के साथ भी बेहतरीन सुत करना है और उनकी बात सुनना है, शर्त यह है कि वे शिर्क (ख़ुदा के स किसी को साझी ठहराने) का हुक्म न दें।[14]

औलाद के हक़

माँ-बाप पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपनी औलाद की तालीम-तरबि की फ़िक्र करें, ताकि वे जहन्नम की आग से बचें। हज़रत याक़ूब (अलै का जब आख़िरी वक़्त आया तो उनको यही फ़िक्र सताने लगी कि उन बाद उनके बच्चे किसकी इबादत और बन्दगी करेंगे? जब सही तालीम उ तरबियत होती है तो औलाद दीन की अलम्बरदार बनती है, नहीं बिगड़कर दुनिया और माद्दा-परस्त हो जाती है और दीन का मज़ाक़ उड़ाती है

रिश्तेदारों के हक़

क़ुरआन मजीद में रिश्तों के निभाने और हक़ अदा करने की बार-ब ताकीद की गई है। माँ-बाप के रिश्तेदारों में जो जितना क़रीब होता है उतना ही अच्छे सुलूक का हक़दार होता है। इसी तरह भाई-बहन उ ससुराली रिश्तेदार होते हैं। उन सबके मर्तबे के हिसाब से हक़ हैं। क़ुरआ मजीद में रिश्तों-नातों को जोड़े रखने की ताकीद की गई है। रिश्तों के तो और काटने को बड़े गुनाहों में शुमार किया गया है।[16]

यतीमों के हक़

यतीम वह है जिसके बाप का साया बालिग़ होने की उम्र को पहुँचने पहले उठ चुका हो। कभी ऐसा होता है कि उनका हाल-चाल पूछनेवाला कोई नहीं होता, उनको हर जगह धुतकारा जाता है। उनको उनके हुक़ तक से महरूम किया जाता है। क़ुरआन ने उनके हक़ की आवाज़ उठ कहा गया कि उनके मालों को अपने ख़राब मालों से तबदील मत क जल्दी-जल्दी उनके मालों को खाकर ख़त्म मत करो, बल्कि उनके मालों हिफ़ाज़त करो, यहाँ तक कि वे बालिग़ होने की उम्र तक पहुँच जाएँ।

यतीम का सरपरस्त (संरक्षक) बनाया गया है वह आम चलन के मुताबिक़ के माल से कुछ ले सकता है। लेकिन जो ज़ुल्म-ज़्यादती से यतीम का ल खा जाते हैं वे अस्ल में अपने पेट में आग भर रहे हैं। यतीम से ड़ककर बात न करो। उनको धक्के देना और उनसे बुरा सुलूक करना सान के घटिया अख़लाक़ में से है।[17]

ोसियों के हक़

क़ुरआन मजीद के मुताबिक़ तीन क़िस्म के पड़ोसी हैं। एक रिश्तेदार ोसी, दूसरा अजनबी पड़ोसी और तीसरा कुछ वक़्त का आरज़ी पड़ोसी, ससे सफ़र के दौरान पास बैठने का मौक़ा मिला हो। ये सब बेहतरीन ूक के हक़दार हैं। उनको आपस में एक-दूसरे का हमदर्द और ग़मगुसार ा चाहिए। हर आदमी को चाहिए कि वह अपने पड़ोसी से अच्छा और ; बरताव करे।[18]

दमत करनेवालों के हक़

उन लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिनकी ख़िदमत में ीं की तरह दूसरे इनसान लगे हुए हैं। ख़ादिमों (सेवकों) का यह हक़ है उनकी ख़िदमत करने का हक़ यानी मज़दूरी अदा की जाए। उनसे सानों जैसा सुलूक किया जाए। (पहले ग़ुलाम मालिक की मिलकियत हुआ ते थे, उनका शुमार मिसकीनों और ज़रूरतमन्दों में भी होता है) उनको लाह की ख़ुशनूदी की ख़ातिर खाना-खिलाने और कपड़ा पहनाने के लिए ारा गया है।[19]

ूरतमन्दों के हक़

इसमें दो क़िस्म के ग़रीब लोग हैं। एक वे फ़क़ीर और मुहताज हैं, जो नी ज़रूरत के लिए दूसरों से माँगते हैं, उन्हें माँगनेवाला कहा जाता है र दूसरे वे मिसकीन हैं जो हक़ीक़त में ज़रूरतमन्द होते हैं, लेकिन दूसरों माँगते नहीं फिरते। क़ुरआन ने इन दोनों के हक़ों को सुनिश्चित किया और जो लोग जानबूझकर उनका हक़ मारते हैं उनको बाग़वालों के क़िस्से इबरत दिलाई गई (जिसका ज़िक्र सूरा-68 क़लम में है) और जहन्नम के

अज़ाब से डराया गया है। इसके बरख़िलाफ़ जो लोग उनका हक़ अदा क
हैं उन्हें जन्नत की ख़ुशख़बरी सुनाई गई है।[20]

मेहमानों और मुसाफ़िरों के हक़

इनका हक़ यह है कि इनसे अच्छा और नेक बरताव किया जाए, इन मेहमान-नवाज़ी की जाए, इसी तरह मुसाफ़िरों का भी हक़ है कि उनको पू जाए कि वे कौन हैं? किस काम से, कहाँ से आए हैं? ज़रूरत हो तो उन मदद की जाए। एक इनसान अपने मक़ाम पर मालदार हो सकता है, लेवि अगर वह मुसाफ़िर हो तो किसी मुश्किल से भी दोचार हो सकता है। इसलि ज़कात की एक मद में मुसाफ़िरों की मदद का भी ज़िक्र किया गया है

बन्दों के हक़ों की अदाइगी में जहाँ सबके साथ अच्छे अख़लाक़ से पे आना है वहीं उनपर माल ख़र्च करना भी है, क्योंकि क़ुरआन मजीद में ब के हक़ों का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया गया कि जो लोग कंजूसी करते हैं अल्लाह को नापसन्द हैं। समाजी ज़िन्दगी के लिए आपसी सहयोग अ भरोसा और एकता पर ज़ोर दिया गया है। कहा गया कि नेकी अ परहेज़गारी के कामों में एक-दूसरे की मदद करो और बदी और ज़ुल्म-ज़्याद के कामों में मदद न करो। आपस में अगर कोई लड़ पड़े तो उ सुलह-सफ़ाई करा दो। हक़ (सत्य) और सब्र के रास्ते पर जमे रहो। ने और भलाई का हुक्म करने और बुराई से रोकने की रूह पूरे समाज में सतह पर हो, ताकि सोसाइटी हर क़िस्म की अख़लाक़ी, समाजी, आर्थि और माली बुराइयों से पाक रहे।[22]

हवाले-जात (सन्दर्भ)

(1) सूरा-4 निसा, आयत-1; सूरा-49 हुजुरात, आयत-13 (2) सूरा-30 र आयत-21; सूरा-4 निसा, आयत-21; सूरा-24 नूर, आयत-32; सूरा- हदीद, आयत-27 (3) सूरा-4 निसा, आयत-25; सूरा-2 बक़रा, आयत-2 सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-54 (4) सूरा-2 बक़रा, आयतें-235, 282; सूर निसा, आयतें-3, 25 (4-अ) सूरा-4 निसा, आयत-24; सूरा-2 बक़ आयतें-229, 237 (5) सूरा-4 निसा, आयतें-22 से 24; सूरा-2 बक़ आयत-221; सूरा-5 माइदा, आयत-5 (6) सूरा-4 निसा, आयतें-3, 19,

रा-2 बक़रा, आयतें-228, 231, 233, 237 (7) सूरा-2 बक़रा, आयत-228; रा-4 निसा, आयत-34; सूरा-60 मुम्तहिना, आयत-12; सूरा-33 अहज़ाब, ायत-33; सूरा-66 तहरीम, आयत-6 (8) सूरा-4 निसा, आयतें-19, 35, 28 (9) सूरा-2 बक़रा, आयतें-226, 236; सूरा-58 मुजादला, आयतें-3, 4; रा-24 नूर, आयतें-6 से 9; सूरा-65 तलाक़, आयत-1; सूरा-2 बक़रा, ायत-229 (10) सूरा-33 अहज़ाब, आयत-49; सूरा-2 बक़रा, आयतें-228, 29, 232, 237; सूरा-65 तलाक़, आयतें-4, 6 (11) सूरा-2 बक़रा, ायत-233; सूरा-65 तलाक़, आयत-6 (12) सूरा-24 नूर, आयतें-27 से 1; सूरा-33 अहज़ाब, आयतें-32, 33, 53, 59 (13) सूरा-4 निसा, ायतें-7 से 14, 32; सूरा-2 बक़रा, आयत-229 (14) सूरा-2 बक़रा, ायत-83; सूरा-31 लुक़मान, आयत-14; सूरा-46 अहक़ाफ़, आयत-15; रा-17 बनी-इसराईल, आयतें-23, 24; सूरा-29 अन्कबूत, आयत-8 15) सूरा-66 तहरीम, आयत-6; सूरा-2 बक़रा, आयत-133; सूरा-46 हक़ाफ़, आयत-17 (16) सूरा-4 निसा, आयत-1; सूरा-13 रअ्द, आयत-21; रा-16 नह्ल, आयत-90; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-26 (17) सूरा-4 निसा, आयतें-2 से 10; सूरा-93 ज़ुहा, आयतें-9, 10 (18) सूरा-4 निसा, आयत-35 (19) सूरा-76 दह्र, आयत-8; सूरा-58 मुजादला, आयतें-3, 4; सूरा-107 माऊन, आयत-3; सूरा-2 बक़रा, आयत-184 (20) सूरा-51 ज़ारियात, आयत-19; सूरा-69 हाक़्क़ा, आयत-33; सूरा-107 माऊन, आयतें-1 से 3; सूरा-76 दह्र, आयतें-8, 9 (21) सूरा-5 ज़ारियात, आयतें-24 से 27; सूरा-4 निसा, आयत-36 (22) सूरा-5 माइदा, आयत-2; सूरा-49 हुजुरात, आयत-9; सूरा-103 अस्र, आयत-3; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-110।

क़ुरआन की आर्थिक शिक्षाएँ

अल्लाह सबका पैदा करनेवाला, सबको रोज़ी देनेवाला और परवरदि है। "वही है जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा किया जो ज़मीन में है इसी लिए हर आदमी सारे क़ुदरती ज़रायों (संसाधनों) से अपनी ज़रूरत- अपनी रोज़ी (आजीविका) हासिल कर सकता है। यह इनसान का पैदाइ हक़ है। (यानी जंगल की लकड़ी, गोंद, शहद, जड़ी-बूटी, खर-पतवार, ख़ु व घास जानवरों और परिन्दों का शिकार, खनिज-पदार्थ हासिल कर नदियों, तालाबों और समुद्रों से मछली पकड़ना और बाज़ार में लाकर बेचन हाँ, अगर कोई बड़े पैमाने पर कारोबारी ग़रज़ के लिए यह काम करता है हुकूमत उसपर टैक्स लगा सकती है।[1]

आजकल के ज़माने में कम्यूनिज़्म वह आर्थिक निज़ाम (व्यवस्था) जिसमें आर्थिक समानता क़ायम करने के लिए निजी मिलकियत को नव दिया गया है। पैदावार के सारे संसाधनों पर मालिकाना हक़ स्टेट को हं हैं। हुकूमत पर एक तबक़ा या गरोह का क़ब्ज़ा होता है। दौलत बराबर-बराबर तक़सीम करने के लिए हर चीज़ का राशन दिया जाता आदमी की अहमियत कुछ नहीं होती, वह इजतिमाइयत (सामूहिकता) गुम हो जाता है। उसमें सोच-विचार और अमल की आज़ादी का ख़ाति हो जाता है।

(तजरिबे ने इस निज़ाम को नाकाम साबित कर दिया है।) इस बरख़िलाफ़ पूँजीवादी निज़ाम में मार्केट पर पूरी तरह पूँजीपतियों का क़ब होता है। इसमें धन-दौलत कमाने के तमाम तरीक़ों को अपनाया जाता धोखा, फ़रेब, शोषण वग़ैरा। सूद (ब्याज) पूँजीवादी निज़ाम में ख़ून की त गर्दिश करता है। सोसाइटी में मालदार और ग़रीब तबक़े पैदा हो जाते मालदार कंजूस, लालची और बेरहम हो जाते हैं। दूसरी तरफ़ नादार अ ज़्यादा ग़रीब बेबस और आर्थिक शोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सू में दोनों तबक़ों में एक-दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत, दुश्मनी और बरा कश्मकश बरपा रहती है। ये दोनों माली निज़ाम पूरी तरह भौतिकवादी

ईमान और अख़लाक़ से खाली हैं। बहुत ज़्यादा असन्तुलित हैं और क-दूसरे की ज़िद (प्रतिकूल) हैं।

ार्थिक असमानता

"अल्लाह ने तुममें से कुछ को कुछ पर रोज़ी में फ़ज़ीलत (बड़ाई) दी ।" और "जिसकी चाहता है अल्लाह रोज़ी कुशादा कर देता है और जिसको हता है नपी-तुली देता है।" अल्लाह ने सब लोगों को इल्म, फ़न, जिस्मानी क़त और ज़ेहनी क़ाबलियत में बराबर नहीं रखा है। लोगों को अलग-अलग ाम करने का रुझान और योग्यता दी है, जिसके मुताबिक़ वे काम करते और अपनी रोज़ी हासिल करते हैं। यहाँ तो ख़ुदा के हुक्म और हिकमत मुताबिक़ दुनिया का काम चलता है। उसकी तदबीर से सिर्फ़ वही वाक़िफ़ ।[2] (साम्यवादी व्यवस्था में इस फ़ितरी असमानता को ग़ैर-फ़ितरी समानता बदलने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से यह आर्थिक निज़ाम काम हो गया।)

ालकियत का हक़

क़ुरआन मजीद कमाई हुई दौलत और बग़ैर कमाई हुई दौलत पर एक सा मिलकियत का हक़ तस्लीम (स्वीकार) करता है। वह दौलत जो उसने ह्नत (खेती, तिजारत, नौकरी) से हासिल की हो या उसको विरासत में ली हो या उपहार मिला हो या इनाम में मिली हो या ख़ुदा की राह में ख़र्च ज़कात का माल हो, किसी भी जाइज़ सूरत में उसकी मिलकियत बन कता है।[3]

ज़ी कमाने के हराम तरीक़े

क़ुरआन मजीद दौलत कमाने के उन सारे तरीक़ों को नाजाइज़ और ाम क़रार देता है जिनसे लोग सामूहिक तौर पर सोसाइटी को अख़लाक़ी आर्थिक नुक़सान पहुँचाकर दौलत हासिल करते हैं। ख़ास तौर से यह कहा या कि "मुसलमानो, आपस में एक-दूसरे के माल ग़लत तरीक़ों से मत ाओ।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-29)

इस आयत की तफ़सील यह है—

(1) निश्चित ब्याज दर पर पैसे-पर-पैसा कमाना।

(2) रिश्वत, दूसरों की हक़तलफ़ी या नाजाइज़ काम बनाने के लिए जो रः ली जाए।

(3) ख़ियानत चाहे निजी माल में हो या पब्लिक के माल में।

(4) यतीमों के माल में से बेजा ख़र्च या खुर्द-बुर्द।

(5) जुआ और ऐसे सभी कारोबारी तरीक़े जिसमें एक का फ़ायदा यक़ हो और दूसरे का ग़ैर-यक़ीनी हो। जैसे-लाटरी, सट्टा, अनुमान और धोखे कारोबार।

(6) शराब और नशा करनेवाली चीज़ों के कारोबार।

(7) बेहयाई फैलाने (गाने-बजाने और नाचने का पेशा, बेहया माडलिंग

(8) क़ह्बागिरी (ज़िना की आमदनी के कारोबार, सेक्स वर्कर्स और ब्रोक

(9) ततफ़ीफ़ (नाप-तौल में कमी, मिलावट, धोखा)

(10) बुत (मूर्ति) बनाना और बेचना।

(11) जादू (अमलियात और टोने-टोटके)

(12) चोरी, डाका, रहज़नी।

(13) हराम चीज़ों की तिजारत (सुअर, शराब, संगीत वग़ैरा) और इस क़ि की कम्पनियों में काम करना या पैसा लगना, या शेयर ख़रीदना।[4]

रोज़ी कमाने के लिए उभारना

ऊपर बयान किए गए तरीक़ों को छोड़कर बाक़ी सारे ज़रिए उ साधन हलाल और जाइज़ है। इस्लाम में सेहतमन्द और तन्दुरुस्त लोगों लिए भीख माँगना निन्दनीय है और शर्म की बात है। हलाल रोज़ी के ि कोशिश और दौड़-भाग करना भी इबादत है। कहा गया कि "ज़मीन में फै जाओ और हलाल रोज़ी तलाश करो।" और जो कोई चाहे मर्द हो या औ जो रोज़ी कमाएगा वह उसकी मिलकियत होगी।[5] दौलत के ज़रिए इनसान अपनी ज़रूरतों को पूरी करता है, ग़ुरबत, मुहताजी और कुफ़्र से रहता है और ज़कात व अल्लाह की राह में ख़र्च करके मुहताजों, मिसर्क की मदद भी कर सकता है और अल्लाह की ख़ुशनूदी भी हासिल कर सव है।

ंजूसी और माल जमा करने की मनाही

जो दौलत हराम से बचकर हलाल तरीक़ों से कमाई गई है, आदमी पनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद उसको गिन-गिनकर जमा करके न रखे। तको सोसाइटी के ग़रीबों और मिसकीनों पर ख़र्च करना चाहिए।[6]

जा ख़र्च की मनाही

जो दौलत जाइज़ तरीक़ों से कमाई जाए उसका ख़र्च भी जाइज़ कामों हो और उसमें बेजा ख़र्च यानी ज़रूरत से ज़्यादा न हो। अय्याशी, शोहरत ार दिखावे के कामों में दौलत बरबाद न की जाए। बल्कि उसे अच्छे और मीरी कामों में लगाकर समाज के लिए फ़ायदेमन्द बनाया जाए।[7]

ले कामों में ख़र्च पर उभारना

"पूछते हैं हम ख़ुदा की राह में क्या ख़र्च करें? कहो, जो कुछ तुम्हारी रूरत से ज़्यादा हो।" जो दौलत बढ़ी हुई है या अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाने बाद बच रहे, तो उसको समाज के कमज़ोर तबक़ों पर ख़र्च किया जाए।[8]

कात सामाजिक इंशोरेंस

जो दौलत बच जाए उसपर साल-भर गुज़र जाने के बाद एक तय क़दार (निसाब) पर एक निश्चित दर के लिहाज़ से ज़कात निकाली जाए। से सोना-चाँदी और नक़द धन पर 2.5%। खेती की पैदावार जो चाई-साधन से हो उस पर 5% और जो बारिश से हो उसपर 10%। निज पदार्थों पर जो अपनी मिलकियत में हों 20%। इसी तरह ऊँटों, गायों ार बकरियों की मुख़्तलिफ़ तादाद पर ज़कात होगी और उसे बैतुल-माल ाज-कोष) में जमा किया जाता है, जो ग़रीबों, मिसक़ीनों और बेसहारा ोगों के लिए एक सामूहिक इंशोरेंस होता है। ज़कात के मद भी क़ुरआन वाज़ेह तौर पर बता दिए गए हैं।[9]

ोरासत का क़ानून

मरने के बाद विरासत औलाद और ख़ानदान व क़रीबी और दूसरे श्तेदारों पर तक़सीम कर दी जाती है। अगर कोई दूर का रिश्तेदार भी न ा तो पूरी मुस्लिम सोसाइटी उसकी हक़दार होगी। यानी मरनेवाले की छोड़ी

हुई जायदाद को आम मुसलमानों की भलाई और तरक़्क़ी के कामों के लि
बैतुलमाल में जमा कर दिया जाएगा। विरासत का पूरा क़ानून क़ुरआन व
सूरा-4 निसा की शुरू की आयतों में बयान कर दिया गया है। हाँ, वसीय
को नबी (सल्ल॰) ने एक तिहाई माल तक सीमित कर दिया है।[10]

हवाले-जात (सन्दर्भ)

(1) सूरा-2 बक़रा, आयत-29; सूरा-67 मुल्क, आयत-15; सूरा-7 आरा
आयत-10; सूरा-14 इबराहीम, आयतें-32 से 34; सूरा-56 वाक़िआ, आयतें-6
64; सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-1 (2) सूरा-16 नह्ल, आयत-71; सूरा-
बनी-इसराईल, आयत-21, 30; सूरा-42 शूरा, आयत-12; सूरा-6 अनआ
आयत-165; सूरा-43 ज़ुख़रुफ़, आयत-32 (3) सूरा-4 निसा, आयत-2,
24, 29; सूरा-2 बक़रा, आयत-279, 282, 283; सूरा-5 माइदा, आयत-3
सूरा-61 सफ़्फ़, आयत-11; सूरा-51 ज़ारियात, आयत-19 (4) सूरा-2 बक़
आयतें-102, 173, 175, 188, 283; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-16
सूरा-4 निसा, आयत-10; सूरा-5 माइदा, आयत-33, 38, 90; सूरा-24 न
आयत-2, 19, 33; सूरा-31 लुक़मान, आयत-6; सूरा-17 बनी-इसराई
आयत-32; सूरा-83, मुतफ़्फ़िफ़ीन, आयतें-1 से 3; सूरा-19 मरयम, आयतें-
से 45 (5) सूरा-62 जुमुआ, आयत-10; सूरा-4 निसा, आयत-32; सूरा-
नज्म, आयत-39 (6) सूरा-3 आले-इमरान, आयत-180; सूरा-104 हु-मज़
आयतें-1 से 4; सूरा-9 तौबा, आयत-34; सूरा-102 तकासुर, आयतें-1 से
सूरा-28 क़सस, आयत-58 (7) सूरा-6 अनआम, आयत-141; सूरा
आराफ़, आयत-31; सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-67; सूरा-17 बनी-इसराई
आयतें-26, 27 (8) सूरा-9 तौबा, आयत-103; सूरा-5 माइदा, आयत-8
सूरा-58 मुजादला, आयतें-3, 4; सूरा-2 बक़रा, आयत-219; सूरा-3 आले-इमर
आयत-92; सूरा-70 मआरिज, आयतें-24, 25 (9) सूरा-9 तौबा, आयतें-6
103 (10) सूरा-4 निसा, आयतें-7 से 12, 176, सूरा-2 बक़रा, आयत-18

क़ुरआन की सियासी शिक्षाएँ

इस्लाम अगर आम मानी में सिर्फ़ मज़हब (धर्म) होता तो उसकी
ालीमात (शिक्षाएँ) सिर्फ़ अक़ीदा, इबादतों और अख़लाक़ियात (नैतिकता)
मोटे-मोटे उसूलों की हद तक सीमित होतीं। लेकिन हम देखते हैं कि वह
ाना एक स्थाई समाजी, आर्थिक और सियासी निज़ाम भी रखता है, जो
पस में जुड़े हुए हैं। तो मानना पड़ेगा कि इस्लाम अस्ल में 'दीन' है जो
म्मल निज़ामे-हयात (पूर्ण जीवन-व्यवस्था, Complete Way of Life) है।
में ज़िन्दगी गुज़ारने के बारे में हर ज़रूरी बात साफ़ तौर पर बयान कर
गई है। इसलिए इस्लाम की माँग 'ऐ लोगो जो ईमान लाए हो इस्लाम
ूरे-पूरे दाख़िल हो जाओ' है। यानी इस्लाम में बिना किसी बात को अलग
ए पूरे-के-पूरे दाख़िल हो जाओ। क़ुरआन मजीद में दीन के इस तसव्वुर
बाद मज़हब और सियासत को अलग करने का ख़याल भी ग़लत और
तेल हो जाता है।[1] नीचे क़ुरआन मजीद की सियासी (राजनीतिक)
क्षाओं को मुख़्तसर (संक्षिप्त रूप से) बयान किया जाता है।

़ा की हाकिमीयत

ईश्वर पूरी कायनात का और हमारा ख़ालिक़, मालिक और हाकिम है।
ारदार रहो उसी की ख़ल्क़ (सृष्टि) है और उसी की हुक्मरानी।[2].....और
ाशाही में कोई उसका शरीक नहीं।[3] फ़ैसले का इख़्तियार किसी को नहीं
सिवाय ईश्वर के। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की
ागी न करो।[4]

पूरी कायनात की मख़लूक़ (सृष्टि) का वही मालिक है और तमाम मुल्कों
हक़ीक़ी बादशाह है। उसकी बादशाही में ज़र्रा-बराबर कोई दूसरा
ीदार नहीं है। हाकिमीयत (Sovereignty) और प्रभु-सत्ता की तमाम
ेषताएँ और इख़्तियार उसके हैं और इसमें कोई उसका हिस्सेदार नहीं।
ाम में किसी बादशाह की, किसी डिक्टेटर की, किसी ख़ानदान की, किसी
ह या गरोह की, किसी तबक़े, इदारे या जनता की हाकिमीयत नहीं,
क सिर्फ़-और-सिर्फ़ ईश्वर की हाकिमीयत है।[5]

इनसान की दो हैसियतें हैं, एक पैदाइशी और दूसरी इख़्तियारी (इरादे और कर्म की आज़ादी पर क़ायम है)। पैदाइशी हैसियत में कायन की दूसरी मख़लूक़ों (सृष्टि) की तरह वह भी फ़ितरत के क़ानून अधीन है। लेकिन इख़्तियारी हैसियत में वह शुऊर (विवेक) और इरादे वजह से आज़ाद है और इसी में उसका इम्तिहान है। यानी इख़्तियारी पर अल्लाह की सियासी और क़ानूनी हाकिमीयत (सत्ता) को तस्लीम क ख़िलाफ़त (नायब होने) की ज़िम्मेदारी पूरी करता है या आज़ाद और सरव होकर उसकी बादशाही को तस्लीम करने से इनकार करता है।[6]

सबसे बड़ा क़ानून

इस्लामी हुकूमत में बालातर (सर्वोच्च) क़ानून क़ुरआन और सुन्नत उस बालातर क़ानून को कोई चेलेंज नहीं कर सकता। उसमें जो चीज़ ब की गई है वह बिलकुल आख़िरी और मान्य सुबूत है। क़ुरआन में है-

> "और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए क़ानून के मुताबिक़ फ़ैसला न करे वही हक़ के इनकारी हैं।"[7]
>
> (क़ुरआन, सूरा-5 माइदा, आयत-44)
>
> "जिसने रसूल की इताअत की उसने अस्ल में अल्लाह की इताअत की।"[8] (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-80)
>
> "फिर अगर तुम्हारे बीच किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ फेर दो।"[9]
>
> (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-59)

ख़ुदा और पैग़म्बर (सल्ल०) का क़ानून किसी के एकमत होने और वि भी इनसान की नई रिसर्च से बदल नहीं सकता। ईमान लानेवाले उस क़ की बालादस्ती (सर्वोच्चता) तस्लीम करके उसके साथ इताअत (अनुपा का रवैया अपनाते हैं।[10]

ख़िलाफ़त (शासन)

क़ुरआन मजीद के मुताबिक़ इनसान ज़मीन पर अल्लाह का ख़ल (नायब) है। शुरुआत ही में अल्लाह ने फ़रिश्तों के सामने अपना इ ज़ाहिर फ़रमाया कि "मैं ज़मीन में एक ख़लीफ़ा बनानेवाला हूँ।"[11]

माया, "ऐ दाऊद! हमने ज़मीन में तुमको अपना ख़लीफ़ा बनाया है।"[12]

ख़लीफ़ा मालिक और पूरी तरह से आज़ाद नहीं होता, बल्कि वह अस्ल लेक का नायब होता है। वह ख़ुदा के हुक्म के सामने अपनी मर्ज़ी नहीं ाता। उसका काम मालिक के दिए हुए हुक्म को पूरा करना है। ानवालों की जमाअत का हर आदमी अपनी निजी हैसियत में भी अल्लाह ख़लीफ़ा है और एक जमाअत की हैसियत से भी। जैसा कि कहा गया है– ह उनको ज़मीन में ख़लीफ़ा बनाएगा।"[13] इस तरह तमाम मुसलमान ग्नी इजतिमाई (सामूहिक) ख़िलाफ़त को किसी एक ख़लीफ़ा की हस्ती में न्द्रित कर देते हैं और उसकी इताअत करने के लिए क़ुरआन और सुन्नत इताअत की शर्त लगा देते हैं।[14]

लीफ़ा की ख़ूबियाँ

जिसको ख़लीफ़ा (नायब) या शासक बनाने के लिए चुना जाए वह ानवाला हो, ख़ुदापरस्त और परहेज़गार हो, ईमानदार और अमानतदार हो, क़्लमन्द और बालिग़ हो। इल्मवाला, सूझ-बूझवाला, दूरदर्शी और मामलों । समझ रखता हो। ख़ुदा से ग़ाफ़िल, ज़ालिम, नाफ़रमान, बिगाड़-फ़साद लानेवाला और फ़ुज़ूलख़र्च व घमंडी न हो। लोग अपने ख़लीफ़ा को चुनने आज़ाद होंगे। अगर ख़लीफ़ा जनता का भरोसा खो बैठे तो उसे ओहदे से ाया भी जा सकता है।[15]

्राइयत (सलाह-मशवरा)

सामूहिक ख़िलाफ़त का तक़ाज़ा है कि उसके काम शूराइयत यानी लाह-मशवरे से अंजाम पाएँ। "और मुसलमानों के काम आपस के मशवरे चलते हैं।"[16] शूराइयत से मुराद प्रजातंत्र (जमहूरियत) है जो बादशाहत ौर डिक्टेटरशिप का बिलकुल उलट है। इस्लामी जमहूरियत का अमीर ाासक) हुकूमत चलाने में ख़ुदमुख़्तार न होगा। बल्कि उसके फ़ैसले जनता चुने हुए (योग्यतावाले) मेम्बरों के मशवरों से होंगे। इस्लामी रियासत में तों की अधिकता से ख़लीफ़ा का चुनाव होगा। उसका पद पर बिठाने और तारने के फ़ैसलों में पूरी जमहूरी (प्रजातांत्रिक) रूह पाई जाती है। याद रहे

कि इस्लामी जमहूरियत की बुनियाद ख़ुदा की हाकिमीयत (प्रभु-सत्ता) पर जबकि पश्चिमी जमहूरियत जनता की हाकिमीयत के फ़लसफ़े पर आधारि है। इस्लामी जमहूरियत में जमहूर (अवाम) या उसके नुमाइन्दा लोग हुकू बदल सकते हैं, लेकिन कोई क़ानून, क़ुरआन और सुन्नत के ख़िलाफ़ प नहीं कर सकते।

इस्लामी रियासत के मक़सद (उद्देश्य)

इस्लामी रियासत के उद्देश्यों के बारे में भी क़ुरआन में साफ़ तौर हिदायतें मिलती हैं, जो नीचे लिखे बिन्दुओं पर आधारित है। बल्कि इ मेयार पर किसी इस्लामी हुकूमत को जाँचा जा सकता है कि वह इस्ला हुकूमत है या नहीं।

(1) रियासत में अद्‌ल और इनसाफ़ का क़ियाम हो।[17]

(2) ख़ुदा के क़ानून की बालादस्ती हो, उसे क़ायम और लागू कर दिया गया हो

(3) नमाज़ क़ायम करने और ज़कात की वुसूली और तक़सीम का निज़ाम हो

(4) मारूफ़ का क़ियाम यानी भलाइयों को बढ़ावा और बुराइयों का दमन हो

(5) सरहद की हिफ़ाज़त हो।[21]

रियासत के विभिन्न अंग

ये ख़ुदाई हुकूमत के तहत रियासत के मक़सदों को पूरा करेंगे। (पैग़म्ब के ज़माने के बाद ख़िलाफ़ते-राशिदा में ये विभाग अलग इदारे की हैसिय इख़्तियार कर गए थे)।

1. इंतिज़ामिया (प्रबन्धन समिति) : रियासत में मुनासिब हालात पैदा कर ख़ुदाई क़ानून को लागू करेगी। इस बारे में साफ़ हिदायत दी गई है—

> "ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की और उन लोगों की जो तुममें अमीर (शासक) बनाए गए हों। फिर अगर तुम्हारे बीच किसी मामले में विवाद पैदा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल (सल्ल०) की तरफ़ फेर दो।"[22] (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-59)

यह आयत एक दूसरे इदारे की तरफ़ भी रहनुमाई करती है। हुकूमत व पूरी मिशनरी, निज़ाम, तालीम (शिक्षा), प्रचार-प्रसार के संसाधन और दूर

्योगी इदारे अल्लाह और उसके पैग़म्बर के हुक्मों को लागू करते हुए ।ासत (राज्य) में नेकी और भलाई को फैलाने और न्याय और इनसाफ़ के यम करने में मददगार होंगे। इन्तिज़ामिया (कार्यपालिका) की सीमाएँ ाई क़ानून से सीमित होंगी। वे उससे आगे नहीं बढ़ सकते।[22A]

क़ानून बनानेवाली समिति : इसका काम किताब और सुन्नत की हदों में ।ासत में पेश आनेवाले मसलों के सिलसिले में क़ानून बनाना है। क़ुरआन ख़ुदा का फ़रमान है—

> "जो लोग हमारी ख़ातिर मुजाहिदा (अथक-प्रयास) करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएँगे।"[23]

अस्ल क़ानून देनेवाला (शरीअत देनेवाला) तो अल्लाह है और पैग़म्बर । क़ानून की तौज़ीह (वज़ाहत) और तशरीह (व्याख्या) करनेवाले हैं। ानून बनानेवाली समिति, क़ुरआन और हदीस के क़ानूनों और नियमों को कलित करेगी, ताकि उनको सही तौर पर लागू किया जा सके और क़ानूनी देशों की व्यवहारिक व्याख्या करेगी। क़ुरआन और सुन्नत से नए हुक्म ।ाने में ग़ौर-फ़िक्र, दूरदर्शिता और कड़े अध्ययन और नई तहक़ीक़ ोजबीनी) और अथक प्रयास से काम लेगी। क़ानून बनाने में, उलमा, क़हा और आज के नए स्कालर्स की आपसी सहमति से मदद ली जाएगी। रआन और सुन्नत की हदों से आगे बढ़कर क़ानून बनाना ग़लत है।[23A]

न्यायपालिका : ख़ुदा की न सिर्फ़ कायनाती हाकिमीयत (सत्ता) है बल्कि यासी और क़ानूनी हाकिमीयत भी है। उसके क़ानून के मुताबिक़ ही दालतों में फ़ैसला करना है। जो अल्लाह के सिवा किसी और जगह से सला चाहें वह शैतान का फ़ैसला होगा। बार-बार यह कहकर फ़रमाया गया ; जो अल्लाह के उतारे हुए हुक्म के मुताबिक फ़ैसला न करें, वे हक़ के ।कारी, ज़ालिम और फ़ासिक़ है और ऐसा फ़ैसला जाहिलीयत (अज्ञानता) । फ़ैसला होगा। अदालतों में दीवानी और फ़ौजदारी मामलों का फ़ैसला रआन व सुन्नत और शुरुआती सुबूतों के आधार पर होगा।[24] क़ुरआन में है—

> "और जब लोगों के बीच फ़ैसला करो तो अद्ल (इनसाफ़) के साथ फ़ैसला करो।" (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-58)[25]

"ऐ नबी! हमने यह किताब हक़ के साथ तुम्हारी तरफ़ उतारी है, ताकि जो सीधी राह अल्लाह ने दिखाई है उसके मुताबिक़ लोगों के बीच फ़ैसला करो।"

(क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-105)[26]

न्यायपालिका कार्यपालिका से बिलकुल अलग होगी और उसपर असरन्द न होगी। क़ानून की बालदस्ती होगी। क़ानून की नज़र में रियासत के हावि से लेकर एक आम आदमी तक सब बराबर होंगे। किसी के लिए कोई ख़ रिआयतें नहीं होंगी।

क़ुरआन-सुन्नत में दीवानी क़ानून, निकाह, तलाक़, तफ़रीक़ (जुदा: इद्दत, नफ़क़ा (खाना-ख़र्चा), दूध-पिलाना, विरासत और वक़्फ़ वग़ैरा बारे में तफ़सील के साथ क़ानून बयान हुए हैं और इसी तरह फ़ौजद क़ानून में सज़ाओं यानी क़त्ल, ज़िना, चोरी, बग़ावत, शराब, दहशतगर्दी सम्बन्धित भी क़ानून हैं। गवाही देने का क़ानून भी बयान हुआ है।

बुनियादी हक़

इस्लामी रियासत अपने शहरियों के लिए बुनियादी हक़ों को तर्स्ल करती है, चाहे वे मुस्लिम हो या ग़ैर-मुस्लिम, जैसे जान, माल, इज़्ज़त, नि ज़िन्दगी, मज़हबी आज़ादी, तनक़ीद (आलोचना), जन-सभा और राय ज़ा करने की आज़ादी वग़ैरा।[27]

नागरिकों पर हुकूमत का हक़

वह यह है कि मारूफ़ (नेक कामों) में हुकूमत की इताअत करें। अ लोगों के अम्न-शान्ति में ख़लल न डालें। भलाई क़ायम करने में हुकूमत सहयोग करें। वफ़ादारी और ख़ैरख़ाही करें (यानी दुश्मन के लिए जासूसी करें, अपने निजी फ़ायदों के लिए उसका साधन बनकर देश और क़ौम नुक़सान न पहुँचाएँ)। और प्रतिरक्षा (दिफ़ा) में हुकूमत का साथ देंगे।[2

अन्तर्राष्ट्रीय सियासत

बाहरी सियासत अद्ल-इनसाफ़, वचन-बद्धता, अहदो-पैमान, रास्तबा: ईमानदारी और दियानत पर क़ायम होगी। अच्छा बरताव करनेवालों के स

छा सुलूक किया जाएगा। ज़्यादती करनेवालों के साथ उतनी ही ज़्यादती जा सकती है। जो लड़ाई-झगड़े पर उतारू हों अगर वे सुलह करना चाहें उनसे सुलह की जाएगी। ज़मीन में फ़साद फैलाने और बड़ाई जताने से ा जाएगा और ग़ैर-जानिबदार (तटस्थ) देशों का एहतिराम (सम्मान) या जाएगा।[29]

द्ध और जिहाद के मक़सद

इस्लामी रियासत भलाई फैलाने और न्याय क़ायम करने के लिए अपने ाम संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए अथक कोशिश करेगी और इसके ए युद्ध की ज़रूरत होने पर युद्ध भी करेगी। क़ुरआन में युद्ध और जिहाद मक़सद भी बयान कर दिए गए हैं–

) ख़ुद इख़्तियारी की हिफ़ाज़त के लिए।[30]

) मज़लूमों (उत्पीड़ितों) की हिमायत के लिए।[31]

) अहद (सन्धि) तोड़ने के जवाब के लिए।[32]

) फ़ितने-फ़साद को ख़त्म करने के लिए।[33]

ा के उसूल

जंग या युद्ध यानी सशस्त्र कार्यवाई के लिए आवश्यक है कि वह किसी ़मत के नेतृत्व ही में हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से या किसी गरोह के रा नहीं।

जाहिलियत के दिनों को सामने रखते हुए देखा जाए तो पता चलेगा कि ़आन ने जंग के क़ानून और नियमों में बहुत सुधार किया है। इस्लाम का ा करने का नज़रिया सुलह-पसन्दाना है। लड़ाई के हुक्म के साथ "ला ़तदू" के शब्द आए हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ़ लड़नेवालों से ़ना। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, बीमारों, मन्दिर के पुजारियों, ख़ादिमों, राहिबों, यासियों पर हाथ न उठाया जाए। क़त्ल होनेवालों का मुसला (चेहरा गाड़ना या हाथ-पैर काटना) न किया जाए, जानवरों को न मारा जाए, पेड़ों र फ़सलों को न काटा जाए। इससे पता चलता है कि मौजूदा दौर में न-माल की तबाही के लिए बड़े पैमाने पर जो ज़हरीली गैसों का इस्तेमाल या जा रहा है वह नाजाइज़ है, क्योंकि उससे इनसान, जानवर,

पेड़-पौधे, वनस्पतियाँ और पानी में रहनेवाले जीव सब तबाह हो जाते हैं

जब जंग और लड़ाई ज़रूरी हो जाती है तो उसके लिए लोगों को प्रे किया जाता है। जंग के लिए घोड़ों और जंगी साज़ो-सामान के साथ लड़ के लिए हमेशा तैयार रहो, ताकि तुम अपने और ख़ुदा के दुश्मनों से नि सको। हर हाल में तुम्हारी बेहतरी (शहीद हो जाना या जीत) है। हिदा की गई कि जंग के मैदान में अल्लाह को ज़्यादा-से-ज़्यादा याद करो। उस मरज़ी के ख़िलाफ़ हरगिज़ कोई काम न करो। आपस में लड़ाई-झगड़ा न करो। साबित-क़दमी और बहादुरी से मुक़ाबला करो और अपने कमांडर बात सुनो और इताअत यानी अनुशासन पर सख़्ती के साथ अमल रहो।[35]

क़ैदियों को बदले में या फ़िद्या लेकर या एहसान (उपकार) के तौर छोड़ दिया जाए।[36] माले-ग़नीमत (जंग में दुश्मन का मिला हुआ माल) प कमांडर के पास लाकर जमा किया जाए। फिर उसका पाँचवाँ हिस्सा अ करके बाक़ी माल फ़ौजियों में तक़सीम किया जाएगा।[37]

जीती गई ज़मीनें जो हथियारों के बल पर फ़तह हों उसको फ़ौजियो तक़सीम किया जा सकता है, और जो बग़ैर जंग के क़ब्ज़े में आई हों उस हुकूमत अपनी निगरानी में रखेगी।[38]

इस्लामी रियासत में रहनेवाले ग़ैर-मुस्लिमों (ज़िम्मियों) के ह

वे ग़ैर-मुस्लिम लोग जो इस्लामी रियासत में रहते और जिज़या देते उन्हें ज़िम्मी कहा जाता है। यानी उनकी जान-माल, इज़्ज़त-आबरू, मज़ह कलचर और परसनल लॉ की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा इस्लामी हुकूमत वाजिब (अनिवार्य) हो जाता है। जिज़या सिर्फ़ लड़नेवाले मर्दों के लिए इससे औरतें, बच्चे, बूढ़े, राहिब, संन्यासी, बीमार, मज़दूर, पाग़ल-दी वग़ैरा अलग रखे गए हैं। जिज़या की रक़म बहुत मामूली होती है।

(हज़रत उमर रज़ि॰ के ज़माने में मालदारों पर एक रुपया, मध्यम पर आठ आने और ग़रीब पर चार आने महीना था)। जो न दे सकता उसपर सख़्ती नहीं बरती जाती थी। (न उनके मकान की कुर्क़ी की सकती, न कपड़े बेचे जा सकते, न उनका अनाज छीना जा सकता, न उ

ती-बाड़ी करने की चीज़ें और न उनके काम-काज के औज़ार छीने जा
कते, न सवारी नीलाम की जा सकती है। वुसूली में नर्मी बरती जाती थी)
ल्क ग़रीब, बेसहारा और मोहताज ग़ैर-मुस्लिमों को वज़ीफ़ा दिया जाता
। उनको भीख माँगने से मना किया जाता। अगर कोई ज़िम्मी जिज़या
काया के साथ मर जाए तो उसके छोड़े हुए माल से या वारिसों से नहीं
या जा सकता। ज़िम्मियों के मामलों को उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक़
किया जाता। उनको अपनी बस्तियों में इबादतगाह बनाने और धार्मिक
ते-रिवाज अदा करने की आज़ादी दी जाती। हाँ, फ़ौजदारी क़ानून मुस्लिम
र ग़ैर-मुस्लिम सबके लिए एक जैसा होता।

ाले-जात (सन्दर्भ)

) सूरा-3 आले-इमरान, आयत-19; सूरा-2 बक़रा, आयत-208; सूरा-6
नआम, आयतें-162, 163; सूरा-5 माइदा, आयत-3 (2) सूरा-7 आराफ़,
यत-154, (3) सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-2 (4) सूरा-6 अनआम, आयत-157
) सूरा-6 अनआम, आयत-73; सूरा-20 ता-हा, आयत-6; सूरा-2 बक़रा,
यत-107, 255; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-26, 83, 154; सूरा-13
्द, आयत-9; सूरा-6 अनआम, आयत-18; सूरा-67 मुल्क, आयत-1;
ा-10 यूनुस, आयत-107; सूरा-18 कह्फ़, आयत-26; सूरा-5 माइदा,
यत-1; सूरा-10 यूनुस, आयत-65; सूरा-7 आराफ़, आयत-4; सूरा-60
तहिना, आयत-10 (6) सूरा-3 आले-इमरान, आयत-83; सूरा-13 रअ्द,
यत-15; सूरा-16 नह्ल, आयत-49; सूरा-18 कह्फ़, आयत-7; सूरा-67
क, आयत-1; सूरा-76 दह्र, आयतें-2, 3 (7) सूरा-5 माइदा, आयत-44
) सूरा-4 निसा, आयत-80 (9) सूरा-4 निसा, आयत-59 (10) सूरा-7
राफ़, आयत-3; सूरा-24 नूर, आयतें-47, 48; सूरा-33 अहज़ाब, आयत-36;
ा-4 निसा, आयतें-64, 65, 80; सूरा-1 फ़ातिहा, आयत-7; सूरा-39 ज़ुमर,
यत-2; सूरा-13 रअ्द, आयत-37 (11) सूरा-2 बक़रा, आयत-30
2) सूरा-38 साद, आयत-26 (13) सूरा-24 नूर, आयत-55 (14) सूरा-2
क़रा, आयत-30; सूरा-38 साद, आयत-26; सूरा-24 नूर, आयत-55;
ा-5 माइदा, आयत-48; (15) सूरा-4 निसा, आयत-5, 34, 58, 59;

सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-76; सूरा-49 हुजुरात, आयत-13; सूरा-38 स
आयत-20, 28; सूरा-12 यूसुफ़, आयतें-6, 22; सूरा-2 बक़रा, आयत-12
247; सूरा-28 क़सस, आयत-26; सूरा-18 कह्फ़, आयत-28; सूरा-
शुअरा, आयतें-151, 152 (16) सूरा-42 शूरा, आयत-34; सूरा-3 आले-इमरा
आयत-159 (17) सूरा-57 हदीद, आयत-25 (18) सूरा-4 निसा, आयत-
(19) सूरा-22 हज, आयत-41 (20) सूरा-हज, आयत-41 (21) सूरा
अनफ़ाल, आयत-72; सूरा-4 निसा, आयत-59 (22) सूरा-2 बक़रा, आयतें-18
229; सूरा-65 तलाक़, आयत-1; सूरा-58 मुजादला, आयत-4; सूरा-
अनकबूत, आयत-69 (23) सूरा-5 माइदा, आयतें-44, 45, 47 (24) सूरा
निसा, आयतें-60, 61 सूरा-5 माइदा, आयतें-44, 45, 47, 48, 50; सूरा-
शूरा, आयत-15 (25) सूरा-4 निसा, आयत-58 (26) सूरा-4 निसा, आयत-1
(27) सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-33; सूरा-2 बक़रा, आयतें-188, 19
256; सूरा-4 निसा, आयत-29; सूरा-49 हुजुरात, आयतें-11, 12; सूरा-
नूर, आयत-27; सूरा-3 आले-इमरान, आयतें-104, 105, 110; सूरा
आराफ़, आयत-165; सूरा-10 यूनुस, आयत-99; सूरा-6 अनआम, आयत-1
(28) सूरा-4 निसा, आयत-59; सूरा-60 मुम्तहिना, आयत-12; सूरा
आराफ़, आयत-85; सूरा-5 माइदा, आयत-2; सूरा-9 तौबा, आयतें-38
41 (29) सूरा-5 माइदा, आयत-8; सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-3
सूरा-9 तौबा, आयत-7; सूरा-2 बक़रा, आयत-194; सूरा-8 अनफ़ा
आयतें-58, 61; सूरा-16 नह्ल, आयतें-94, 126; सूरा-42 शूरा, आयतें-
से 42; सूरा-55 रहमान, आयत-6; सूरा-60 मुम्तहिना, आयत-8 (30) सूरा
माइदा, आयतें-33, 34; सूरा-8 अनफ़ाल, आयत-60 (31) सूरा-4 नि
आयत-75 (32) सूरा-8 अनफ़ाल, आयतें-55 से 58; (33) सूरा-8 अनफ़ा
आयत-40 (34) सूरा-17 बनी-इसराईल, आयत-33; सूरा-2 बक़रा, आयत-20
सूरा-59 हश्र, आयत-5; सूरा-22 हज, आयत-40 (35) सूरा-9 तौ
आयतें-38 से 41, 52; सूरा-3 आले-इमरान, आयत-169; सूरा-8 अनफ़ा
आयतें-45, 46, 60, 65 (36) सूरा-47 मुहम्मद, आयत-4; सूरा-8 अनफ़ा
आयत-67 (37) सूरा-59, हश्र, आयत-6 (38) सूरा-9 तौबा, आयत-29

क़ुरआन का पैग़ाम

ınसानी समानता

क़ुरआन मजीद सारे जहान के पालनहार अल्लाह का कलाम है और री दुनिया के लिए रहमतवाले पैग़म्बर (सल्ल॰) के ज़रिए से उसके बन्दों क भेजा गया है। इसलिए यह हर तरह के रंग, नस्ल, ज़बान और गोलिक सभी तरह के भेद-भाव (Prejudices) से पाक-साफ़ है। अल्लाह नज़र में सारे इनसान एक समान हैं। उनमें पैदाइशी तौर पर कोई छोटा र बड़ा नहीं है। सब एक जैसे और बराबर हैं। सबके हक़ बराबर हैं। पूरे रआन में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी एक क़ौम और नस्ल की ाई, दूसरी क़ौम और नस्ल पर जताई गई हो। क़ुरआन सिर्फ़ अरबों को अमीरों या गोरों को या किसी ख़ास मुल्क में रहनेवालों को सम्बोधित नहीं ता। बल्कि क़ुरआन की दावत और पुकार सारे जहान के इनसानों के ए (Open Invitation) है। क़ुरआन को इनसानों के लिए हिदायत बनाकर ेया जहान के सारे इनसानों के लिए उतारा गया है। क़ुरआन में है—

> "लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत-से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दिए।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-1)
>
> "लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियाँ बना दीं, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। हक़ीक़त में अल्लाह के नज़दीक तुममें सबसे ज़्यादा इज़्ज़तवाला वह है जो तुम्हारे अन्दर सबसे ज़्यादा परहेज़गार (नेक) है।" (क़ुरआन, सूरा-49 हुजुरात, आयत-13)

यह है इनसान की अस्ल हक़ीक़त। जब इनसान ने उसको भुला दिया पैग़म्बरों ने उसी को मुख़्तलिफ़ ज़मानों और मुल्कों में लोगों को याद ाया। फिर आख़िरी बार उसकी याददिहानी सन् 8 हिजरी मक्का की ह के मौक़े पर और 10 हिजरी हज्जतुल-वदाअ् के ख़ुतबे में की गई—

“ऐ क़ुरैश के लोगो! अल्लाह ने तुम्हारी जाहिलियत का घमण्ड दूर कर दि है। अब नस्बों (वंशों) और ख़ानदानी बड़प्पन के लिए कोई गुंजाइश बा नहीं रही। अब यहाँ हसब-नसब के लिए कोई फ़ख़्र (गर्व) नहीं है। कि अरबी को किसी ग़ैर-अरबी पर, किसी ग़ैर-अरबी को अरबी पर कोई फ़ज़ील (श्रेष्ठता) नहीं है, सिवाए तक़्वा (ईश-भय, परहेज़गारी) के। तुम सब आद की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। तुममें सबसे बेहतर वह है सबसे ज़्यादा ख़ुदा से डरनेवाला, परहेज़गार हो।.......... (फिर कहा गर ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो तुम खाते हो उन्हें खिलाओ और जो पहनते उन्हें पहनाओ और औरतों के हुक़ूक़ का ख़याल रखो।”

आज दुनिया-भर में नस्ली बराबरी और ज़ात-पात का मसला है। ए जैसी ज़बान बोलनेवाले दूसरी ज़बान बोलनेवालों से नफ़रत करते हैं। ग काले को अपने बराबर नहीं समझते। पश्चिमी क़ौमें दुनिया की दूसरी क़ौ से अपने-आपको ऊँचा और बेहतर ख़याल करती हैं और अपने हितों ख़ातिर कमज़ोरों के हक़ों को बरबाद करती हैं। आज़ादी, लोकतन समानता, बराबरी और भाईचारे की चर्चा की जाती है, लेकिन काम र ज़मीन में फ़साद-बिगाड़ फैलाने के लिए किए जाते हैं।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने जो सन्तुलित उम्मत बनाई थी वह दुनिया तमाम क़ौमों में से छाँटकर बनाई हुई उम्मत थी। उसमें अलग-अलग इला और क़ौमों के लोग थे। यमनी भी थे, शामी (सीरियावाले) भी थे। ईरा भी थे और मिस्री भी थे। हब्शी, फ़ारसी और रूमी भी थे। ये अरब अ अजम (ग़ैर-अरब) की क़ौमों का बेहतरीन गुलदस्ता था।

क़ुरआन मजीद ने इनसानों को जो हक़ और अधिकार दिए हैं वे सब लिए एक समान व बराबर हैं। उसमें एक आम आदमी और ज़िम (ग़ैर-मुस्लिम) से लेकर राष्ट्रपति तक सब क़ानून की नज़र में एक हैं। कि के लिए कोई ख़ास रिआयतें नहीं दी जातीं।

इस्लाम ने इनसानी बराबरी को न सिर्फ़ एक नज़रिए की हैसियत से किया है, बल्कि अमली तौर पर उसे बरत कर दिखाया है। हर दिन पाँच व की नमाज़ अदा की जाती है। उसमें ख़ुदा के सामने अमीर-ग़रीब, काले-

। एक ही क़तार में खड़े होते हैं और हर साल हज में मुख़्तलिफ़ क़ौमों, लों, रंगों, ज़बानों और इलाकों के लोग एक ही लिबास (एहराम) में और ़ ज़बान में "लब्बैक, अल्लाहुम-म लब्बैक" (हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं ज़ेर हूँ).....पुकारते हैं। उसमें बादशाह-ग़रीब, शासक-शासित, अमीर-फ़क़ीर, ला-गोरा, लम्बा और नाटा सब बराबर हो जाते हैं। उनके बीच के सारे त्तर और ऊँच-नीच के फ़र्क़ मिट जाते हैं। इस क़िस्म की मिसाल दुनिया कहीं नहीं मिल सकती। हज में हर-हर मुल्क के अमीर और ग़रीब लोग सों मेहनत करके अपनी जमा-पूँजी से हज करने आते हैं। तरह-तरह की ़लीफ़ें उठाते हैं। यह शौक़ और मुहब्बत का मामला है जो ख़ुदा की फ़ीक़, ईमानी-जज़्बे और काबा के आकर्षण से ईमानवालों में पैदा हो ता है और एक आलमगीर उम्मत का ख़याल पैदा करता है। क़ुरआन में –

> "यह तुम्हारी उम्मत हक़ीक़त में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, तो तुम मेरी ही इबादत करो।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-21 अंबिया, आयत-92)

इस्लामी शिक्षाओं की रौशनी में इनसानी बराबरी का यह ऐसा प्रदर्शन जिसको आज की दुनिया का हर आदमी टी॰ वी॰ पर लाइव देख सकता । देखनेवाला अगर पक्षपात की ऐनक उतारकर देखे तो पुकार उठेगा कि लाम के अलावा कोई ऐसा नज़रिया, रास्ता और ज़िन्दगी का निज़ाम नहीं जो इनसानों के बीच इस तरह समानता और बराबरी का पाठ पढ़ाता हो र हर तरह के भेद-भाव को ख़त्म कर सकता हो। हर आदमी के लिए साफ़ और बराबरी सिर्फ़ इस्लाम की छाया में है।

क ख़ुदा की बन्दगी

हज़रत आदम से मुहम्मद (सल्ल॰) तक तमाम पैग़म्बरों की यही शिक्षा थी–

> "ऐ मेरी क़ौम के भाइयो, अल्लाह की बन्दगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई ख़ुदा नहीं है।" (क़ुरआन, सूरा-7 आराफ़, आयत-85)

सब पैग़म्बरों की दावत एक बरहक़ पूज्य-प्रभु अल्लाह की तरफ़ थी। उस वत में सारे झूठे ख़ुदाओं का इनकार था। लोगों ने अपनी अज्ञानता की

वजह से जो बहुत सारे देवी-देवता बना लिए थे उनसे अलग-अलग अक़्
जोड़ लिए थे। उनके अवतार भी बना लिए थे और उनके बुत बना
उनको पूजना शुरू कर दिया था। उनके साथ पंडित, पुरोहित अ
राजा-महाराजा भी ख़ुदाई फ़लसफ़े में शामिल कर लिए गए थे। उन
अलावा क़ुदरती निशानियों की बहुत-सी चीज़ें पूजी जाने लगी थीं। जै
सूरज, चाँद, सितारे, समुद्र, नदियाँ, पहाड़, ज़मीन, जानवर, मौसमों अ
ख़याली और क़यासी चीज़ें। पैग़म्बर कहते कि लोगो, सिर्फ़ एक ख़ुदा
बन्दगी करो जो सबका पैदा करनेवाला है, उसको छोड़कर किसी को न पूज
इसी दावत को क़ुरआन ने इन शब्दों में पेश किया है–

> "लोगो! बन्दगी इख़्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग गुज़रे हैं उन सबका पैदा करनेवाला है।" (क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-21)

क़ुरआन मजीद का केन्द्रीय सन्देश एक ख़ुदा की ख़ालिस बन्दगी सन्देश है। कहा गया–

> "(ऐ नबी!) यह किताब हमने तुम्हारी तरफ़ हक़ के साथ उतारी है, इसी लिए तुम अल्लाह ही की बन्दगी करो, दीन को उसी के लिए ख़ालिस करते हुए।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयतें-2, 3)

क़ुरआन जिस इबादत और बन्दगी के ख़याल को पेश करता है, उस मुराद पूरी ज़िन्दगी में बिना किसी को साझीदार बनाए सिर्फ़ अल्लाह हुक्मों की फ़रमाँबरदारी है। निजी ज़िन्दगी से इजतिमाई (सामूहिक) ज़िन्द तक के तमाम मैदानों जैसे समाजी रहन-सहन, आर्थिक मामले, सियासत अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारना।
(क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-164; सूरा-13 हिज्र, आयत-99; सूरा-ज़ारियात, आयत-56)

आख़िरत की जवाबदेही का ख़याल

क़ुरआन मजीद के मुताबिक़ यह दुनिया की ज़िन्दगी इनसान के लि एक अमल करने की जगह है। यहाँ उसे छोटी-सी मुद्दत के लिए इरादे

ज़ादी और अमल का इख़्तियार (Freewill) देकर भेजा गया है। उसको ी का सीधा और सच्चा रास्ता बता दिया गया और बुराई के गुमराह और ःकावे के रास्तों की भी निशानदेही कर दी गई और फिर उन दोनों के जाम से भी बाख़बर कर दिया गया। यहाँ उसका इस चुनाव और अमल इम्तिहान है। जिस तरह उम्र की मोहलत ख़त्म हो जाने के बाद मौत आ ती है, उसी तरह क़ियामत का एक दिन आएगा जब पूरी कायनात का ज़ाम दरहम-बरहम हो जाएगा। फिर अल्लाह तआला हश्र के मैदान में सारे सानों को जमा करेगा। अदालत क़ायम की जाएगी, उस वक़्त हर इनसान अल्लाह अपनी दी हुई नेमतों के बारे में सवाल करेगा। इनसाफ़ की सारी तें पूरी की जाएँगी। अल्लाह का फ़रमान है—

"और फिर पूरे हक़ और इनसाफ़ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा।" (क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयत-75)

"यक़ीनन नेक लोग मज़े में होंगे और बेशक बदकार जहन्नम में जाएँगे।" (क़ुरआन, सूरा-82 इनफ़ितार, आयतें-13, 14)

क़ुरआन ने इनसान को बार-बार यह बता दिया कि यह दुनिया की न्दगी सिर्फ़ खेल-तमाशे की नहीं है कि यहाँ मौज-मस्ती और ऐशो-आराम र लेने के बाद ख़त्म हो जाएँगे और दोबारा उठाए नहीं जाएँगे। तुम एक म्मेदार मख़लूक़ (प्राणी) हो। तुमसे एक दिन अल्लाह अपनी नेमतों के बारे ज़रूर पूछनेवाला है। (देखें, सूरा-102 तकासुर, आयत-8)। क़ुरआन ने पूरे र और दलीलों के साथ यह बात ज़ेहननशीन कराई है कि मरने के बाद नको सचमुच दोबारा उठाया जाना है। तुम उसी तरह ज़िन्दा किए जाओगे स तरह मुर्दा ज़मीन बारिश के बाद ज़िन्दा हो जाती है, जिस तरह तुम ंद के बाद जाग उठते हो, जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया उसको तुम्हारे रने के बाद दूसरी बार जिला उठाना क्या मुश्किल है। इस तरह इनसान ो ग़फ़लत की ज़िन्दगी से बार-बार झिंझोड़ा गया है।

अगर किसी को यह एहसास हो जाए कि कैमरे लगे हुए हैं और सी. ाई. डी. मौजूद है तो वह बिलकुल होशियार और सचेत हो जाएगा। कोई सा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से वह पकड़ में आ जाए और फिर सज़ा

भुगतनी पड़े। लेकिन दुनिया का क़ानून उसके अन्दुरून को पाक न करता। जहाँ उसको यह मालूम हो जाए कि अब वह दुनियावाले क़ानून व पकड़ से बाहर है तो उसका शरारती नफ़्स जाग उठता है। वह शराब सकता है, ज़िना, बदकारी कर सकता है, क़त्ल और चोरी कर सकता है अं वे सब काम कर सकता है, जिस-जिससे उसको मना किया गया है।

इसी तरह आख़िरत पर ईमान यह है कि अल्लाह हर जगह हाज़िर-नाज़ि है, उसकी एक-एक हरकत को देख रहा है, बल्कि उसके दिल में उठनेव वसवसों और ख़यालों से भी बाख़बर है। फ़रिश्ते उसका एक-एक रिक तैयार कर रहे हैं। माहौल उसकी फ़िल्म-बन्दी कर रहा है। अल्लाह व अदालत में यह सारा रिकार्ड इनकार न कर पानेवाली गवाहियों और साक्ष के साथ पेश कर दिया जाएगा, जिसको वह किसी तरह झुठला नहीं सके और कोई भी उसकी किसी तरह मदद नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह इनसाफ़ के साथ जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला कर देगा।

अल्लाह की पूछ-ताछ और सवाल करने और जवाबदेही का जित गहरा एहसास होगा उतना ही इनसान अपने अख़लाक़ और किरदार को स करने और सँवारने पर ध्यान देगा। वह बात करेगा, मगर ज़बान के ग़ल इस्तेमाल से डरेगा। वह झूठ, ग़ीबत, चुग़ली, लान-तान, पीठ पीछे बुराइ करने, दिल दुखाने और मज़ाक़ उड़ाने से बचेगा। वह मामला करने में धोख फ़रेब, बददियानती, सूद (ब्याज), रिश्वत, कम नापने-तौलने और हक़ मा से बचेगा। इसी तरह वह जुवा, शराब, बदकारी और क़त्ल जैसे गुनाहों दूर रहेगा। क्योंकि जवाबदेही का यह एहसास उसके अन्दर नेकी अं सुधार पैदा करेगा। वह खुले-छिपे में हमेशा और हर जगह अपने अख़ला और किरदार को दुरुस्त रखेगा।

आख़िरत की क़ुरआनी कल्पना से दुनिया की ज़िन्दगी भी सँवर जा है और आख़िरत में उसे कामयाबी नसीब होती है। यह दुनिया ए इम्तिहानगाह है और आख़िरत जज़ा-सज़ा (कर्म-फल मिलने) की जगह है

क़ुरआन हमसे क्या चाहता है?

क़ुरआन मजीद में है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) हश्र के दिन अल्लाह दरबार में अपनी क़ौम के बारे में यह शिकायत करेंगे—

"और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे रब, मेरी क़ौम के लोगों ने इस क़ुरआन को महजूर की चीज़ बना लिया था।"

(क़ुरआन, सूरा-25 फ़ुरक़ान, आयत-30)

क़ुरआन को महजूर बना लेने के मुराद उससे ग़फ़लत, लापरवाही ावज्जोही बरतना है। सोचना चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ क़ुरआन के साथ ीं ऐसा तो नहीं है? एक हदीस में है कि क़ुरआन मजीद तुम्हारे हक़ में ोल होगा या तुम्हारे ख़िलाफ़ (हदीस : मुस्लिम, तिरमिज़ी)। एक और ास में है कि अल्लाह इस किताब (क़ुरआन) के ज़रिए से कुछ लोगों को ाएगा और कुछ लोगों को गिराएगा (हदीस : मुस्लिम)। अल्लाह अपने ी (सल्ल॰) को नसीहत फ़रमाता है—

"तुम बहरहाल उस किताब को मज़बूती से थामे रहो जो वह्य (प्रकाशना) के ज़रिए से तुम्हारे पास भेजी गई है, यक़ीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हक़ीक़त यह है कि यह किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी क़ौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ़ (श्रेय) है और बहुत जल्द तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी।"

(क़ुरआन, सूरा-43 ज़ुख़रुफ़, आयतें-43, 44)

क़ुरआन मजीद के ये दोनों मक़ाम हमको झिंझोड़ते हैं और हमें क़ुरआन हुक़ूक़ याद दिलाते हैं। इस बारे में हमें तीन बातों पर ख़ास तौर पर ान देने की ज़रूरत है।

रआन समझकर पढ़ना

क़ुरआन मजीद पर ईमान लाने के बाद इसका पहला हक़ यह है कि सको पढ़ा जाए। लेकिन क़ुरआन अरबी ज़बान में है। इसलिए अरबी खकर उसके सही उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। सिर्फ़ ज़बान से ादा-से-ज़्यादा और जल्दी-से-जल्दी पढ़ लेने का तरीक़ा ठीक नहीं है। इससे

तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। क़ुरआन को इत्मीनान के स जितना आसानी से पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए।

"अब जितना आसानी से हो सके क़ुरआन पढ़ लिया करो।"

(क़ुरआन, सूरा-73 मुज़्ज़म्मिल, आयत-

क़ुरआन को पढ़ने से उसके हर्फ़-हर्फ़ पर नेकी और सवाब है और बर और रहमत भी। लेकिन सिर्फ़ इसको इस तरह पढ़ लेने से उसके उतारे ज का मक़सद पूरा नहीं हो जाता। इसलिए उसको समझते हुए पढ़ना चाहि अल्लाह ने कहा—

> "क्या उन लोगों ने क़ुरआन पर ग़ौर नहीं किया, या दिलों पर उनके ताले चढ़े हुए हैं।" (क़ुरआन, सूरा-47 मुहम्मद, आयत-24)
>
> "यह एक बड़ी बरकतवाली किताब है जो (ऐ नबी!) हमने तुम्हारी तरफ़ उतारी है, ताकि ये लोग इसकी आयतों पर ग़ौर करें और अक़्ल व फ़िक्र रखनेवाले इससे सबक़ लें।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-38 साद, आयत-29)

आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किताब पढ़ी जाती है वह क़ुरआन है। लेकिन यह भी एक हक़ीक़त है कि सबसे ज़्यादा बे-समझे-बूझे प जानेवाली किताब भी क़ुरआन ही है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) फ़रमाते है

> "ऐ क़ुरआन पर ईमान लानेवालो! क़ुरआन से ग़फ़लत मत बरतो, बल्कि उसकी तिलावत करो जिस तरह उसकी तिलावत करने का हक़ है। रात और दिन के वक़्तों में, उसे एलानिया पढ़ो और खुश आवाज़ के साथ पढ़ो। जो कुछ विषय उसमें हैं उनपर ग़ौर करो। उम्मीद है कि तुम्हें कामयाबी नसीब होगी और उसका सवाब जल्दी हासिल करने की कोशिश न करो, क्योंकि (आख़िरत में) उसका सवाब लाज़िमन है।"
>
> (हदीस : बैहक़ी)

इसलिए क़ुरआन को समझकर पढ़ना चाहिए, ताकि मालूम हो कि उ क्या है और क्या नहीं है। अल्लाह हमसे क्या चाहता है। उसके क्या-व हुक्म और हिदायतें हैं?

़आन के हुक्मों पर चलना

कुरआन से फ़ायदा उसी को मिलेगा जो उसके बताए हुए सीधे रास्ते पर ागा और उन लोगों के रास्तों पर न चलेगा जो गुमराही और ख़ुदा के ाब और अज़ाब के हक़दार बने।

"और हमने इस तरह यह किताब उतारी है, एक बरकतवाली किताब। तो तुम उसकी पैरवी करो और तक़वा की राह इख़्तियार करो, ताकि तुमपर रहम किया जाए।"

(क़ुरआन, सूरा-6 अनआम, आयत-155)

"और पैरवी इख़्तियार करो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की, इससे पहले कि तुमपर अचानक अज़ाब आ जाए और तुमको ख़बर भी न हो।"

(क़ुरआन, सूरा-39 ज़ुमर, आयत-55)

क़ुरआन सिर्फ़ सवाब के लिए पढ़ लेने और बरकत हासिल कर लेने की ताब नहीं है, बल्कि यह हिदायत और हरकत व अमल की किताब है। उस दमी का क़ुरआन पर ईमान भरोसेमन्द नहीं हो सकता जो उसके हुक्मों ख़िलाफ़वर्ज़ी करता हो। मानो वह ऐसा है कि वह उसपर ईमान नहीं लाया।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) ने फ़रमाया है—

"वह आदमी क़ुरआन पर ईमान नहीं लाया जिसने उसकी हराम की हुई चीज़ों को हलाल कर लिया।" (हदीस : तिरमिज़ी)

क़ुरआन के हुक्मों पर अमल करना और मना की हुई चीज़ों से बचना ़आन का तक़ाज़ा है।

अल्लाह की किताब (क़ुरआन) की कुछ बातों को मानना और कुछ का कार करना, यहूदियों का तरीक़ा है (सूरा-2 बक़रा, आयत-85)। अगर ़आन पढ़नेवाले की ज़िन्दगी में उन हुक्मों को पढ़कर भी कोई सुधार नहीं ता तो उसका क़ुरआन पर ईमान लाना और नहीं लाना बराबर है। ़आन पर अमल करने से मुताल्लिक़ तीन हिस्से हैं—

) निजी अमल यानी सच्चे दिल से ईमान, इबादत, हलाल-हराम की बन्दी, अख़लाक़, नफ़्स का तज़किया और अल्लाह से ताल्लुक़ वग़ैरा।

(2) दूसरा हिस्सा वह है जो सामूहिक जीवन से ताल्लुक़ रखता है, जि समाजी और माली (आर्थिक) सम्बन्धों और लेन-देन के मामले और हुक़ और फ़र्ज़ है।

(3) तीसरा हिस्सा हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है। किताब व सुन्नत बालादस्ती। ज़कात का सामूहिक जमा-ख़र्च, कमाई हुई दौलत का ब्याज ३ बददियानती से पाक होना। अम्न-शान्ति के लिए इनसाफ़ और अद्ल क़याम, दीवानी और फ़ौजदारी के क़ानून लागू करने के लिए प्रशासन अमानतदार और ख़ुदातरस होना। अल्लाह का फ़रमान है–

> "ऐ नबी! हमने यह किताब हक़ के साथ तुम्हारी तरफ़ उतारी है ताकि जो सीधी राह अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक़ लोगों के बीच फ़ैसला करो।"
>
> (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत-105)

जिन बातों पर जहाँ तक अमल कर सकते हैं उस हद तक तो हमसे ५ जाएगा, और उन बातों की पकड़ होगी। "जहाँ तक तुम्हारे बस में अल्लाह का डर रखो।" (सूरा-64 तग़ाबुन, आयत-16)। इसी लिए पहले ३ दूसरे हिस्से पर अमल करते हुए तीसरे हिस्से को क़ायम और लागू करने लिए कोशिश करनी चाहिए।

इन सबका ख़ुलासा यह है कि क़ुरआन मजीद का पढ़ना सवाब का व है, उसका समझना बरकत है। मगर आख़िरत में नजात के लिए उस अमल करना लाज़मी है।

सबको क़ुरआन का पैग़ाम पहुँचाना

जब हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) आख़िरी नबी हैं और आप (सल्ल०) उतारी जानेवाली किताब भी आख़िरी किताब है और ये दोनों आलमगीर ३ हमेशा रहनेवाली भी हैं। तो अब इसपर ईमान लानेवालों की यह ज़िम्मे है कि वे दुनिया के सारे इनसानों तक उनकी ज़बानों में उसके पैग़ाम पहुँचाएँ। ख़ुदा का कहता है–

> "यह एक पैग़ाम है, सब इनसानों के लिए, और यह भेजा गया है इसलिए कि उनको उसके ज़रिए से ख़बरदार कर दिया जाए

और वे जान लें कि हक़ीक़त में ख़ुदा बस एक ही है, और जो अक़्ल रखते हैं वे होश में आ जाएँ।"

(क़ुरआन, सूरा-14 इबराहीम, आयत-52)

इसके प्रचार-प्रसार और दूसरों तक पहुँचाने के लिए हर क़िस्म के ज़राए ाधनों) को अपनाया जा सकता है और हमें अपनाना चाहिए। क़ुरआन र हदीस का अनुवाद करके तबलीग़ करनेवाले ख़ास लोगों के ज़रिए, प्रिंट डेया और एलक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ज़बानी पैग़ाम का ़ अदा करना होगा। जिसने क़ुरआन को समझ लिया कि यह सच्ची ताब है, इसमें सारे इनसानों के लिए रहनुमाई है, तो अब उसका यह काम कि वह इस सच्ची किताब की सच्चाई को दूसरों तक पहुँचाने की फ़िक्र र कोशिश करे। क्योंकि यह क़ुरआन सारी इनसानियत के लिए सूरज की ानी, बारिश के पानी और खुली हवा की तरह सबकी साझा विरासत है। इसपर ईमान लाया वह इसका अमीन (अमानतदार) हो गया। इसलिए अमानत को दूसरों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उसपर है। जो इसकी म्मेदारी से बचेंगे वे अल्लाह की रहमत से दूर कर दिए जाएँगे। अल्लाह कहा—

"जो लोग हमारी उतारी हुई रौशन शिक्षाओं और हिदायतों को छिपाते हैं, इस हाल में कि हम उन्हें सब इनसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, यक़ीन जानो कि अल्लाह भी उनपर लानत करता है और सब लानत करनेवाले भी उनपर लानत भेजते हैं।"

(क़ुरआन, सूरा-2 बक़रा, आयत-159)

"बहरहाल तुम्हारा काम सिर्फ़ पैग़ाम को पहुँचा देना है और हिसाब लेना हमारा काम है।"(क़ुरआन, सूरा-13 रअ्द, आयत-40)

क़ुरआन मजीद में कई ऐसी आयतें हैं जो क़ुरआन की दावत और ार-प्रसार की तरफ़ ध्यान दिलाती हैं। (देखें— सूरा-24 मुद्दस्सिर, आयतें-1 3; सूरा-87 आला, आयत-9; सूरा-14 इबराहीम, आयत-52; सूरा-5 ्दा, आयत-67)। हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) अपनी ज़िन्दगी में दावत और

प्रचार-प्रसार का काम अंजाम देते रहे। आप (सल्ल॰) फ़रमाते हैं–

"तुममें से बेहतरीन लोग वे हैं जो खुद क़ुरआन सीखें और दूसरों को सिखाएँ। (हदीस : बुख़ारी)

"मेरी तरफ़ से लोगों को (खुदा के अहकाम) पहुँचा दो, अगरचे एक ही आयत हो।" (हदीस : बुख़ारी)

एक और हदीस में आप (सल्ल॰) का इरशाद है–

- जो आदमी क़ुरआन के मुताबिक़ बात करेगा यक़ीनन वह सच्ची ब करेगा। और
- जो उसके मुताबिक़ अमल करेगा यक़ीनन अज्र (नेक बदला) पाएगा।
- जो उसके मुताबिक़ फ़ैसला करेगा ज़रूर इनसाफ़ का फ़ैसला करेगा।
- जो लोगों को उसकी पैरवी की दावत देगा, वह सीधे रास्ते की त लोगों की रहनुमाई करेगा। खुदा कहता है–

"यह लोगों के लिए साफ़ और खुली-खुली तम्बीह है, और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए हिदायत और नसीहत है।"

(क़ुरआन, सूरा-3 आले-इमरान, आयत-138)